साप्ताहिक

पृथ्वी पर हम सब समय माया के यात्री हैं

समय माया

प्रधान संपादक- अजमेरा एस.पी. कुमार

Website: www.samaymaya.com
Email: samaymaya@gmail.com
samaymaya@rediff.com

Cell: +91 9300755803, 9425125569
Phone Fax: +91 731 2530859

(C) All Copyrights reserved with chief editor, do not publish any matter without prior written permission

In case of any dispute, may be solved only in Indore Court Jurisdiction

वर्ष 7 अंक 42 | प्रति सोमवार इंदौर, 27 मई से 2 जून 2013 | पृष्ठ 8 | मूल्य 2/- रुपए

चीन पीछे नहीं हटेगा, बिना युद्ध के

चीन से वार्ता नहीं, ईंट का जवाब दो पत्थर से

चीनी सैनिक प्रौढ़, विश्व में अविश्वसनीय माल से बदनाम कर पहले अर्थव्यवस्था बिगाड़ो

चीन की गुस्ताखी, घुसपैठ, भारतीय सीमा में चौकियां 1962 के युद्ध के बाद से कभी नहीं रुकी और जब तक नहीं रुकेंगी जब तक हमारे धूर्त, मक्का और भ्रष्ट सत्ताधीश अपनी लूट-खसोट और अय्याशी पूर्ण ऐशोआराम की मानसिकता से बाहर निकल राष्ट्रहित के बारे में गंभीरता से चिंतन और कार्यवाही नहीं करेंगे।

चीन हमारे सत्ताधीशों की लूट-खसोट, भ्रष्टचारपूर्ण, ऐशोआराम की मानसिकता हमारे पड़ोस में रहकर बारीकी से जानता है। इसलिये हमारे सत्ताधीशों की इस कमजोरी का भरपूर लाभ उठाता रहा और शनैः शनैः अपने सैनिकों को न केवल घुसपैठ करवाता रहा, वरन ब्रह्मपुत्र की हमारी नदी पर उसने 24 बांध भी बना लिये, सीमा में न केवल चौकियां बना लीं वरन लगातार उसके हैलिकाप्टर 40-50 किमी अंदर तक उतारकर अपनी शक्ति प्रदर्शन तो कर ही रहा है। उसे अच्छी तरह से मालूम है कि 65 वर्षों में अधिकांश समय कांग्रेस सत्ता में रही, उसके सत्ताधीशों को राष्ट्र और राष्ट्र की जनता, राष्ट्र की सीमाओं को मजबूत करने से कभी सरोकार नहीं रहा उसका उद्देश्य केवल राष्ट्र की संपत्तियों, स्त्रोतों, जनता का शोषण कर लूटने और लूट के पैसे को विदेशी बैंकों में जमा करने से रहा है। उसका लोहा अमेरिका कमीशन पर जाता है, उसके लोहे से हथियार बनाकर अमेरिका ब्रिटेन, फ्रांस, स्विटजरलैंड विश्वभर में बेचते और उपयोग करते हैं, फिर वहां से वो उपयोग किये गये, समयबाधित, पुराने कबाड़ रूपी हथियारों, पनडुब्बियों, लड़ाकू जहाजों, विमान वाहक पोतों के कबाड़े को मोटा कमीशन डकार उसके सैन्य अधिकारी जल, थल, नभ सेनाओं के और मंत्री अपने राष्ट्र की सेनाओं के लिये खरीदते हैं। जैसे कि ब्रिटेन का सी हैरियर, जगुआर, रूस का मिग 21 जो

कि रुसी वायुसेना ने 1962 में अपनी सेना से बाहर कर दिया था जो भारत ने खरीदे उसके शांतिकाल में सैन्य अभ्यास में ही 451 मिग 21 गिर चुके हैं। फिर भारत ने रुस से सुखोई खरीदा जो 1990 में रुसी वायुसेना ने बाहर कर दिया था, 2002 में गोर्शकोव विमान वाहकपोत खरीदने का सौदा हुआ जो 1987 से रुसी गोदी में सड़ रहा था, आईएनएस विक्रांत भी अमेरिका द्वारा बाहर कर दिया गया था, उसे भी भारत ने खरीदा।

दूसरी ओर बिना युद्ध के अभ्यास के दौरान ही 400 से ज्यादा लड़ाकू विमान चालक भारत में ही मरे जो विश्वस्तर पर भारत का शर्मनाक इतिहास है। ये सब चीनी सेना की घुसपैठ के मुख्य कारण है।

जो चीनी शासकों और चीनी सेना के मनोबल भारत के विरुद्ध युद्ध के लिये उकसाते हैं। चीनी साम्राज्य के विस्तार के लिये चीनी आजादी के बाद से वर्तमान तक सदा प्रयासरत रहना ही भारत को अपनी तैयारी पुख्ता रखने के लिए काफी थी, परन्तु हमारे राष्ट्र में जनता ने जिसे चुनकर सत्ता में बैठाया तो रक्त पिपासु दानव बन जनता का रक्त चूसने लगा, जन-धन के उपयोग से जनहितों के नाम पर अपनी संपत्तियां इकट्ठी करने से फुर्सत मिले तो राष्ट्रहित देखें जबकि चीन अपनी लाल सेना 10 कि.मी. अंदर घुमायेगा, 40 कि.मी. अंदर हेलीकॉप्टर्स उतारेगा, अरुणाचल को अपना बतायेगा, लद्दाख में उसकी कालोनियां, उसके बाजार, उसके अस्पताल और उसके बनाये हुए स्कूल हैं। भारत सरकार उसके भ्रष्ट धूर्त अधिकारियों को सरकारी वेतन और सुख सुविधायें क्या पिकनिक मनाने के लिये दी जा रही हैं। फिर क्या एक दिन में कालोनी, सड़कें, चिकित्सालय, विद्यालय बन गये, वर्षों से चीन वहां मौजूद हैं, अब चुनाव सिर पर आ गये तो बहादुरी दिखाने और वोट बटोरने के लिये 2013 में रेजीमेंट भेजी जा रही है। इतने वर्षों से क्या झक मार रहे थे, या अपनी मौज-मस्ती, अय्याशी और लूट खसोट से ही फुर्सत नहीं मिल पा रही थीं।

चीन अच्छी तरह से जानता है हमारे नामर्द सत्ताधीशों को। वो तो अच्छा है कि उसने वहां कोई चीनी कंपनी खड़ी नहीं की वरना हमारे देश के सत्ताधीश और अधिकारी उसे मोटा कमीशन डकार पट्टे पर उद्योग के बहाने जमीन रजत या स्वर्ण पात्र में परोस कर दे देते, जैसा कि ब्रिटिश और अमेरिकी कं. को दी जा रही है। क्या किया 65 वर्षों की आजादी के बाद से और 1962 में 1 लाख वर्ग कि.मी. जमीन युद्ध में गंवाकर तब भी नहीं जागे, फिर पाकिस्तान जैसे छोटे से राष्ट्र के आतंकवादी हमारी सेनाओं के जवानों के सिर काटकर ले जाते हैं। उससे फुटबाल खेलते हैं। हम बदला लेने की बात तो दूर, कोरी बयानबाजी कर ठंडे हो जाते हैं।

(शेष पेज 3 पर)

लूट सके तो लूट, अंत काल पछतायेगा, जब गद्दी जायेगी छूट

केन्द्र और राज्य सरकारें बेच रही सरकारी संपत्ति मोटे कमीशन पर

टाटा, रिलायंस, हिन्दुस्तान लीवर, आईटीसी मोटा कमीशन बांटकर हड़प रहे जन-धन से निर्मित सरकारी संपत्तियां, उद्योग

भारत में 65 वर्षों में अधिकांश समय केन्द्र की सत्ता में कांग्रेस का ही एकाधिकार रहा, जिसमें से अधिकांश वक्त में नेहरू खानदान के तीन पीढ़ी के तीन चिरागों स्व. ज.ला. नेहरू, स्व. इंदिरा गांधी और स्व. राजीव गांधी ने ही अधिकांश समय सत्ता को हांका, जिसमें मात्र इंदिरा गांधी भर राष्ट्र भक्त महिला रहीं, जिन्होंने राष्ट्र की जनता के हित में अनेकों फैसले लिये और जनता के धन से दिये जाने प्रीवीयर्स के करोड़ों रूपये पूर्व की रियासत के राजाओं को देना बंद करवा दिये, राष्ट्र की निजी बैंकों जिनमें रु. 100 करोड़ से ज्यादा की पूंजी थी, ऐसी 29 बैंकों को 27/7/1969 को। राष्ट्रीयकृत करके बड़े-बड़े उद्योगपतियों की बैंकों को राष्ट्रीयकृत बैंक घोषित कर दिया गया और जनता के धन से अपने उद्योगों में पूंजी लगाने, डुबोकर हजम कर जाने का नाटक बंद कर, राष्ट्रहित में उपयोग में लाये जाना लगा, स्व. इंदिरा गांधी को जब इस बात का एहसास हुआ कि राष्ट्र में काम कर रही कोकाकोला फैक्ट्री हमारे देश के पानी को हमारे ही भारतीयों को ही मोटा लाभ कमाकर बेच रही है।

उन्होंने 1977 में कोकाकोला को देश से बाहर खदेड़ कर उन्होंने डबल सोन 77 नामक का पेय की शासकीय फैक्ट्री में बनवाना शुरू कर दिया, परन्तु इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद कोई भी कांग्रेस और अन्य प्रधानमंत्री में न तो राष्ट्र प्रेम देखा गया और न ही यथार्थ में जनहित। स्व. इंदिरा गांधी के बाद स्व. राजीव गांधी तो पत्नी सोनिया गांधी की कठपुतली बन नाचने लगे, यहां तक की घर के तौलिये भी इटालियन उपयोग किये जाने लगे, अमेरिकी हर चाल भारत में कामयाब हुई, न केवल उसकी कंपनियों ने भारत में पैर पसारने शुरू कर दिये वरन उन कंपनियों ने अपने उत्पादन और उसकी बिक्री बढ़ाने, राष्ट्र के छोटे-मोटे उद्योगों उससे जुड़े कारोबारियों को समाप्त करने के लिए षड्यंत्र रचे और उसकी वालमार्ट ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 06 जैसे कानून बनवाकर जिसमें न केवल वालमार्ट अमेरिकी 1000 करोड़ डालर से ज्यादा खर्च कर पूरा कानून जो 5 करोड़ से ज्यादा राष्ट्र के लोगों को बेरोजगार करेगा वरन् पैक्ड खाद्य के नाम पर विषैला पुराना रासायनिक प्रेसरवेटिव्ह डिफंगीसाइड्स इंसेक्टीसाइड्स मिलाकर परोसा जा रहा है,

(शेष पेज -- पर)

टुकड़ाखोर खाद्य सुरक्षा आयुक्त नाचने लगे बहुराष्ट्रीय कं. के इशारे पर

चारों तरफ बिक रहा धीमी मौत का पैक्ड खाद्य

ब्रांडेड कं. के नमूने लेने पर 95 खा.सु.अधि. को कारण बताओ नोटिस वही होने लगा जैसा कि समय माया ने 6 वर्ष पूर्व में प्रकाशित किया था

राष्ट्र की सत्ता में बैठे सत्ताधीशों जिसमें संप्रग का प्रमुख घटक, करप्शन ओरिएंटेड नोटोरिवस गैंग फार रिसोर्सेस एक्सटार्शन एंड संकिंग सर्विसेस अर्थात कांग्रेस जो अंग्रेजों द्वारा पैदा की गई थी, पर मूल अंग्रेज चले गये और अपनी अवैध औलादों को राष्ट्र को नोंचने और अपने बैंक खातों को भरने का कार्य पिछले 65 वर्षों से करती आ रही है। अपने मोटा कमीशन प्राप्त करने के और राष्ट्र की जनता को नोंचने उसे जहर परोसकर धीमी मौत देने और हजारों गुना लाभ वसूलने के लिए उसने जो खाद्य सुरक्षा और मानक अधि. 06 लागू किया उसका उद्देश्य केवल बहुराष्ट्रीय कं. के लाभ और उसके व्यवसाय की सुरक्षा करना था, जिसे समय माया लगातार 2007,2008,09,10,11 में लगातार छापा जो वर्तमान में वैसा ही सच सिद्ध हो रहा है, अब तो रु. 4 किलो के आलू की कीमत रु. 50 से रु. 200 प्रि.कि. तक वसूल रही है। यही हाल हर पैकेट की खाद्य वस्तु में लागू हो रहा है। जिसमें पारले, आई.टी.सी., हिन्दुस्तान उर्फ यूनिलीवर, नेस्ले, केडबरीज आदि 50 बहुराष्ट्रीय कं. शामिल हैं। जबकि वे अधिकांश खाद्य पदार्थों और पेयों में प्रेसरवेटिव्स जो उसे खराब होने से बचायें, डिफंगीसाइट, फफूंद लगने से बचाने हेतु और कीटनाशक ताकि उसमें कीड़े न पड़े आदि के लिये अनेकों प्रकार के विषैले रसायनों को खाद्य पदार्थों में मिला रही हैं। जो मानव उपयोग के लिए घातक होने के साथ ही इनका खुलकर विज्ञापन कर रही हैं। जिससे बच्चे और युवा इनके सेवन से जवान होने से पहले ही न केवल बूढ़े हो रहे हैं, बाल पक रहे हैं। दांत गिर रहे हैं। बहरापन और कम दिखने के साथ ही उच्च-निम्न रक्तचाप, मधुमेह, पेट और दिल की बीमारियों के साथ ही कैंसर जैसे घातक रोगों के शिकार हो रहे हैं। इन घातक रसायनों के मिलावट को रोकने के लिये इस खाद्य सुरक्षा कानून में कोई व्यवस्था नहीं हैं, तो फिर सजा देने की बात तो बहुत दूर दूसरी और इन जालसाज कं. के

खाद्य वस्तुओं के नमूने न लिये जायें उसके लिये ये धूर्त कं. के प्रबंधक जनसंपर्क अधिकारी खाद्य सुरक्षा आयुक्त को ही महीना पहुंचा देते हैं। जैसा कि हर बहुराष्ट्रीय, पंजीपति, उद्योगपति से लेकर हर छोटे से छोटा जालसाज का सिद्धांत होता हैं, कि वो थाने जिम्मेदार अधिकारी को खरीद महीना पहुंचाकर सारे कुकर्म करता हैं। वहीं इन कं. जिसमें टाटा, अंबानी, बिरला देशी उद्योगपतियों से लेकर विदेशी हिन्दुस्तान बनाम यूनीलीवर,

(शेष पेज -- पर)

साप्ताहिक समय माया

संपादकीय

स्वाभिमानियों का नहीं,भिच्छुकों का राष्ट्र बनाने पर क्यों तुले हैं?

भारत की उर्वरा भूमि ने यहां के निवासियों को पुरातन काल से वर्तमान तक पृथ्वी पर बसे अन्य राष्ट्रों की अपेक्षा श्रेष्ठतम दिया, निश्चित और श्रेष्ठ मौसम धारा पर बहती बारहमासी नदियां का जाल, श्रेष्ठ स्वादिष्ट फल-फूल, औषधियां, अन्न, दलहन, तिलहन की फसलें उगलती उपजाऊ भूमि आदि, स्वाभाविक था, मानव ने घोर लिप्सा, स्वार्थ के चलते हर किसी पर अपना कब्जा जमाने, निर्बलों को सताने, शोषण करते-करते वह दानव बन गया, दानवों के दलन के लिये देवताओं ने मानव अवतारों में जन्म लेकर उनका हनन किया, अनादिकाल से वर्तमान तक यह क्रम सतत चल रहा है। भारत की धरती पर इतनी सारी सुविधायें पाकर मानव घोर आलसी, मक्कार और स्वार्थी हो गया, इसी घोर स्वार्थी मानसिकता के चलते उसका स्वाभिमान हजारों वर्षों से गुलाम बन विदेशी आक्रांताओं के पास गिरवी बना रहा, यह इस राष्ट्र की धरती का दुर्भाग्य रहा कि यहां सहस्त्रों वर्षों से स्वार्थ के कारण गुलाम बने रहें, सेल्युकस और अलेक्जेंडर जैसे लौंडे यूरोप से कई शताब्दी ईसा पूर्व निकलकर एशिया और एशिया में ईरान-ईराक से इस राष्ट्र की धरती पर पहुंच कर काश्मीर से दक्षिण भारत तक साम्राज्य स्थापित कर लिया, इस भोग्या भूमि की भोग्या स्त्रियों ने अपने पुरुषों यथा पति, पुत्र, पिता का स्वाभिमान जगाकर उन्हें खदेड़ने की अपेक्षा स्वयं को न केवल भोगने के लिए समर्पित कर दिया वरन् अपने पति, पुत्र,पिता को उनकी सेनाओं में भर्ती होकर अपने ही राष्ट्र को उनके साथ रौंदकर उन विदेशी आक्रांताओं को मजबूत किया, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे वर्तमान कांग्रेसी उस विदेशी इटालियन बार बाला को सिर पर बैठाकर इस राष्ट्र की बेताज सामग्री जो कि पूर्णतः यूरोपीय और अमेरिकी विष सुंदरी का कार्य कर उन विदेशी बहुराष्ट्रीय कं. का राष्ट्र के प्राकृतिक संसाधनों व मानव निर्मित संसाढधनों को सौंपकर पुनः गुलाम बनाने पर तुली है और हमारे नेता चाहे पक्ष का हो या विपक्ष का सब उस बेताज महारानी की चंद टुकड़े खाकर हां में हां करने पर तुले हैं। उसी का परिणाम था खाद्य सुरक्षा व मानक अधि. 06, हमारे राष्ट्र की अन्न, दलहन, तिलहन के तो पैक करके बेच और राष्ट्र की जनता को बेरोजगार बना रहे हैं। अब ये विषाक्त सुंदरी राष्ट्र की 30 करोड़ जनता को जिसे गरीब कहा जाता है। उसे भिखारी बनाने के लिये खाद्य सुरक्षा कानून के नाम पर पहले सस्ता अनाज बेचकर नकारा बनायेगी। जब आलसी, मक्कार, स्वार्थियों को इसकी आदत पड़ जाएगी तो अपने तरीके से अपनी शर्तों पर नचायेगी।

यदि 30 करोड़ जनता गरीबों की श्रेणी में आती हैं, तो उसे सस्ता खाद्यान्न उपलब्ध करवाने की अपेक्षा स्वावलंबी बनाओ मेहनत कर अपने श्रम का सदुपयोग करना सिखाने, चीन की तरह उद्योग लगाने की अपेक्षा यहां के उद्योग धंधों को बंद करवाने, अत्यधिक परेशानियों और कानून में उलझाने का कार्य किया जा रहा है, खाद्य सुरक्षा मानक अधि. 06 के नाम पर 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को बेरोजगार बनाने काषड्यंत्र रच दिया जाता हैं, पिछले दो वर्षों में 10 लाख लोग रेलवे प्लेटफार्म पर खाद्य सामग्री, चाय-दूध बेचते थे, उन्हें बेरोजगार कर सारा ठेका बड़े-बड़े ठेकेदारों को सौंप दिया गया है। उन 10 लाख बेरोजगारों की तरह जो 10 करोड़ और बेरोजगार होंगे, वो इकट्ठे होकर राष्ट्र की सत्ता के विरुद्ध और पूंजीवादी शोषण के विरुद्ध बगावत न कर दे, इसलिये उनके लिये खाद्य सुरक्षा कानून लाने पर तुली है, ताकि अपने कुकर्मों का भांडा न फूट जायें। लोकतंत्र लूट तंत्र में बदल चुका है, सत्ताधीश पूंजीपतियों के गुलाम बन उनके हिसाब से कानून बनाकर, जनता के घोर शोषण के लिये हर कदम षड्यंत्र रच रहे हैं, ताकि जनता के वे 30 करोड़ स्वावलंबी न बन सके वरन् भिखारियों के लाइन में खड़े होकर इन गिद्धों के सामने गिड़गिड़ाते रहें और ये सत्ताधीश और पूंजीपति उन्हें टुकड़े डालकर पालतू श्वानों की तरह जनता के उन गरीबों को घोर गरीब बनाकर हांकते हुए उनकी बीबी-बेटियों को नोंच-भोग सकें। ये जालसाजों की सत्ताधीश फौज ये भूल जाती है कि आम आदमी की इसी कुंठा ने बड़े-बड़े शक्तिशाली साम्राज्य नष्ट कर दिये, सोवियत रुस जैसा महाशक्तिशाली राष्ट्र 27 टुकड़ों में बिखर गया, अमेरिका जैसे राष्ट्र पूंजीवादी शोषण के कारण खंड-खंड बिखरने वाले हैं। क्यों हमारी सत्ता को हांकने वाली कैब्रिज की ये बार बाला इस राष्ट्र को गुलाम बनाकर जनता का शोषण कर वृहत कुंठा को उपजाकर राष्ट्र की बर्बादी का कारण बना रही है। परिवहन, सड़कें, संचार, विद्युत के बाद पानी पर कंपनियों का कब्जा कर पानी के लिये भी तरसाना चाहती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था को नष्टकर क्यों पूंजीवादी शोषण की तरफ उन चंद यूरोपीय हाथों में खेलकर धकेल रही है। शायद राष्ट्र के देशी सत्ताधीशों को पसंद ही नहीं कि वे आजाद रहें, गरीबों को समृद्ध नहीं, उनके श्रम का उपयोग नहीं करके उन्हें घोर गरीबों की पीड़ा देकर उन्हें नक्सली बना दिया जाये, ताकि ये राष्ट्र की जनता सदा ही अपनी लड़ाइयों में ही उलझी रहे और ये सत्तासुख भोगते रहे। अभी भी वक्त है, राष्ट्र की जनता को स्वाभिमानी, समृद्ध बनायें, भिखारी नहीं। ताकि हमारी आजादी बरकरार रहे, जनता के मन में कुंठा और आक्रोश न पनपे, वह राष्ट्र के प्रति समर्पित रह सके।

शिशु मंदिरों से, विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्व विद्यालयों में माफिया साम्राज्य

शिक्षा के व्यापार में चारों तरफ मची है लूट-खसोट, जालसाजियां

अग्रिम छुट्टियों का, शिक्षण शुल्क, आरटीई में 90% में कोई नहीं, शा. संस्थान भी लूट और जालसाजी के अड्डे, 50 से 70% तक विद्यार्थियों को ऐटी केटी, 5वीं, 8वीं संभागीय स्तर पर ही परीक्षायें ली जायें अन्यथा बेड़ा गर्क

हमारे राष्ट्र में शिक्षा पूर्णतः व्यवसाय से ऊपर उठकर अब विद्यार्थियों और उनके पालकों से लूट और शिक्षा संस्थान के संचालकों रूपी सफेद पोश-डकैतों के अड्डों में बदल चुकी है। जहां कदम रखते ही विद्यार्थियों और उनके पालकों को उज्जवल भविष्य का खूबसूरत स्क्रीन सेवर दिखाकर मोटा प्रवेश शुल्क, शिक्षण शुल्क, क्रीड़ा शुल्क से शुरू होकर कहानी भवन निधि तक पहुंचते हुए पूरे वर्ष भर येन-केन प्रकरेण, कभी पिकनिक के नाम पर नर्सरी और प्राथमिक के बच्चों से भी रु. 500 से 5000/- फिर 15 अगस्त, 26 जन., 2 अक्टू. कल मेडम का जन्मदिन है, तो परसों सर का अगले 15 दिन बाद बड़े सर का, फिर प्रिंसीपल सर का, फिर राखी मनाने से लेकर होली मनाने तक की वसूली के नाम पर छोटे स्कूलों में सैकड़ों तो बड़े स्कूलों में हजारों रु. की वसूली का अनवरत सिलसिला चलता रहता है। जो कभी कोई गिनती में ही नहीं आते।

जबकि अकेले इंदौर में ही हर गली-चौराहों पर दो-चार कमरों में शिशु मंदिरों को चलाने से लेकर कालेजों तक को चलाया जा रहा है। बड़े-बड़े विज्ञापनों में यही समाचार पत्र जो अपने आप को समाज को सुधारने का बीड़ा उठाने की ढेरों हर दिन झूठी पुरस्कार लेते देते फोटो छापते हैं। ऐसे सैकड़ों फर्जी, स्तरहीन, जिनके पास न तो पूर्ण शिक्षित शिक्षक-शिक्षिकायें होते हैं पर्याप्त संख्या में न ही पुस्तकालय, प्रयोग शालायें, खेल के मैदान न ढंग की बैठने की सुविधायें, जो सैकड़ों बार झूठे प्रमाण-पत्रों को अंकसूची बनाने, नकल करवाने, फर्जी प्रमाणपत्रों के आधार पर कक्षाओं में प्रवेश देने आदि कांडों में पकड़े जाकर भी धड़ल्ले से स्कूल और कालेज चला रहे हैं। 99% स्कूलों, कॉलेजों में ऐसे सैकड़ों प्रकरण जो जालसाजियों से जुड़े होने के बाद भी न तो उनकी मान्यतायें रद्द की जाती हैं, न ही उनके खिलाफ थानों में एफआईआर लिखी गई है और कईयों की तो एफआईआर भी लिखी गयी, प्रकरण भी न्यायालय में चल रहे होने के बाद भी स्कूलों को वर्षों बाद भी बंद नहीं किया गया, वर्तमान में तो न केवल स्कूलों, कॉलेजों के फर्जीवाड़े तो बहुत आम हो गये अब तो शासकीय विश्वविद्यालयों के भी यही हाल हैं। प्रदेश के सभी शासकीय और निजी विश्वविद्यालयों में भी जालसाजियों, लूट और वसूली के आयाम स्थापित किये जा रहे हैं। हालात ये हैं कि 50 से 80% विद्यार्थियों से वसूली के लिये ही चाहे तो पेशेवर स्नातक पाठ्यक्रम हो या साधारण स्नातक पाठ्यक्रम यथा कला, वाणिज्य, विज्ञान, कंम्प्यूटर, प्रबंधन, अभियांत्रिकीय, चिकित्सा आदि सभी में हर अर्द्धवार्षिकी परीक्षाओं में सभी में ऐटी-केटी और ऐटी-केटी में भी ऐटीकेटी देकर लाखों विद्यार्थियों का भविष्य बर्बाद करने पर तुले हैं। अब शिक्षा केवल लुटेरे, सफेदपोश डकैतों का व्यवसाय बन चुकी हैं, जिसमें सभी शासकीय अधिकारी और कर्मचारी चाहे वो शिक्षा विभाग के हों जिसमें जिलाधीश कार्यालयों से लेकर जिला शिक्षा अधिकारी, लोक शिक्षण संस्थान, म.प्र. व अन्य राज्यों के उच्चतर माध्यमिक शिक्षा मंडलों, उच्च शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग, चिकित्सा मेषज व औषधि विज्ञान शिक्षा आदि अधिकांश का एकमात्र उद्देश्य पैसा लाओ और क्या चाहिए सब ले जाओ, यथा मान्यता, अनुज्ञा, अनापत्ति से लेकर फर्जी छात्रों की संख्या दिखाकर कमीशन दो और छात्रवृत्तियां, शिक्षा के अधिकार में दी गई गरीब छात्रों की शिक्षा की क्षतिपूर्ति आदि व अन्य शासकीय भुगतान शिक्षा से संबंधित अन्य सुविधाओं के साथ सब ले जाओ, वैसे निजी संस्थान अपने संस्थानों में शासकीय सुविधायें व अन्य औपचारिकतायें निभाने पूरी करने जिसमें प्रवेश, प्रमाण-पत्र, अनापत्ति मान्यता, परीक्षा केन्द्र बनवाने के लिये न केवल इन सरकारी कर्मचारियों-अधिकारियों को न केवल धन वरन सुरा सुंदरी की सेवाओं की ऐतिहासिक परंपराओं का निर्वहन करते आ रहे हैं। फिर शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग में धन, सुरा-सुंदरियों की प्रस्तुति पर कौन सा आई.ए.एस., मंत्री ऐसा हैं, जो प्रायोजक को उसकी इच्छा अनुसार सारी औपचारिकतायें पूरी करने के लिये बाध्य नहीं होगा।

अधिकांश निजी शिक्षण संस्थायें प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षण संस्थायें तक विद्यार्थी को भले ही पढ़ायें या न पढ़ायें, परन्तु फर्जी अंक सूची प्रमाण-पत्र बांटने की चाय-पान, गुटखा सिगरेट की दुकानों से ज्यादा गई बीती हो चुकी हैं। जिन्होंने एक तरफ लूट, वसूली के लिये विद्यार्थियों को प्रताड़ित करने, पिटाई करने, षड्यंत्रों के आधार पर पुलिस केस बनवाने तक के कारनामे रचे हैं, तो वहीं दूसरी ओर 70 से 80% ऐसे विद्यालयों जिनमें पहली से 9वीं तक स्कूलों को परीक्षायें लेनी थीं, वहां के विद्यार्थियों को उन स्कूल संचालकों ने हर वर्ष आंखें मींचकर पास करते गये, 10वीं में जाने के बाद मालूम पड़ा बच्चों का स्तर तो 5वीं से भी गया बीता है।

म.प्र. शासन के शिक्षा विभाग को हर हाल में पुनः 5वीं और 8वीं की जिला और संभाग स्तर पर ही परीक्षायें करवानी चाहिये, अन्यथा न केवल सरकारी और निजी शिक्षण संस्थायें दोनों ही निरकुंश हो छात्रों का जीवन ही बर्बाद कर रही हैं। 9 वर्ष के शिक्षण काल का स्तर इतना गिरा हुआ है कि बच्चों को 13, 17, 19 का पहाड़ा तो दूर ढंग से समाचार पत्र पढ़ने योग्य भी नहीं रह गये हैं। 10वीं नकल करवाने वाले केन्द्रों पर बैठाकर या ओपन स्कूल आदि से पास कर ली वहीं 12वीं में भी पुनर्रावृत्ति की गई और 12वीं की अंकसूची के बाद विद्यार्थियों ने इंजीनियरिंग में प्रवेश ले लिया। 2-3 वर्ष के इंजीनियरिंग के छात्रों को पैथागोरस प्रमेय नहीं मालूम, बीजगणित, त्रिकोणमिती, केलकुलस नहीं मालूम, यदि ऐसे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, निजी शिक्षण संस्थाओं से पास होकर निकल भी गये तो राष्ट्र का आने वाला भविष्य क्या होगा? इसलिये शासन के धूर्तों, शिक्षाविदों और अधिकारियों को चाहिए कि न केवल 5वीं, 8वीं की संभागीय स्तर पर ही परीक्षा ली जायें ताकि शुरू से ही न केवल निजी वरन् सरकारी संस्थायें कड़ी मेहनत करवायें और विद्यार्थी योग्य बन सकें, अन्यथा शिक्षण

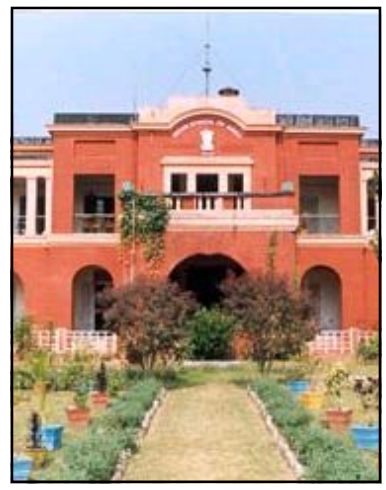

माफियाओं को धन कमाने के अतिरिक्त कोई काम नहीं, उन्हें मतलब नहीं कि विद्यार्थियों का, समाज का और राष्ट्र का भविष्य क्या होगा, ऐसे नकारा इंजीनियर, डॉक्टरों की, भेषन विज्ञानियों प्रबंधन, कम्प्यूटर विज्ञानियों की फौज केवल डिग्रियां और अंकसूचियां लेकर घूमेगी, जिसके पास ज्ञान का घोर अभाव होगा, वह न केवल स्वयं को अपने माताओं-पिताओं, संरक्षकों, शिक्षण संस्थाओं को, सरकार को कोसकर, न केवल अपनी अपने परिवार, समाज और राष्ट्र का भविष्य बर्बाद करेगी, जो राष्ट्र की बर्बादी का शताब्दियों तक के लिये कारण बनेगा। वर्तमान में भारत के भ्रष्टाचार, सत्ताधीशों द्वारा कानून और राष्ट्र और राष्ट्र की जनता के साथ खिलवाड़ पूरे विश्व में बदनामी का चारों ओर न केवल कारण बना हुआ है वरन् पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव जैसे छोटे से राष्ट्रों को हम पर गुर्राने का मौका देता हैं, जबकि चीन, अमेरिका जैसे राष्ट्र तो पूरा इसी भ्रष्टाचार के दम पर हजम कर जाने की ताक में हैं।

विश्व स्तर पर हमारे राष्ट्र का सिक्का केवल हमारी ठोस बुनियादी शिक्षा के आधार पर ही हमारी वर्तमान उच्च शिक्षित पीढ़ी के कारण ही पूरी दुनिया में चल रहा है, पर यदि वर्तमान में शिक्षा पर जिस तरह से माफियाओं का साफा छाया है, अगले 5-10 वर्ष में हमारी युवा होती पीढ़ी भी उसी तरह बर्बाद होगी जैसी कि पूरे यूरोप और अमेरिका की हो चुकी है, जिसके पास डिग्रियां और अंकसूचियां तो हैं परन्तु ज्ञान, वास्तव में कुछ भी नहीं, पिछले 15 वर्षों से ज्यादा समय से अमेरिकी राष्ट्रपति जिसमें बिल क्लिंटन से लेकर बराक ओबामा तक राष्ट्रीय सार्वजनिक मंचों से युवा पीढ़ी को पढ़ने के लिए कह रहे हैं पर युवा पीढ़ी कंडोम में लिपटकर चड्डियों में बहकर शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर हो रही है। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य तो ये हैं कि हमारी केंद्रीय सरकार एक तरफ तो 2% शिक्षा सेस पेट्रोल, डीजल व अन्य सेवाओं पर वसूल रही हैं, संविधान में भी मुफ्त शिक्षा की अनिवार्यता सरकारों पर डाली गई हैं, इसके विपरीत दूसरी ओर शिक्षा में बढ़ती व्यावसायिकता, जालसाजियों और कमाई के लिये वे ही मंत्री, मुख्यमंत्री, केन्द्र सरकार के मंत्री निजी क्षेत्रों में न केवल प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर साधारण डिग्री कोर्सेस से लेकर तकनीकी, मेडिकल, शिक्षा आदि में बढ़ावा दे रहे हैं, वरन् ढेरों विश्वविद्यालयों तक को जालसाजियों के लूट के लिए ही बढ़ावा दिया जा रहा हैं, जिनके विरोध में सर्वोच्च न्यायालय तक वर्षों पहले ही अनेकों टिप्पणियां कर चुका हैं।

भ्रष्ट और जालसाज अधिकारी नहीं देते महत्व

सू.अ.अधि.05 के अंतर्गत हर जिलों में हो न्यायालय

99% भ्रष्ट अधिकारी अपने बाप की जागीर समझते हैं। विभागीय अधिकारी, अंधे होकर खारिज करते हैं अपीलें, दूसरी अपील में आयोग में 10 माह से कोई आयुक्त नहीं। बाकी सारा स्टॉफ भी जालसाजों का गिरोह है। आयोग से तात्पर्य ही है आय का योग

भारत भ्रष्टाचार, जालसाजी और लूट का आयाम स्थापित करने में भले ही हमारे राष्ट्र के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का कोई जोड़ीदार प्रधानमंत्री देश और दुनिया में न भी हो, तो भी राष्ट्र की आजादी के 58वें वर्ष में इसी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मोथरा, नपुंसक और नकारा ही सही जो कानून सूचना का अधिकार बना कर लागू किया और उसको व्यवहार में लाने के लिये सैकड़ों करोड़ हर राज्य के हर विभाग के अधिकारी को उपलब्ध करवाकर डकारने का मौका दिया वह भी कम प्रशंसनीय नहीं था, जिससे पूरे राष्ट्र के हर विभाग यहां तक कि हमारी न्यायिक व्यवस्था भी नीचे से ऊपर तक चौंक उठी थीं, उसको 5 अप्रैल 2005 से लागू करने समझने के लिये 3 माह का समय दिया गया और अगले 3 माह में उसकी व्यवस्थायें करने और 12 अक्टूबर 2005 से लागू कर जनता को अवसर दिया गया कि वह सरकारी कामकाज की जानकारी प्राप्त कर सकती हैं। इस कानून को इतना ढीला कमजोर और नपुंसक कानून बनाया गया कि इसकी व्याख्या हमारे राष्ट्र की भ्रष्ट और जालसाज केन्द्र व राज्य की न्यायिक व्यवस्थाओं से लेकर प्रशासनिक, पुलिस व अन्य सभी विभागों ने अपने-अपने तरह से कर ली और आम नागरिक जो जानकारी प्राप्त करना चाहता है उसको पुनः भारी भूल भलैय्या में धकेल दिया गया, जहां उसे जानकारी न मिलने पर पहली अपील उसके ही वरिष्ठ अधिकारी को सुनने का अधिकार दिया गया, स्वाभाविक था कि कनिष्ठ अधिकारी के विरुद्ध वरिष्ठ अधिकारी क्यों कोई अप्रिय निर्णय देगा, वह अपने कनिष्ठ की हर गलती को नजरअंदाज करके उसके ही निर्णय का पारित करेगा जैसा कि पूरे देश में 99% प्रकरणों में हो रहा है। फिर आवेदक उन दोनों के विरुद्ध सूचना आयोग में गया तो भी वहां पहले तो अधिकांश सरकारों ने उन्हीं भ्रष्ट और खास जालसाजोंको सूचना आयुक्त और मुख्य आयुक्त बनाया जो सरकार के विरुद्ध न जायें, दूसरा उन्हें न्यायिक प्रक्रिया से कोई मतलब ही नहीं था वे सब भी शासकीय सुविधायें और धन कमाने के लिये आये थे तो सभी केन्द्र व राज्यों के सूचना आयुक्तों ने अनावेदक से धन डकार कर आंख मींचकर अपीलों को निरस्त करते रहें। दूसरी ओर सूचना आयुक्तों और मुख्य सूचना आयुक्तों को कोई न्यायिक प्रशिक्षण नहीं दिया गया जिससे वे न्यायिक प्रक्रिया पूरी कर सकें। यहां तक कि आवेदक की अपील पर अनावेदक से लिखित जवाब मांग अपील की सुनवाई में बुलाने से पूर्व अनावेदक का जवाब प्राकृतिक न्याय के अनुकूल और आवश्यकतानुसार आवेदक को नहीं भेजा जाता, न विभागीय प्रथम अपीलीय अधिकारी भेजता हैं, न ही कोई सूचना आयुक्तों ने आयोग से भेजा कभी भी किसी आवेदक को और सीधे ही सुनवाई में बुलवा लिया जाता है। अर्थात प्रथम अपीलीय अधिकारी और आयोग दोनों ही न्याय के प्राकृतिक नियम का ही खुला उल्लंघन करते आ रहे हैं। इससे अनावेदक को बचाने का पूरा मौका दिया गया, जब अनावेदक का जवाब ही नहीं मिला तो आवेदक सुनवाई में उपस्थित होकर भी खास कुछ नहीं कर पाता और अनावेदक बच जाता है। फिर दंड की बात तो बहुत दूर, प्रथम अपीलीय अधिकारी चूंकि विभागीय होता है वह शूकर तो केवल प्रथम अपील की औपचारिकतायें निभाकर हर हाल में अपने कनिष्ठों के हर कृत्य का आंख मींचकर समर्थन करता है और येन-केन-प्रकरेण अपील रद्द या नस्तीबद्ध कर देता है, दूसरी अपील में मुख्य सूचना आयुक्त का तो 10 माह से पता ही नहीं है, ये है म.प्र. की ईमानदारी पसंद पारदर्शी सरकार का नमूना, फिर वहां भी बाबुओं, अधीक्षक और सचिवों की फौज भी महा निकम्मी और जालसाज है यदि आवेदक ने एक बार में 5 अपीलें भेजी हैं तो मात्र ये तारीख को भेजी अपील का क्र. दे देंगे, किसके विरुद्ध किस प्रकरण की वह कुछ भी नहीं और वह जवाब भी वर्ष दो वर्ष बाद भी मिल जाये तो आवेदक पर अहसान कर देते हैं।

वैसे तो केन्द्र सरकार का महाभ्रष्ट, निकम्मा, धूर्त प्र.मं. मनमोहन की मंशा तो इस कानून को समाप्त करने की ही थी, ताकि इन गिद्धों की नोंच खसोंट पर जनता अंगुली ही न उठा सके और ये जनता के धन को बाप की जागीर समझ कर विदेशों में जमा करते रहें। इसमें संशोधन करके आप के योग बनाने वाले आयोगों को समाप्त करके हर जिला न्यायालयों में सूचना न्यायालय खोले, जहां आवेदक बिना वकील के ही अपनी पहली और दूसरी अपील का तीन माह में निराकरण कर जानकारी प्राप्त कर सकें। पूर्व के सारे सर्कुलर्स जो केंद्रीय व राज्यों कार्मिक, पेंशन, जनशिकायत मंत्रालय ने राष्ट्र के केंद्रीय सूचना आयुक्तों और राज्यों के मुख्य सूचना व अन्य आयुक्तों ने निर्णय पारित किये हैं। उनको औचित्यहीन किया जाता और यथावत कानून का केन्द्र व राज्य सरकारों से पालन करवाने के लिये ये जिला न्यायालयों में सूचना न्यायालय हर जिले, संभाग व राज्य स्तर पर जिम्मेदारी से संपन्न करें ताकि जमीन के नीचे तक भ्रष्टाचार के जाल पर अंकुश लगाया जाकर जनता को राहत दी जा सके।

इन जालसाज सूचना आयुक्तों ने शासकीय अधिकारियों को बचाने, भ्रष्टाचार को छुपाने, अपने आकाओं को दिखाने, ऐसे निर्णय दिये जो सूचना अधिकार अधि. 05 के अंतर्गत आवेदक को आसानी से उन निर्णयों को आधार पर जानकारी देने से साफ मना कर देते हैं। दूसरी और इस अधिनियम का सबसे ज्यादा बलात्कार और उसकी पारदर्शिता की मंशा को नष्ट करने में न केवल केंद्रीय कानून मंत्रालय से लेकर प्रधानमंत्री और कार्मिक, पेंशन और जन कष्ट निवारण मंत्रालय ने कर दिये, ताकि कोई भी अधिकारी, जिसमें केंद्रीय सरकार 90% कार्यालय रेलवे, बैंकिंग, बीमा, आयकर, कस्टम व एक्साइज, डाकतार, भ्रष्टाचारी शूकर निकम्मा लि., आदि जिनकी शाखायें पूरे राष्ट्र में फैली हैं। कोई भी जानकारी सूचना के अधिकार में देने की अपेक्षा केवल दलीलें, कारण जैसी बकवास लिखकर भेजते हैं, हरामखोर, दूसरी ओर पत्र देंगे तो न तो उसमें कार्यालय का पूरा नाम, पता, फोन नं, ईमेल देते हैं और न ही हस्ताक्षर करने वाले लोक प्राधिकारी का नाम होता है, जवाब के नाम खाली लिफाफे भेजने से लेकर जानकारी के पैसे जमा करवाकर भी चाही गई जानकारी से अलग कुछ भी रद्दी के ढेर की फोटो कॉपियां पकड़ा दी जाती हैं। फिर उनके प्रथम अपीलीय अधिकारी की भी जानकारी नहीं होती तो किसे अपील की जायें, आवेदक ने खोजबीन और पूछताछ के जरिये मालूम कर भी लिया तो मालूम पड़ता है कि वही प्राधिकारी उसका अपीलीय अधिकारी भी घोषित हो चुका हैं, या उसका वरिष्ठ अधिकारी उसका अपीलीय अधिकारी भी हैं, तो जो वरिष्ठ कनिष्ठ से महीना वसूली कर रहा हैं और उसके साथ वर्षों से कार्यरत हैं, तो धरती पर कौन सा मूर्ख होगा कि अपने कनिष्ठ के विरुद्ध कोई फैसला देकर आवेदक को जानकारी दिलवाने या राहत देने का कार्य करेगा, फिर यदि केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग में चला भी गया तो वहां वर्षों तक धूल खाने के बाद अपील की सुनवाई हो भी गई तो सारे आयोग आय के योग होते हैं जो वहां बैठे धूर्तों के लिये हर अपील उनके आय के योगों में वृद्धि ही करती हैं, वहां बैठे शूकरों की फौज ने अगर म.प्र. को ही लें तो कितने आवेदकों को जानकारी प्राप्त न होने से हुई क्षतिपूर्ति धारा 19 (8) स के अंतर्गत भुगतान करवाई एक भी नहीं और न ही धारा 19 (8) ब के अंतर्गत 5 वर्षों में सैकड़ों अपीलों ने 1% लोक प्राधिकारियों पर रु. 25000/- का जुर्माना ठोंका, 90% आवेदकों की अपीलें निरस्त कर दी गई। आने-जाने का किराया, पूरे दिन की बर्बादी अलग से चिपकी तो अलग। सूचना अधिकार अधि.05 को लागू हुए 8 वर्ष हो चुके हैं। क्या केन्द्र सरकार उसके मंत्रालयों, यहां तक कि क्या स्वयं प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना के अधिकार अधि. 05 की धारा 4 और उसके अ, ब के 17 बिन्दुओं की जानकारी उसमें लोड की गई, नहीं की गई, क्योंकि लाखों करोड़ के जहां कदम-कदम पर भ्रष्टाचार, जालसाजियां की जा रही हों, वहां बैठा चपरासी से लेकर सारे बाबुओं से लेकर सचिवों, सलाहकारों से लेकर प्र.मं. मनमोहन तक हजारों कालसर्प राष्ट्र के स्त्रोतों और जनता को डसने और निगलने में लगे हो उनसे कैसे उम्मीद की जा सकती है कि वो पारदर्शिता का अनुसरण करेंगे, तो फिर केंद्रीय मंत्रालयों, कार्यालयों से लेकर राज्यों के मुख्यमंत्रियों, मंत्रालयों और कार्यालयों तक जो ग्राम पंचायतों तक फैले हैं। तो पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त हो कार्य करेंगे और धारा 4 का पालन कर सारी जानकारी ऑनलाइन करेंगे, ताकि कम से कम जनता को मालूम पड़ सके कि करों के बहाने लूटा और वसूला गया धन का सत्तायें कैसे सदुपयोग, उपयोग और दुरुपयोग कर रही है। कोई भी सत्ताधीश धूर्त, मक्कार, जालसाज, हरामखोर, भ्रष्ट चाहे वह प्रधानमंत्री हो या प्रशासन की सबसे छोटी ईकाई ग्राम पंचायतों के पढ़े-लिखे सरपंचों, सचिवों से लेकर अंगूठा तक अपने कुकर्मों का काला चिट्ठा किसी के हाथ लगे और तो बदनामी से लेकर उपयुक्त कारागार की सजा का पात्र बने, इसलिये किसी की भी इच्छा नहीं कि सूचना के अधिकार में जानकारी दे या जानकारी ऑनलाइन करें।

(शेष पेज 10 पर)

चीन पीछे नहीं हटेगा, बिना युद्ध के

पेज 1 का शेष

बांग्लादेशी अपने देश के लोगों को भारत भेजते हैं। हमारी सीमा सुरक्षा बल के जवान हर व्यक्ति से रु. 1000-2000 लेकर चुपचाप देश में घुसेड़ लेते हैं। तो हमारी सीमा सुरक्षा बल के जवानों की आंखें निकाल लेते हैं। हम कोरी शब्दों की गोलियां चलाकर चुप हो जाते हैं। ये खबरें देश की जनता का तो मनोबल तोड़ती ही हैं साथ ही चीनियों का मनोबल बढ़ाती हैं। जिसकी सीधी खबरें चीनी दूतावास से चीन तक जाती हैं।

हमने कमीशन के लिये ही अपने उद्योगों को बर्बाद करते हुए अपने बाजारों में चीनी माल की घुसपैठ करवाई आज हालात ये हैं कि हमारे बाजारों में चीनी माल हर तरह का यहां तक कि हिन्दुओं के त्योहारों की राखियां, फटाकों, सजावटी सामग्री से लेकर होली के रंग और पिचकारियां तक चीन में बनी हुई बिक रही हैं। जबकि कम्प्यूटर, मोबाइल घड़ियां, पेनड्राइव मेमोरी कार्ड पर तो उसका एकछत्र एकाधिकार है। उसका तो भारतीय बाजारों में कोई विकल्प ही नहीं है। इसका विकल्प तलाश और राष्ट्र में ही हर सामग्री का उत्पादन करना शुरू करने के साथ ही चीन के विश्व में फैले प्रतिस्पर्धात्मक बाजार में गुणवत्तायुक्त माल निर्यात कर कब्जा कर चीन की अर्थव्यवस्था को बिगाड़ कर बड़े ही कूटनीतिक तरीके से मात दी जा सकती है, इससे उसके आधे मंसूबे ध्वस्त किये जा सकते हैं पर इसके लिये ईमानदार प्रयासों की जरूरत है, जो अगले तीन साल में चीन की हर वस्तु का बाजार पूरे देश और विदेशों में आसानी से बिगाड़ सके, वर्तमान में भारत की सबसे युवा, शिक्षित और कर्मठ करोड़ों की फौज उत्पादन के लिए तैयार खड़ी है, बशर्ते इमानदारी से सार्थक तरीकों से हम उसका उपयोग कर सकें। जबकि चीन अधिकांश कार्यशील जनता 40 से 60 के बीच पहुंच चुकी है, जोकि तन-मन से शोषित की जा चुकी है। जो कि हमारे लिये सबसे बड़ा घनात्मक पहलु हैं।

इसके साथ ही हमें 3488 कि.मी. लंबी चीन और भारत की सीमा पर शीघ्र ही कम से कम 4000 चौकियां, 40,000 बंकर बनाने चाहिये, हमारी फौज जो मात्र 14 लाख है उसे भी 5 गुना बढ़ाकर 70 लाख करना चाहिये। आजाद काश्मीर से कच्छ की खाड़ी तक 2000 कि.मी. से ज्यादा लंबी पाकिस्तानी सीमा पर भी 2500 चौकियां और 20,000 से ज्यादा बंकर बनाकर तैयार रहना चाहिए चीन और पाकिस्तान के साथ हमें एकसाथ युद्ध करना पड़ सकता हैं, इसलिए चीन और पाकिस्तान की संयुक्त सैन्य शक्ति से डेढ़ गुना हथियार जिसमें कम से कम 500 से ज्यादा परमाणु हथियार शीघ्र विकसित करने होंगे क्योंकि पाकिस्तान के पास 100 के लगभग परमाणु बमों के बारे में अंतरराष्ट्रीय और अमेरिकी एजेंसियां भी कह चुकी है। जबकि चीन अकेले के पास 1000 से ज्यादा परमाणु बमों का जखीरा हो सकता है। चीन की वायुसेना में 3000 से ज्यादा लड़ाकू विमान और पाकिस्तान के पास 800 विमान हैं। इस तुलना में हमारे पास सभी पुराने लगभग 900 विमान हैं। हमें पाकिस्तान से जल-थल और वायु तीनों में ही युद्ध करना है और चीन से थल और वायु में तो युद्ध करना ही पड़ेगा। साथ ही पूर्वी दक्षिणी सीमा पर हमें चीन के साथ श्रीलंका से भी युद्ध करना पड़ सकता है।

हमारी सरकारों के निकम्मे प्रधानमंत्रियों, रक्षामंत्रियों और गृहमंत्रियों ने पाकिस्तान और चीन के मामलों में जनता को कभी न तो सच बताया और न ही दोनों के साथ युद्ध करने की क्षमताओं को दोनों की तुलना में विकसित किया, कभी 10 कि.मी. कभी 19 कि.मी. अंदर आने की सच्चाइयों से बढ़कर चीन अरुणाचल प्रदेश में 40 कि.मी. तक अंदर सन् 2000 से अपने हेलिकाप्टर उतारकर सैन्य गतिविधियां चलाता आरहा है। सच तो ये भी है, कि उसे हमारे देश की कमजोरी हर महत्वपूर्ण संस्थान रेल, बिजली और संचार के हर साधनों की हमसे ज्यादा जानकारियां हैं। कई परियोजनाओं में चीनी जासूस भारत में पिछले 20 से ज्यादा वर्षों से बैठे है।

काश्मीर से कन्याकुमारी और मुंबई से मिजोरम तक 50,000 से ज्यादा वीजा पर सामने से वैधानिक तरीकों से जबकि नेपाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम से लाखों चीनी भारत की सीमा में न केवल आ कर रह रहे हैं वरन नक्सलियों, माओवादियों को तो पूरे बंगाल में असम से लेकर केरल, आंध्रप्रदेश, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के जंगलों में आतंकी गतिविधियां भी चला रहे हैं। जिस पर हमारी न केवल केन्द्र सरकार व सभी राज्य सरकारें भारी उदासीनता अपना रही हैं। जो युद्ध के समय आतंरिक रूप से भी पंगु बनाने की कोशिश करेंगे, दूसरी ओर देश में बढ़ते पूंजीवादी जालसाजियों भ्रष्टाचार से जो जनता पीड़ित हो रही है, वह आक्रोश चीन के लिये न केवल उत्तरी-पूर्वी भारत के राज्यों में घनात्मक सिद्ध होगा।

साप्ताहिक समय माया

खाद्य सुरक्षा बिल- जनता के पोषण नहीं शोषण के लिए

बहुराष्ट्रीय कंपनी के पोषण से सत्ताधीशों को कमीशन और वोट

हर कानून को लागू करने से पहले प्रकाशित क्यों नहीं किया और जनता की राय क्यों नहीं दी

यूरोपियन एजेन्ट और इस राष्ट्र की तथाकथित इटालियन बहु इस राष्ट्र की सत्ता को कैसे यूरोपियन बहुराष्ट्रीय कं. के हवाले कर कैसे कमीशन बटोर रही है, कैसे बहुराष्ट्रीय कं. वालमार्ट ने लाबिंग करके राष्ट्र में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम लागू करवा दिया, जिसकी कहानी वर्षों बाद 2012-13 में सामने आई, जबकि समय माया ने इसे पास करने के साथ ही इसे सन् 2006-07 से ही यथार्थ की जो दृष्यावली प्रस्तुत की थी उससे ज्यादा घातक रुप में सामने आ चुकी है, पेक्ड फूड में पुराना वासी, संरक्षणकारी, फफूंदनाशक, कीटनाशक रसायनों युद्ध भोजन रेल्वे में और उसके प्लेटफार्मों पर दुगुनी-तिगुनी कीमत पर मिलता है और यात्री बोलता, कहता है, तो चलती ट्रेन से बाहर फेंकने की घटनायें भी घट चुकी है। इस ठेकेदारी और पेक्ड फूड के चक्कर में 3000 से ज्यादा स्टेशनों को 10000 से ज्यादा प्लेटफार्मों पर ठेले और दुकानों पर खाद्य सामग्री बेचने वाले 10 लाख से ज्यादा लोग बेरोजगार करके भगाये जा चुके हैं। अब पूरा रेलवे विभाग इन ठेकेदारों से महीना बटोरकर उनके इशारों पर नाचता हैं, प्लेटफार्मों पर ठंडे पानी की तो दूर गर्म पानी भी मुश्किल से मिलता हैं।

वर्तमान में यही इटालियन सोनिया जो राष्ट्र की असली मालकिन उस पैदल मनमोहन को चला रही हैं, उसके माध्यम जिस खाद्य सुरक्षा बिल को पास करवाने के लिये जो षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। तत्काल उसे वो कितने ही लाभकारी सिद्ध करे और 30 करोड़ गरीब लोगों की भूख मिटाने और दो वक्त की रोटी की गारंटी का बिल बताये, पर यथार्थ में भविष्य में उन तीस करोड़ लोगों से वोट के स्थायित्व की गारंटी बन जायेगा, जो सत्ता हांकने और नोंच खसोट का स्थायी इलाज का साधन ही सिद्ध होगा। दूसरी ओर मनरेगा की तरह यह धन भी जिलों की पंचायतों के माध्यम से ग्राम पंचायतों के सरपंचों, फिर सरपंचों से गांव के लोगों तक मनरेगा के धन के बंदरबांट की तरह इसकी बंदरबांट होगी। इस भ्रष्टाचार का हल्ला मचेगा, जिसको दूर करने के लिए बहुराष्ट्रीय कं. को ठेका दे दिया जाएगा जिससे इन बहुराष्ट्रीय कं. की घुसपैठ सीधे गांवों तक होगी और शहरों के गरीबों की बस्ती में भी इनका पेक्ड फूड बहुत ही नाममात्र दरों पर पहुंचेगा, फिर उसकी आड़ उस खाद्य पदार्थों की कीमत वसूलने के लिये मोबाइल, टीवी, मकान, वस्त्र, शिक्षा और गुलामों से मुफ्त के कार्य के बदले सुविधायें देने के नाम पर वसूली कर ली जायेगी, उन 30 करोड़ से ज्यादा गरीबों को तभी अनाज मिलेगा, जब वोट के साथ अन्य शर्तों का पूरा करने की गारंटी मिलेगी, क्योंकि आजादी के बाद से कांग्रेस का इतिहास रहा है कि वो जनहित का दिखावा कर अपनी कमाई की व्यवस्था ही सबसे पहले करती हैं और गिद्धों से जनहित की बातें करना और सोचना भी बड़ा बेमानी लगता है, इतिहास गवाह है कि उसने न केवल जनता को राशन यथा गेहूं, चावल, दाल, शक्कर देने के लिये करोड़ों लोगों को राशन की दुकान में खड़े रखना उसका शोक रहा है, फोन वाहन के लिये 5 से 10 वर्ष के नंबर लगा करते थे, दूसरी ओर भारत की सत्ता इटालियन सोनिया और उसके यूपीए के गिद्ध गिरोह के बाप की जागीर नहीं है। न ही कानून इनकी रखैल जो जनमन से जनता पर लाद दिया, आखिर किसी भी बिल और कानून बनाने के साथ जनता के सामने उसे समझने, पढ़ने, चिंतन करने के लिये ब्रिटेन की तरह प्रकाशित क्यों नहीं किया जाता, ताकि उसकी अच्छाई-बुराई को भविष्य के प्रभावों पर जनता अपनी राय दें सके, ये जालसाज सत्ताधीशों की फौज कोई भी कार्य बिना अपनी कमाई और कमीशन के बिना नहीं करती, तो फिर खाद्य सुरक्षा बिल से कैसे उम्मीद की जा सकती है कि वह भविष्य में जनता को लाभकारी होगा।

धूर्त सत्ताधीशों, सत्ता और कानून तुम्हारे बाप की जागीर नहीं

जल पर व्यावसायिकता, नियामक आयोग के विरुद्ध अपील नहीं

सड़कों, बिजली के बाद पानी पर डकैती-गुलामी की ओर बढ़ते कदम

अमेरिकी और यूरोपीय धूर्तों द्वारा चलाया, विश्व का संगठन संयुक्त राष्ट्र बनाम संयुक्त शैतान संघ का विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन के शैतानों का उद्देश्य था कि विश्व के सभी राष्ट्रों की आर्थिक प्रगति के नाम पर वहां की सत्ताओं को ऋण बांटो, भ्रष्ट बनाओ और ऋण चुकाने के नाम पर उस राष्ट्र के संस्थानों पर कब्जा जमाओ। हमारे राष्ट्र में भी उसके दुष्परिणामों की चारों तरफ बौछार होने लगी है, सत्तायें केंद्रीय और राज्यों की, चाहे वे भाजपा के मुखेरे जानवरों की पार्टी हो या कांग्रेस की करप्शन ओरियेंटेड नोटोरियस गैंग ऑफ रिसोर्सिंग एक्सटार्शन एंड सकिंग सर्विसेज, सबका उद्देश्य राष्ट्र के संसाधनों का और जनता का जैसे भी हो घोर शोषण करना, इसके लिये 1970 के बाद से बनाये गये अधिकांश कानूनों का मूल उद्देश्य, अपनी कमाई और जनता का शोषण ही रहा, चाहे वह आयोडीन नमक कानून हो, खाद्य सुरक्षा और मानक अधि. 06 आगे पेश होने वाला खाद्य सुरक्षा कानून हो।

इन हरामखोर गिद्ध प्रधानमंत्रियों, मंत्रियों और इंडियन एव्यूसिंग सर्विस अधिकारियों ने अपने कमीशन और कमाई के लिये राष्ट्र के जन-धन से निर्मित सबसे महत्वपूर्ण सड़कों को पूंजीपतियों के हवाले कर सड़कों पर वाहन दौड़ाने की वसूली शुरू करवा दी, अब चाहे बीओटी ठेके ठेकेदार सड़कों का रखरखाव करे न करे, गुजरने पर पैसा देना ही होगा वरन् उनके गुंडे लठैत आपकी पिटाई करने से लेकर गाड़ियों में तोड़-फोड़ कर देते हैं। इसके बाद बिजली का क्रम आया, मंडलों का विघटन करके कं. बनाई अब कं. के गुंडे आपके मीटर की रीडिंग कुछ भी हो वो कई गुना ज्यादा का बिल देंगे और बिल का भुगतान न कर सकने पर गिरफ्तारी कर जेल भेज देंगे। विद्युत नियामक आयोग हर वर्ष डकैत प्रबंध संचालकों, इंजीनियरों की डकैती और हजारों करोड़ की लूट को कानूनी आवश्यकता बताकर, घाटे मानकर बिजली की हर वर्ष दो बार कीमतें बढ़ायेगा और जनता का सिर झुकाकर देना पड़ेगी, इन सत्ताधीश भ्रष्टाचार की गंदगी में लोट लगाने वाले शूकरों का दिल इससे भी नहीं भरा तो उन्होंने पानी पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया इसके लिये पहले इन सफेदपोश नीचों ने जल निगम बनाया, दो महीने भी नहीं गुजरे और निगम ने ढंग से काम करना भी शुरू नहीं किया था कि उसकी लूट, डकैती की सुरक्षा के लिये न केवल जल नियामक आयोग बना दिया वरन सत्ता और कानून को अपने बाप की जागीर मान उसके विरुद्ध न्यायालय में अपील करने का अधिकार ही नहीं दिया ताकि ये जंगली श्वानों की फौज जनता से जल के नाम कैसे नोंच-खसोट करे, कोई उसके विरुद्ध न्यायालय में भी न जा सके और ये सत्ताधीश कुकर्मी जनता को जल के नाम पर भी घोर प्रताड़नायें, वसूली देकर दोनों हाथ कानून लूट और वसूलीकर सकें, इनकी ये लूट-खसोट पूर्ण नीच मानसिकता चाहे पूरे राष्ट्र को नक्सली बनाकर फिर अपहरण, वृहद जनसंहार करे वो चलेगा, और यदि तो न कर सके तो कुंठित हो यह कामना करे कि इस राष्ट्र के सत्ताधीशों को खंड-खंड बिखेर दे और शत्रु राष्ट्र इस पर कब्जा करके संचालन करे, इतिहास गवाह है कि इसी जनकुंठा ने सोवियत रूस को खंड-खंड बिखेर 27 राष्ट्रों में बांट दिया, दूसरी ओर जनता को बर्बाद करने और लूटने की नियत के पूंजीपतियों ने अमेरिका को कंगाल बना दिया, यही है हमारा संविधान की सत्तायें जनता को मुफ्त सड़कें, पानी, शिक्षा की आवश्यकतायें पूरी करेंगी पर धूर्त मक्कार सत्ताधीशों को तो राष्ट्र के संसाधन और कानून इनकी रखैल है जैसे चाहे उपयोग करें, प्रस्तुत करें।

एंटी इवेजन में बैठी हर महिला पुरुषों से ज्यादा भ्रष्ट और जालसाज

एंटी इवेजन ब्यूरो बनाम स्वकमाई और जालसाजी ब्यूरो

ऑनलाइन पंजीयनों में 70% फर्जी, फार्म 49, सी फॉर्म आदि से अरबों का घाटा

म.प्र. वाणिज्यिककर में अब पूरे वाणिज्य कर विभाग सारी अवैध-वैध वसूली का ठेका केवल यहां कार्यरत 8 एंटी इवेजन ब्यूरो को दे दिया गया है, अवैध रूप से बिना निर्धारित कर और औपचारिकताओं के माल के परिवहन में पकड़े जाने पर 5 गुना कर भुगतान का प्रावधान है। इसकी यही व्यवस्था ही वाणिज्य कर में बैठे हर उपायुक्त से लेकर वाणिज्यकर निरीक्षक तक की कमाई का मोटा साधन है। आखिर यहां पर पदस्थापना की भेंट मंत्री राघवजी, प्रधान सचिव, सचिव और आयुक्त को चढ़ाने के बाद ही मिलती है। पुरुषों को और महिला कर्मचारियों की भी नियुक्ति तन,मन, धन से सेवा के बाद ही स्वाभाविक है, जो लगाया या बांटा है उससे 10 गुना तो सेवाकाल में वसूलना ही होगा, यहां छंटे हुए भ्रष्टों और जालसाजों की नियुक्तियां मिलती हैं। वही हाल प्रदेश के 29 नाकों पर भी निरीक्षक, स.वा.क.अ., बा.क.अ. और सहायक आयुक्तों को मिलती हैं। जिसकी गाथा में समय माया ने पुराने अंकों में प्रकाशित की हैं। किस प्रकार से वसूली के बाद नियुक्तियां बांटी गइ।

एंटी इवेजन बी में बैठी वा.क.अ. संध्या सिलावट गाड़ियां पकड़कर बिना रसीद काटे भी गाड़ियां बाहर के बाहर लेन-देन कर छोड़ने का पुराना इतिहास है, ये भ्रष्ट 50,000 से रु. 1 लाख की औसतन वसूली करती है। यहां वर्षों से कुंडली मारे

बैठी सहा. आयुक्त निशा चौहान ज्यादा मारधाड़ भले ही न करे तो भी पाइप लाइन के भ्रष्टाचार से रु. 5 लाख तक बटोरती है। ब्यूरो अ में बैठी वा.क.अ. अलका डामोर भी रु. 10-20 हजार प्रतिदिन की वसूली करती है। ये भी गाड़ियां पकड़कर लाने के बाद लेन-देन कर कम कर दंड थोपकर बीच की राशि हजम कर जाती है। यहां बैठी स.वा. कर.आ. प्रतिभा करारी ने भी हाल ही में 8 बसें पकड़ी, 8 की पंजी में प्रविष्टि की गई पर कर दंड 7 से ही वसूला। नाममात्र का आठवीं में रु. 50000 का लेन-देन कर बिना दंड के यह कहकर छोड़ दिया कि उसमें कर दंड योग्य कुछ भी नहीं था, इस भ्रष्टाचार के पीछे मंत्रालय की नीतियां भी कम जिम्मेदार नहीं, जानबूझकर ऐसी नीतियां लागू की जाती हैं ताकि व्यापारी भी कर चोरी बड़े पैमाने पर करे और एंटी इवेजन भी, बाकी सारा स्टॉफ केवल सारे दिन कंम्प्यूटरों पर टाटा के बनाये साफ्टवेयर्स पर उलझा रहे और सारे दिन जानकारियां बनाता रहे, इससे यथार्थ में शासन को राजस्व की कुल प्राप्त राजस्व से ज्यादा की हानि हो रही है। यह किसी का समझ नहीं आ रहा है। आनलाइन वाणिज्यकर ने पंजीयन में 24 घंटे में जारी करने की बाध्यता से वा.क.अ. मजबूरी में वह जारी कर देता है। जबकि व्यापारी उस पंजीयन से रु. 40 लाख तक आसानी से व्यापार कर लेता है। जबकि उसके व्यापार स्तल तक का स्थायी पता नहीं होता। ऐसे सैकड़ों पंजीयन पूरे प्रदेश में हर महीने होते हैं। जिसके आधार पर भारी जालसाजियां की जा रही है। सारे अधिकारी सबकुछ जानकर भी बेबस रहते हैं। इस प्रकार अरबों रु. की कर चोरी पंजीयनों के आधार पर कर व्यापारी आसानी से करके निकल लेता है, इस प्रकार एक ही व्यापार स्थल पर अनेकों नाम से व्यापार कर कर चोरी कर रहा है। दूसरी ओर स्वकर निर्धारण में अधिकारी उनके खातों की व्यापार स्थल की जांच भी नहीं कर सकता, वही हाल फार्म 49, सी फार्म का भी आनलाइन होने से कर रहा है। एक ही फार्म से कई व्याव. सौदे संपन्न कर आसानी से कर चोरी की जा रही है। शासन के पास सारी जानकारी होने के बाद भी चुनावी वर्ष होने के कारण चुप है।

राष्ट्र के सबसे बड़े खुदा इंडियन एव्यूसिंग सर्विस अधिकारी

जिलाधीश, संभागायुक्त महा जालसाज, भ्रष्ट

हर भ्रष्टाचार की जड़ में आई.ए.एस. लाखों करोड़ डकारकर भी पाक-साफ

हमारे राष्ट्र में ईमानदार वो है, जिसे मौका नहीं मिला, फिर यह सच विश्व के हर राष्ट्र का है, जहां पूंजीवादी व्यवस्था है, वहां ईमानदार होना भी अभिशाप है, क्योंकि पूंजीपति, उद्योगपति, ठेकेदार उस ईमानदार को जीने ही नहीं देंगे।

कम्युनिस्टों का आस्तित्व अमेरिकी पूंजीपतियों और विश्व बैंक के भ्रष्टों और जालसाजों ने उस राष्ट्र के प्राकृतिक और मानव निर्मित संसाधनों का शोषण करने, कर्ज बांट-बांट कर नष्ट कर दिया। हमारे राष्ट्र में दिल्ली भ्रष्टों और जालसाजों की राजधानी भी है। जहां राष्ट्र का प्रधानमंत्री भ्रष्टाचारों और जालसाजियों को अंजाम देता है। वही हाल प्रदेशों की राजधानियों के भी हैं। वे प्रदेश के भ्रष्टाचार और जालसाजियों की राजधानी भी होती है। जहां मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, प्रधान सचिवों, सचिवों की फौज यथार्थ में भ्रष्टों जालसाजियों का प्रबंधन करती हुई प्रदेश की जनता के हकों पर डाका डालकर लूट-पाट करती रहती है, उसके इकट्ठे किये हुए टुकड़ों पर ही मुख्यमंत्री व मंत्री धन एकत्रित कर पाते हैं।

वास्तविकता में हमारे देश के असली खुदा इंडियन एव्यूसिंग सर्विस के अधिकारी ही होते हैं। जिनका काम दिल्ली में बैठे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से लेकर राज्यों के मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को अपने इशारों पर नचाती हैं, ये वो घाघों की फौज होती है जो न केवल प्र.मं., मुख्यमंत्री, विधायकों, सांसदों को अपनी तरह से हांककर इन राजनीतिज्ञों को टुकड़े डालकर श्वानों की भांति उपयोग करती हैं, जब चाहती है, जनता में नायक बनाती है जब चाहती है खलनायक सिद्ध कर देती हैं।

हर इंडियन एव्यूसिंग सर्विस के अधिकारी की सबसे बड़ी तमन्ना होती है कि वह जिले का जिलाधीश बने, फिर यदि वो रा.प्र. सेवा में रहकर भारी भ्रष्टाचार से धन इकट्ठा कर ही लेता है और खर्च करके भा.प्र.से. अधिकारी बन ही जाता हैं, तो कलेक्टर बनना उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना होता है, ताकि वह श्वान हर तरह से अपनी हर कदम पर जालसाजियों, चालाकियों, लूट-खसोट के हर गुण का भरपूर प्रदर्शन करता हुआ, क्षेत्र के विधायकों, सांसद से लेकर केन्द्र और राज्यों के सचिवों, प्रधान सचिवों, मुख्य सचिव के साथ मुख्यमंत्री को भी उस जिले के बारे में अपनी तरह से हांकने के साथ ही उसके उस जिले के हर शासकीय विभाग के हर अधिकारियों को हांकने से जिले का बेताज बादशाह होने का गुरूर पाल सके, आई.ए.एस. तो बनते ही वही है, जो महाभ्रष्ट, जालसाज और चालबाज होते हैं। जो खुलकर भ्रष्टाचार से धन कमाते है और फिर नीचे ऊपर तक वरिष्ठ अधिकारियों, मंत्रियों, सचिवों प्रधान सचिवों को धन बांटकर खुश रखते हैं। ऐसे ही अधिकारियों को ही सब पसंद भी करते हैं। लोकायुक्त भी

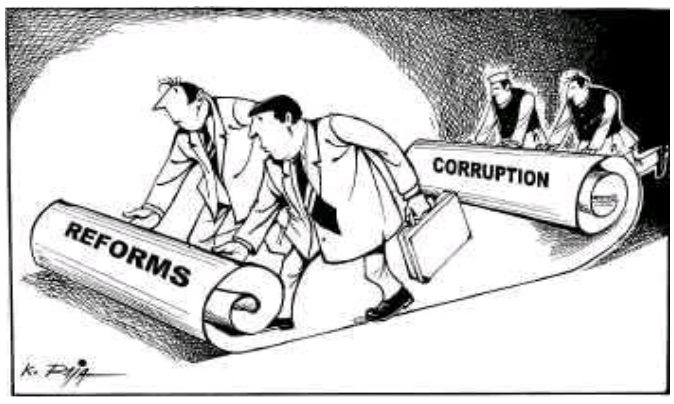

ऐसे ही अधिकारियों को पसंद करते हैं। जो प्रकरण पंजीबद्ध हो जाने के बाद भी उनकी सालों फाइलें दबी रहती हैं। यदि प्रकरण न्यायालय में चले भी जाते हैं तो मोटा धन खर्च करके उच्च न्यायालय से स्थगन ले आते हैं। फिर स्थगन की सुनवाई भी वर्षों नहीं होती, ऐसे कई प्रकरणों में से वर्तमान में बुरहानपुर जिलाधीश आशुतोष अवस्थी का है जिसके विरुद्ध लोकायुक्त में प्रकरण लंबित होने के बाद उच्च न्यायालय इंदौर में अटका होने के बाद भी रु. 5 करोड़ खर्च करके एस.ए.एस. से आई.ए.एस. में पदोन्नत कर दिये गये और भ्रष्टों ने उसे बुरहानपुर का कलेक्टर बना दिया, अब अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक जिलाधीश के अंतर्गत लगभग 90 विभागों का धन आवंटित होता है, फिर जिले की नजूल की, सरकारी भूमि आदि के भी ये बेताज बादशाह होते हैं। जिसमें थोड़ी सी भी हेरफेर से भूमाफिया करोड़ों का खेल खेलते हैं। उसमें ये सभी सहभागी होकर करोड़ों की कमाई करते हैं।

सूचना का अधिकार यथार्थ में किसी भी सरकारी अधिकारी की ईमानदारी जानने का पैमाना भी बन गया है, यदि सूचना के अधिकार में आवेदन देने पर संबंधित अधिकारी छल-कपट पूर्ण जवाब दे, अपील में भी छल-कपट करे तो उसका वरिष्ठ अधिकारी उससे ही उसकी ईमानदारी का नापतौल किया जा सकता है, यथार्थ में अंग्रेजों के शासनकाल में जिला कलेक्टर का काम होता था, राजस्व एकत्रित करना, उस पर जिलों का कमिश्नर को उस पर प्रशासनिक व्यवस्था की अपेक्षा उस काल में कलेक्टरों पर राजस्व संग्रहण की निगरानी के लिये होता था, उस पर उसको कमीशन मिलता था, परन्तु इन धूर्तों ने आजादी के समय देखा कि चुनकर आने वाले नेता तो ज्ञानी-ध्यानी समझदार हैं, न ही उनको किसी भी विभाग की कोई विशेष जानकारी हैं, ये राजस्व संग्रहण करने वाले कलेक्टरों ने अपने आप को प्रशासनिक अधिकारी बना लिया, उस धूर्तता और चालाकी का ये अब बहुविधि चारों ओर से वसूली कर लाभ ले रहे हैं। सारे कानून इनकी जेब में, तो स्वाभाविक है सूचना के अधिकार में क्यों ये अपनी हकीकत सामने आने देंगे, अधिकांश जिले के विभागों के ये अपीलीय अधिकारी भी हैं।

इस संबंध में एक पत्र जिला कार्यालय, इंदौर में यह जानने के लिये दिया गया कि कितने आदिवासियों की जमीनों को बेचने की दी गई अवधि में अनुमति प्रदान की गई, जो कि पूर्णतः अवैध है, आदिवासी की जमीन केवल आदिवासी ही खरीद सकता हैं, इसके विपरीत स्वयं सरकार उद्योगों के लिए बेटमा में व अन्य स्थानों पर जमीन का खुलेआम अधिग्रहण कर रही हैं, वही हाल महू, सांवेर और देपालपुर तहसीलों में भी खुलकर हो रहा है पर जवाब में एक पत्र तीनों तहसीलों का हस्तांतरित कर दिया गया, बाद में समय बाधित होने पर अपील लगाने पर इसी भ्रष्ट कलेक्टर आकाश त्रिपाठी ने उसे खारिज कर दिया, वैसे भी वर्तमान कलेक्टर त्रिपाठी के पुराने इंदौर नगर निगम, ग्वालियर कलेक्टर के समय का इतिहास भारी भ्रष्टाचार पूर्ण रहा हैं। दूसरी अपील खाद्य विभाग के विरुद्ध दी गई, स्पष्ट रूप से जालसाजी किये जाने के बाद भी जानकारी सशुल्क देने और अपील खारिज कर दी गई, क्योंकि वहां से भी महीनों वसूली में हिस्सा मिलता है, जबकि अनावेदक खाद्य नियंत्रक को स्वयं ही विश्वास था कि जानकारी पूरी और मुफ्त में देना पड़ेगी, इसके विपरीत भ्रष्टाचार के हिस्सा हैं, इसलिए कौन सा कानून कैसा कानून, कलेक्टर स्वयं खुदा हैं, इसलिये जो वो कहे, लिखे वो कानून।

तीसरी अपील आदिम जाति कल्याण विभाग के विरुद्ध थी, आदत से लाचार हरामखोर ने वहां भी वही किया, सारी कहानी लिखने के बाद भी अंत में खारिज, आखिर ये भ्रष्ट ही तो चुनाव जितायेंगे सरकार को। इसलिए भ्रष्टों को पालना जरूरी है। वही हाल देवास जिले के कलेक्टर एम.सी. अग्रवाल ने भी किया। आदिम जाति विभाग के विरुद्ध दी गई हर अपील में उपस्थित होने के बाद भी इस जालसाज शूकर ने लिख दिया कि आवेदक उपस्थित ही नहीं हुआ इसलिये खारिज, आखिर आदिमजाति में बैठी उस भ्रष्ट जिला संयोजक से महीना मिलेगा तो तनखैय्यों की क्या औकात जो कानून और न्याय की बात कर दूध देती गाय को लात मारें, जबकि आदिम जाति में वर्षों से कुंडली मारे बैठे हरामखोरों की फौज हर कदम छात्रवृत्ति से लेकर मुआवजा मांगने, छात्रावासों के रखरखाव आदिवासियों और हरिजनों के नाम से आने वाली राशि में डाका डाल कर हजम कर रही है, फर्जी छात्रवृत्तियों स्कूल को कोचिंग संस्थानों को धड़ल्ले से 50% हजम की जा रही है। स्वाभाविक है जिले का बेताज बादशाह उसमें भी हिस्सा डकार रहा है।

यही हाल उज्जैन के कलेक्टर बी.एम. शर्मा ने भी किया उसने भी आंख भींचकर अपनी जालसाजी का परिचय देते हुए एक तरफा अपील खारिज कर दी। यही कहानी धार में भी आदिम जाति विभाग में, जबकि आदिम जाति विभाग में वर्षों से कुंडली मारे बैठी हर महिला के शरीर पर ही 5 लाख के स्वर्णाभूषण लटके होते हैं। यहां भी रुपए 400 करोड़ में से रुपए 100 करोड़ भी ईमानदारी खर्च नहीं किया जाता अधिकांश स्टाफ करोड़ों की संपत्ति का मालिक है, यहां भी पहुंच वाले ही रुपए दो करोड़ खर्च करके सहायक आयुक्त बनते हैं। संभागायुक्त इंदौर प्रभात पाराशर ने इससे भी एक दम आगे बढ़ते हुए इस हरामखोर जालसाज ने बिना बुलाए और अपील सुनते ही अपील खारिज करके भेज दी संयुक्त संचालक महिला बाल विभाग की इन हरामखोरों से जिलों की महिला बाल विकास विभाग की जांच प्रतिवेदन की प्रतियां चाही गई थीं, जो नहीं दी गई, पैसे जमा करने के बाद भी और अपील करने पर खारिज कर दी गई। कलेक्टरों, कमिश्नरों के हर काम की अगर लोकायुक्त जांच की जाए तो इन हरामखोरों को अगर ईमानदारी की सजा दी जाए तो शायद 4 जन्म भी कम पड़ जाएंगे जैसे ये हर कदम पर जमीनों की जालसाजियां करते हैं। और इनके अंतर्गत होने पर आने वाले हर विभाग में जिल तरह से ये अपना हिस्सा डकार कर जालसाजों को बचाते रहे हैं। तो बेचारे भ्रष्टाचार की गंदभी में लोट लगाने वाले अपने अधीनस्थों की क्यों नहीं बचाएंगे। नाम और काम ही कलेक्टर, कलेक्टर कर अपना हिस्सा रख और कमीशनखोर कमीशनर को पहुंचा, जहां तक मंत्रियों और मुख्यमंत्री का सवाल है, बेचारे पांच वर्ष के लिए बैठे हैं। इन्हीं के माध्यम से उन टुकड़ाखोरों को टुकड़े मिलते हैं। यही हाल देश के प्रधानमंत्री का भी होता है वो भी इन्हीं की बैसाखियों के दाम पर प्रधानमंत्री पद की गरिमा थामे रखता है।

म.प्र. लोक निर्माण भ्रष्टाचार विभाग सबको चाहिए हिस्सेदारी

मूल्यवृद्धि से वसूली में ठेकेदार, का.यं. अ.यं., मु.अ. सब को हिस्सा

डकैतों की फौज से सूचना अधिकार में जानकारी मांगों, तो हर अधिकारी हर हथकंडे अपनाता है आवेदक को परेशान करने के लिए

म.प्र. लोक निर्माण भ्रष्टाचार विभाग अपनी भ्रष्ट, जालसाजीपूर्ण लूट की कार्यशैली से प्रदेश और देश के अखबारों में सदा से ही सुर्खियों में रहता आया है, इसके विपरीत ये हरामखोर शूकरों की फौज सुधरने की तो बहुत दूर भ्रष्टाचार के नये आयाम स्थापित करने के लिये सदा ही आतुर रहती है, इस विभाग के उपयंत्रियों से लेकर सहा. यंत्री, कार्यपालन यंत्री, अधीक्षण यंत्री, मुख्य अभियंता, प्रमुख अभियंता से लेकर सचिव, प्र-धान सचिव के.के. सिंग, मंत्री नागोद तक सब पद के अनुकूल हरामखोर शासन के धन को हजम करने में लगे हैं। यहां तक कि आजादी के बाद राजे राजवाड़ों की जो सरकारी संपत्तियां यथा जमीनें, भवन, यहां तक कि राजभवनों के चांदी सोने के बर्तन, मूर्तियों आदि तक की हजारों करोड़ की संपत्तियां इन जिलों के कार्यपालन यंत्रियों के हाथ आ संभाग फ्रे हाथ आई, जिनका कई बार विवाद उठा, एक बार उन संपत्तियों के दस्तावेज जांच करके तात्कालीन जिलाधीश मनोज श्रीवास्तव ने भी मंगवा लिये थे।

विभागीय सूत्रों के अनुसार का.यं. राणे ऐसी अरबों संपत्तियों को भूमाफियाओं और कब्जेधारियों को बेचकर करोड़ों रु. के वारे-न्यारे करने में लगे हैं। जिसकी जानकारी न जिलाधीश, संभागायुक्त को है, न विभागीय अधीक्षण यंत्री व प्रमुख अभियंता को है। रु. 15 लाख की स्वीकृति के भवन के रु. 35 लाख का भुगतान किया जा चुका है। साथ ही इसके हाथ में जितने कार्य हैं। उनमें एम.वाय. चिकित्सालय, म.गा. चिकित्सा महाविद्यालय अनेकों प्रा.स्वा.के., महिला बाल विकास भवनों में भी कार्य न केवल धीमी गति से वरन स्तरहीन हो रहा है। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार सड़कों में किया जा रहा है। 40 से 60% पैसा हजम किया जा रहा है, जहां यह संभव नहीं हो रहा है वहां जानबूझकर सड़क निर्माण कभी अतिक्रमण, खंभा शिफ्टिंग के नाम पर अटकाकर वहां मूल्य वृद्धि और समय विस्तार में वसूली की जा रही है। इस संभाग में ऐसे रु. 150 करोड़ से ज्यादा के कार्यों में कम से कम 20% धन विशुद्ध रूप से डकारा जा रहा है। संभाग दो में भी यही हालात हैं।

परियोजना क्रियान्वयन ईकाई में रु. 143 करोड़ के विद्यालयों के निर्माण में भी ठेकेदारों के साथ मिलकर 15 से 20 % धन डकारा जा रहा है। इसमें 20 मॉडल स्कूल रु. 3 करोड़ के एक स्कूल रु. 60 करोड़, रु. 1-1 करोड़ के 50 हाई स्कूल रु. 50 करोड़, एकलव्य स्कूल रु. 10 करोड़ का, लो.सेवा आयोग भवन 7 करोड़ का, रु. 8 करोड़ का ऑडिटोरियम, बाह्य रोगी विभाग रु. 8 करोड़ की है। सूचना के अधिकार में जानकारी मांगने पर का.यं. बागोले धमकाते हैं कि जाओ हमें फांसी चढ़वा देना हम आदिवासी हैं। ये याद रखना।

इंदौर अंचल में 1 कार्यपालन संभाग हैं। जिनमें से अधिकांश संभागों के पास रु. 150 से 200 करोड़ के कार्य हैं। जिनमें चिकित्सालयों, महिला बाल विकास के भवनों, न्याय विभाग के भवनों, पुलिस विभाग भवनों व अन्य सरकारी भवनों के साथ ही सड़कों के निर्माण और रख-रखाव के कार्य हैं। पर इतना पैसा और कार्यों को किस तरह से करवाया जा रहा है जबकि हर कार्यपालन यंत्री को हर भुगतान से पहले 10 से 20% कार्यों का और नामपुस्तिका कार्य देखना चाहिये पर सारे भुगतान सहा. यंत्री 10% कमीशन बटोरकर कर रहा है।

ये अधीक्षण यंत्री जैसवाल इंदौर, अ.यं. पचौरी, खंडवा जनाबूझ कर अपना महीना जो रु. 1 लाख प्रति माह के हिसाब से मिल रहा है। वही मु.अ. काला भी महीना डकार कर चुप है। सूचना के अधिकार में जानकारी मांगने पर मुश्किल से जवाब देते हैं। अपील में एक-दूसरे को बचाते हैं।

साप्ताहिक समय माया

घोर भ्रष्टों, जालसाजों को पुरुस्कार

मु.का.अ.डांड, उ.आ. अरुण पांडेय को पुरस्कार क्यों? कैसी ई गर्वेनेंस?

लूटो, लुटाओ पुरस्कार पाओ, लुटाने के लिये, भ्रष्टाचार व जालसाजी, लूट जरूरी

हमारे राष्ट्र में सभी पुरुस्कार, पुरुस्कार समिति को खरीदकार प्राप्त करने की परंपरा पुरानी है। चाहे फिर वह कोई सा भी पुरुस्कार हो और किसी को भी दिया जा रहा हो, पुरुस्कार प्राप्त करने वाला कितना भी बड़ा जालसाज भ्रष्ट और लुटेरा ही क्यों न हो? फिर पुरुस्कार प्राप्त करने के लिये संबंधित पुरुस्कार समिति के सदस्यों की सेवा यथा योग्य नहीं की जायेगी और समिति के सदस्यों को मान-सम्मान नहीं किया जायेगा तो स्वाभाविक है कि वह मान-सम्मान कैसे दे सकेगी, फिर मान-सम्मान प्राप्त करने वाले व्यक्ति का भूत और वर्तमान का इतिहास यदि लूट, जालसाजी और भ्रष्टाचार का नहीं होगा तो वह कहां से लुटायेगा, जब लूटेगा नहीं, तो लुटायेगा नहीं और लुटायेगा नहीं तो कैसा और क्यों हक है पुरुस्कार पाने का?

हाल ही में इंदौर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को श्रेष्ठ मु.का.अ. का पुरुस्कार दिया गया, जबकि धूर्त भ्रष्ट श्रेष्ठ का केवल सूचना के अधिकार में जानकारी की पंजी और उस जानकारी के विरुद्ध लगाई गई अपीलों और उनके निराकरण की पंजी का ही अध्ययन कर लेते या फिर इस हरामखोर, जालसाज के विरुद्ध शिकायतें छपे हुए समाचार पत्रों की प्रतियां ही तलाश लेते या वहां बैठी चांडालों की वर्षों से कुंडली मारे बैठी फौज को छोड़कर जिसमें हायर सेकेन्डरी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी से जालसाजी से अधीक्षक के और लेखाधिकारी का पद संभाल रहे अंतिम दुबे की गांधीनगर में बनी करोड़ों की संपत्ति, शर्मा, जोशी व अन्यों के नामी बेनामी बैंक खाताधारकों की संपत्ति वालों को छोड़कर जो विभिन्न योजनाओं में प्राप्त लगभग रु. 200 करोड़ की राशि की कैसे बंदरबांट कर रहे हैं। जिसमें डीपीआईपी, एसजीएसवाई, निःसक्त, विधवा पेंशन, ग्रामीण विकास, मध्याह्न भोजन आदि अनेकों योजनाओं का पैसा 40 से 60% तक कैसे हजम किया जा रहा है? दूसरी और मनरेगा में प्राप्त रु. 80 से 100 करोड़ की राशि का पिछले 5 वर्षों का हिसाब ही देख लेते, जिसमें सड़कें बनाने का कोई प्रावधान ही न होने के बाद भी कुल राशि का 60% धन सड़कें बनाने में खर्च किया जा रहा है जिसका 40 से 60 % धन इस हरामखोर जालसाज मुख्य कार्यपालन अधिकारी और उसके चांडालों की फौज द्वारा न केवल हजम किया जा रहा है वरन इस मु.का.अ. गोपाल डांड को भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी बनने के लिए लाबिंग में जो करोड़ों रु. खर्च किया जा रहा है उसको ही समझ लेते तो इससे बेहतर पुरुस्कार दिया जा सकता था, यह कहानी आदिवासी जिलों यथा धार, झाबुआ, बड़वानी, अलीराजपुर, डिंडोरी, शहडोल, अनूपपुर, बालाघाट, मंडला, छिंदवाड़ा आदि में रु. 300 से 500 करोड़ की होती है, जहां पर 40% से 70% पैसा वहां की जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी से लेकर मु.का.अं. जनपदों, विकासखण्ड अधिकारी, अध्यक्ष और सरपंचों तक हजम कर ली जाती हैं।

सामान्य जिला पंचायतों में भी रु. 150 से 300 करोड़ का बजट प्राप्त होता है। जिसकी 32 से 35 रोकड़ लिखी जाती हैं। वहां के जालसाज कर्मचारी विभिन्न खातों की 100 से 125 चेक बुकों से भारी जालसाजियों को यहां से वहां धन अंतरित कर अपने बैंक खातों का लबालब भर कर रखते हैं। शायद इसी भ्रष्टाचार की लूट में से खुलकर लुटाते हैं। जहां तक अंकेक्षण का सवाल है, तो इन्हें भी चार्टर्ड बनाम करप्ट एकाउंटेंट या सनदी लेखाकर से अंकेक्षण की छूट प्राप्त है। उसे अधिकांश योजनाओं के बारे में जानकारी भी नहीं होगी और उसे जितने दस्तावेज दिखाये जायेंगे उसका ही वह ऑडिट कर सकता हैं, दूसरा वह कोई प्रतिकूल टिप्पणी लिखेगा तो उससे अंकेक्षण ही छीन लिया जायेगा, इसलिए वह प्रतिकूल टिप्पणी करने से भी बचता है तीसरा आडिटर केवल भौंकने वाला कागजी श्वान हैं, काटने और नुकसान पहुंचाने वाला अल्सेशियन नहीं, चौथा वह केवल कागजों में ही हुई हेराफेरी पकड़ सकता है वास्तविक धरातल पर कोई काम हुआ या नहीं उसे यह देखने की पात्रता नहीं। यही कारण है कि गोपाल डांड से सूचना के अधिकार में जानकारी हरामखोर से मांगी गई थी योजनाओं में प्राप्त आवंटन और खर्च की जानकारी पकड़ा दी गई इंदिरा आवास और मुख्यमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों की सूची थी तो वह भी 90% फर्जी, फिर भी लोकायुक्त में शिकायत नहीं की गई, क्योंकि तो भी वसूली करके फाइलें ढांक कर रख देते हैं।

अगले पुरुस्कार प्राप्त उज्जैन संभागायुक्त अरुण पांडेय इस भ्रष्ट जालसाज की डकैती डालने और वसूली करने का तरीका दूसरों से थोड़ा सा अलग हटकर था, इसने भी करीब इस तरीके से रु. 100 से 150 करोड़ की वसूली की, उज्जैन संभाग के छह जिलों यथा उज्जैन, देवास, रतलाम, शाजापुर, नीमच, मंदसौर में बैठे राज्य शासन के लगभग 90 विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों की शिकायतें प्राप्त करना, उन्हें कारण बताओ, स्पष्टीकरण दो की आड़ में धमकाना-चमकाना जिसमें मु.का.अं. जिला पंचायतों से लेकर का.यं. ग्रामीण विकास, उपसंचालक कृषि, उद्यानिकी, महिला बाल विकास, शिक्षा आदिमजाति, तहसीलदारों, पटवारियों उप जिलाधीश, सहा. जिलाधीशों, का.यं.लो.नि.वि., लो.स्वा.यांत्रिकीय, जल संसाधन, वन विभाग, आबकारी में भी शिकायत मिलते ही जांच के नाम पर निलंबन आदि का खेल खेलकर दहशत फैलाकर जमकर वसूली की गई, यही इनके श्रेष्ठ प्रशासन का नमूना था, जिसकी आड़ में खुलकर लूटा गया और थोड़ा सा लुटाकर पुरुस्कार ले लिया।

म.प्र. शासन को ई गवर्नेंस का पुरुस्कार

हमारे प्रदेश के मु.मं. शिवराजसिंह चौहान मुखेरी जानवरों की पार्टी के म.प्र. की जनता द्वारा निर्वाचित मुखिया को 8 वर्ष बाद भी प्रदेश के प्रशासन को चलाने नियंत्रित करने का गुण विकसित नहीं कर सके। 500 से ज्यादा इंडियन एव्यूसिंग सर्विस के महाभ्रष्ट, जालसाज शूकरों को हांकना चलाना नहीं आया उल्टे ही वो इस भोलू का नचा और हांक रहे हैं। इस प्रशासनिक अक्षमता को छिपाने हमारे घोषणावीर छपास रोग से पीड़ित मु.मं. चौहान लाबिंग करके पुरुस्कार प्राप्त करते रहते हैं। जबकि सत्यता यह है कि सूचना अधिकार अधि. 05 लागू हुए 8 वर्ष गुजर जाने के बाद इसके लागू करने के लिये केन्द्र सरकार से आवंटित सैकड़ों करोड़ हजम करने के बाद भी धारा 4 और उसके 17 बिन्दुओं की जानकारी अभी तक नहीं डाल पाये हैं। मात्र कार्य विभागों यथा लो.नि.वि., लो.स्वा.यां., जलसंसाधन विभाग आदि के बड़े निविदाओं का कार्य भर ही 50% तक ऑनलाइन हो सका है, इस ई-गर्वनेंस के पुरुस्कार प्राप्त करने के पहले हमारे भ्रष्ट शूकरों की कामचोर मक्कार फौज ये तो देख लेती कि हमारे 110 से ज्यादा विभागों उनकी 50 जिलों में फैली शाखाओं में कार्यरत 6 लाख से ज्यादा कर्मचारी और अधिकारियों के नाम पते फोन नं. उनकी शिक्षा जाति प्रमाण-पत्र, मूल निवासी प्रमाण-पत्र, संपत्तियों के घोषणा पत्र तक आनलाइन किये जाने थे, कितना आवंटन किस योजना में या कार्य के लिये मिला, यह अभी तक 8 वर्ष बाद भी विभागीय साइटों पर उपलब्ध नहीं करवाया गया, बेशक इसके पीछे भ्रष्टाचारपूर्ण नीच मानसिकता थी कि ऑनलाइन हो जाने पर कभी भी कहीं भी पकड़े जा सकते हैं। दूसरी ओर केन्द्र सरकार न म.प्र. को ई-गर्वनेंस पुरस्कार देने से पहले यह भी नहीं मालूम किया कि कितने ही विभागों में अभी तक ग्राम पंचायत, तहसील स्तरों पर कम्प्यूटरों का ही पता नहीं है और कम्प्यूटर्स हैं तो उन्हें चलाने वाले नहीं हैं।

कई विभागों जिसमें पुनर्वास आदि की 8 वर्ष बाद भी साइट नहीं है ताकि नर्मदा घाटी व अन्य बांधों से विस्थापित ग्रामीण सीधे जानकारी प्राप्त कर सकें, पुलिस विभाग ने ऑनलाइन शिकायत की व्यवस्था की थी, जिसे महीनेभर में ही बंद कर दिया, अब कोई ऑनलाइन शिकायत की व्यवस्था नहीं हैं, जिला न्यायालयों की साइटस भी नहीं हैं। यहां तक कि कई मंत्रालयों की भी साइटें नहीं हैं। स्वाभाविक है पुरुस्कार ऑनलाइन बोली लगाकर खरीदा गया।

म.प्र. लो.स्वा.यांत्रिकीय सारे जालसाज

संपत्ति निगम की आवं वसूली मु.अ. सोन

कानून से नियुक्ति वेतन, भत्ते, वाहन बंगले, सफेदपोश जीवन शैली, परन्तु हर वर्ष करोड़ों डकारते हैं। जानकारी मांगने पर कानून को रखैल ब

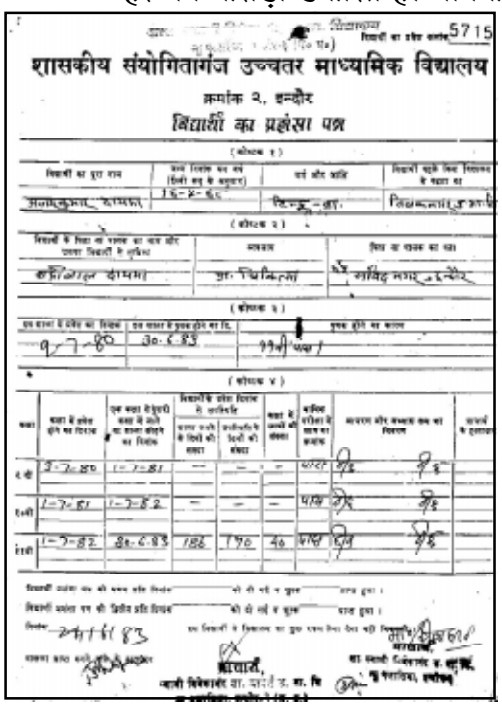

शासकीय संयोगितागंज उच्चतर माध्यमिक विद्यालय
क्रमांक 2, इन्दौर
विद्यार्थी का प्रशंसा पत्र

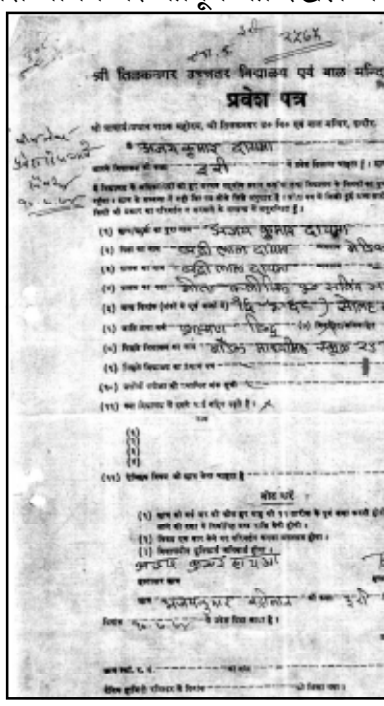

प्रवेश पत्र

म.प्र. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग में मंत्री से लेकर, प्रधान सचिव, सचिव, प्रमुख अभियंता सेहरा, सारे मुख्य अभियंताओं अधीक्षण यंत्रियों, 80 से ज्यादा कार्यपालन यंत्रियों, 300 से ज्यादा सहायक यंत्रियों तक सब जन-धन से लोक स्वास्थ्य के नाम अपने बैंक खातों और निजी संपत्तियों के संग्रहण में जुटे हैं। ये भ्रष्ट श्वानों की फौज इसके लिये सारी जालसाजियों को संपन्न करती आ रही है। जिसके भ्रष्टाचार के सैकड़ों प्रकरण आये दिन समाचार पत्रों की सुर्खियों में छाये रहते हैं। पर ये मोटी चमड़ी के सफेदपोश बेशर्मों को उपयंत्रियों, सहा. यंत्रियों, कार्यपालन यंत्रियों से लेकर अधीक्षण यंत्रियों, मुख्य अभियंता, प्रमुख अभियंता, सचिव, प्रमुख सचिव, मंत्री मुख्यमंत्री तक सब पर असर तो दूर उल्टे ही डेमेज कंट्रोल और एक-दूसरे को बचाने में लग जाते हैं। फिर विभागीय मकड़जाल में ऐसी सारी जालसाजियां फाइलों के जाल में उलझाकर रखी जाती हैं, जब तक उस पर किसी विभागीय शत्रु की नजर न पड़ जाये, इंदौर में मुख्य अभियंता सोनगरिया को ही लें अपने सहा.यंत्री काल और कार्यपालन यंत्री के काल में जब ये विदिशा और रायसेन में था कितनी जालसाजियों के माध्यम से धन डकारा, भ्रष्टाचार और वसूली उसके रगों में बसी हैं, उज्जैन में अ.यं. रहते हुए भी कई ठेकेदारों जिसमें एक जैन की फर्म जिसके पास अभी तक एक भी ड्रिलिंग मशीन नहीं है, परन्तु स्वयं सत्यापन करने गया और रु. 50,000 लेकर मशीनों का सत्यापन कर पूरे उज्जैन संभाग के छह जिलों में ड्रिलिंग कांट्रेक्टर बनाकर लो.स्वा.यां. खंडों में हैंडपंप खुदाई के ठेके दिलवाये, अब यहां इंदौर अंचल में बैठकर बंदे ने जिसका इसके पास किसी प्रकार का न तो नगर निगम इंदौर में कोई अधिकृत पद हैं, न ही उससे कहीं भी इसका संबंध, परन्तु मूसाखेड़ी स्थित जल यंत्रालय, रेडियो कालोनी में एफ-1 व एफ-2 के दो बंगले, यशवंत क्लब पानी की टंकी के नीचे, मुख्य मार्ग पर कबीट खेड़ी में व हर पानी की टंकी के नीचे लगभग 25 से ज्यादा अधिकारियों के बंगलों, 300 से ज्यादा कर्मचारी निवासों पर हरामखोर ने न केवल कब्जा कर रखा है वरन उस आवास आवंटन समिति का स्वयंभू अध्यक्ष बन ये शूकर आवास आवंटन में ही रु. 2 से 10 हजार तक आवास और याचक की हैसियत के हिसाब से इसके दलाल जो कार्यालय में इसका शीघ्र लेखक आर.के. चौहान के माध्यम से वसूली करता है। इसलिये उस स्टेनो चौहान को मुख्य अभियंता कार्यालय में स्थापना प्रभारी बना दिया है। समाचार तो यहां तक है कि जिन अधिकारियों और कर्मचारियों की पदस्थापना इंदौर में नहीं है। उनके किराये की रकम जो हर मा में होती है, किराया वसूली कर ये भ्रष्ट सोन हजम कर रहा है। यशवंत क्लब पानी सामने आर.के. खुराना वर्षों से इंदौर में नहीं में धार का कार्यपालन यंत्री हैं, बंगले में है। उसके परिवार के लोग यहां निवास करते बाजार मूल्य से किराया रु. 25000 से ज्य ऐसे ही 50 से ज्यादा आवास जो अधिकांश सहा. यंत्रियों के कब्जे है।

वर्षों से यहां पदस्थ न होने पर भी उन उनसे सीधे वसूली की जा रही है। दूसरी ओ नगर निगम इंदौर की है उसका किराया इंदौ मिलना चाहिए पर वह किराया भी बंदे उपयोग में ले रखा है। जिसका कोई हिसाब को तैयार नहीं, तीसरा उन आवास स्थल अधीक्षण यंत्री नर्मदा प्रोजेक्ट, लो.स्वा. स कार्यालय में कार्यरत, लो.स्वा.खं.क. 1 व 2 और अधिकारी ही निवास के पात्र हैं। जालसाज सोनगरिया ने नर्मदा प्रोजेक्ट खं पदस्थ सहा. यंत्री खरे से आवास छीनकर पदस्थ उपयंत्री झा को देने के लिये सामान बाह कब्जा करवा दिया, जबकि पूरे मुख्य अभियं में पदस्थ सारे कर्मचारी अधिकारी, लो.स्वा.य लो.स्वा.यां.खंड इंदौर ग्रामीण, लो.स्वा.यां. खंड इंदौर में बैठे सारे कार्यपालन यंत्रियों, स उपयंत्रियों, अधिकारियों और सभी कर्मचा निगम के अंतर्गत आवासों पर पिछले 4 अवैध रूप से कब्जा जमा रखा है, इन सबको महापौर, पार्षदों को मिलकर तत्काल बाहर व जिस पर अवैध रूप से मुक्य अभियंता सोन हाथ से आवंटन और किराये से वसूली में भर से जुटा है। ये इस श्वान की नोंच खस छोटी सी बानगी है।

इस मुख्य अभियंता इंदौर में उज्जैन इं के 14 जिले और उसके 20 से ज्यादा खं नियंत्रण में हैं। जिनमें 500 से ज्यादा दैनिक कर्मचारी जो उपयंत्री, वाहन चालक, बाबु आपरेटर के रूप में कार्यरत हैं। उन्हें नियु भी इस हरामखोर ने भृत्यों और सहायकों से प्रति कर्म. उपयंत्रियों से रु. 2 से 2.50 चालकों, बाबुओं से रु. 50,000 से 1 वसूली अपने दलाल आर.के. चौहान के करने के बाद ही नियमितिकरण आदेश सौं

जों और डकैतों का अड्डा

टन और किराया गारिया की

जन-धन को अपने बाप की जागीर समझ भ्रष्टाचार से ना शूकरों की फौज उसका मजाक उड़ाती है।

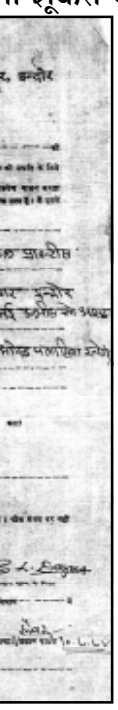

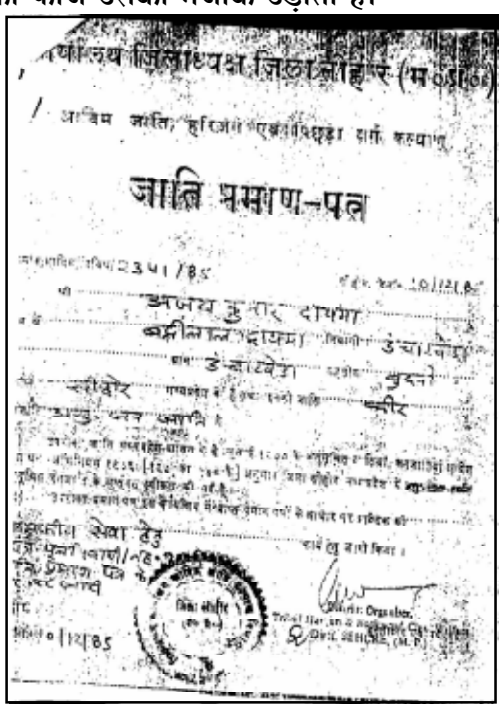

जाति प्रमाण-पत्र

ह लाखों रु. गारिया स्वयं की टंकी के है। वर्तमान सका कब्जा ते हैं जिसका ादा होता है। उपयंत्रियों, के कब्जे हैं। र जो संपत्ति र निगम को ने स्वयं के किताब देने ों में केवल ंख्यिकी वृत्त के कर्मचारी जबकि इस ड क्र. 1 में अपने यहां र फिंकवाकर ता कार्यालय ां.वृत्त इंदौर, मेकेनिकल हा. यंत्रियों, रियों ने इन 40 वर्षों से निगमायुक्त, करना चाहिये गारिया दोनों पिछले वर्ष ोंट की एक

दौर, संभाग ड कार्यालय वेतन भोगी बु, कम्प्यूटर मित करने में रु. 25000 लाख, वाहन लाख तक माध्यम से पे गये। इस

प्रकार 250 से ज्यादा देवेभो. कर्मचारियों से रु. 2 करोड़ की वसूली की गई, जो बेचारे गरीब हालातों के मारे रु. 4000/- में घर खर्च चलाये या इन श्वानों का पेट भरे, वो सब पात्र होने के बाद भी नियमित नहीं किये जा रहे हैं। जबकि भाजपाई ने तीसरी बार सत्ता हथियाने के लिए सभी दैनिक वेतन भोगियों को नियमित करने के आदेश दिये हैं। पर इन्हीं महानीच मुख्य अभियंताओं बीच में प्रमुख अभियंता सलाहकार बन बैठे आपराधिक जालसाज वृद्धि के गिद्ध जी.एस. डामोर ने इन दैवेभो को नियमित नहीं होने दिया वरना 4-5 वर्ष पहले ही ये सब नियमित हो जाते, पर जहां इन सब मुखेरे गिद्धों की फौज के दिमाग में लूट-नोंच की नियत हो तो कैसे इश्र 20-25 वर्षों से ज्यादा समय से पशुओं भोजन के खर्च से भी कम वेतन पर कार्य करने वालों को छोड़ा जा सकता है, अभी भी ये गिद्ध सोनगरिया बिना नोंचखसोंट के बचे हुए 300 से ज्यादा वेतनभोगियों की बिना मोटी रिश्वत के नियमित नहीं करेगा। सूचना के अधिकार में पत्र दो तो ये शूकरों की फौज 30 दिन गुजरने के बाद ही जवाब देगी वह भी पुरानी तारीख में, फिर ऊपर से दलीलें देगी जवाब देने की अपेक्षा, इंदौर मेकेनिकल खंड में बैठा जालसाज चैतन्य रघुवंशी जो 5 वर्षों से ज्यादा समय से इंदौर में बैठा हैं, जबकि 3 वर्ष इसको स्थानांतरित किया जाना चाहिए था, ये जालसाज भी मशीनों के तेल-पानी और सुधरवाई में ही रु. 2 करोड़ से ज्यादा के फर्जी बिलों से डकार जाता है। इसे सूचना के अधिकार में पत्र 10 दिसम्बर 12 को दिया, हरामखोर ने केश बुक की ए-4 की दोहरी कॉपी के 24, 28, 26, 30 रु. प्रति पेज मांगे, इनके धूर्तों के सरदार महा जालसाज मु.अ. सक्सेना को अपील की, आखिर अपने गिरोह के सदस्य और रु. 1 करोड़ से ज्यादा की वसूली देने वालों के विरुद्ध कैसे जा सकता है, निरस्त कर दी। फिर इस हरामखोर जालसाज को जन., फर., मार्च में हर बार पहले सीधे आवेदन देने की कोशिश तो वहां बैठे जालसाज महिला बाबु ने बड़े बाबु के पास जो कि है तो मात्र हायर सेकेण्डरी पास, परन्तु जालसाजी का मास्टर अधीक्षक का पद संभाल रहा है, ने भी लेने से मना कर दिया, फिर कोरियर और रजिस्टर्ड ए.डी. से भी भेजी, परन्तु ये शूकर चेतन्य रघुवंशी सबको पी गया ये है ठकुराई। जनता के धन से वेतन लेने वाला कानूनों को गिद्ध नोंच करने वाला यह का.यं. और इसका मुख्य अभियंता सक्सेना अपने बाप की जागीर समझता है पूरे विभाग को उस श्वास ने सारी अपीलें कानून का माखौल उड़ाते हुए निरस्त कर दीं। **(शेष पेज 8 पर)**

भ्रष्टाचार का रोड टेरिफिक सिस्टम, रु. 150 करोड़ की सड़कों पर रु. 700 करोड़ से ज्यादा खर्च

1% यात्रियों के लिये 99% वाहन चालकों को घोर यंत्रणा

25 से ज्यादा तिराहे-चौराहे बंद कर, सुखाधिकार का उल्लंघन, हर चौराहे पर जाम लगवाया

इंदौर में जेएनआरयुएम से बनाये गये बस रेपिड ट्रेफिक सिस्टम में मात्र एआईसीटीएषल की बसें चलेंगी, बाकी जनता रेंगते-रेंगते डरते भीड़ में अपनी जान बचाते, हर पल मौत के भय, दुर्घटना की पीड़ा भोगते-भोगते एमआर 11 के चौराहे से चोइथराम मंडी और रिंगरोड तक चलती रहे, न जान कब कौन सा चार पहिया वाहन चालक मोबाइल पर बात करते आपको पीछे से ठोक दें कोई भरोसा नहीं या कोई बिगडैल रईस की औलाद, मंत्री, संत्री, पुलिस, आई.ए.एस. की औलाद या ये स्वयं इनका ड्राइवर, शराब की या अन्य साधारण कार, ट्रक, बस वाला भीड़ से बौखलाकर या ब्रेक फेल हो जाने पर या अन्य तरह से ब्रेक लगाने पर इस बदतमीज रोड ट्रेफिक सिस्टम कितनों की जान लेगा यह भविष्य ही बतायेगा।

जन-धन से जन को मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से पीड़ित करने वाला यह बत्तमीज रोड टेरिफिक (भयावह) सिस्टम/प्रणाली विकसित करने का उद्देश्य आमजन को लाभ पहुंचाना, उसकी यात्रा को सुगम, सुरक्षित, समय की बचत करने का न होकर उसे घोर मानसिक पीड़ा देकर भयाक्रांत करने वाला, हर जगह यातायात को बाधित कर शारीरिक रूप से कष्टकर, आर्थिक रूप अनावश्यक ईंधन की खपत बढ़ाकर वातावरण में दुगुनी कार्बन मोनाआक्साइड, कार्बन डाईआक्साइड आदि को फैलाने वाला सिद्ध हो रहा है। गिटार तिराहा, प्रेस काम्पलेक्स तिराहा, नेहरू स्टेडियम, भाजपा कार्यालय के सामने वाला तिराहा जैसे 25 से ज्याद तिराहे बंद कर दिये गये। इससे दोपहिया वाहन चालकों, चार पहिया सभी को न केवल परेशानी बढ़ी वरन् गलियों में भी जाम लगने लगे, जो इन भ्रष्ट, धूर्त, मक्कार इंडियन एव्यूसिंग सर्विस अधिकारियों, इंडियन (क्राइम) प्रोटेक्शन सर्विस अधिकारियों के साथ ही नगर निगम और इंदौर डकैत अथॉरिटी के भ्रष्ट इंजीनियरों जिनके भ्रष्टाचार, लूट, खसोट, जालसाजियों, बत्तमीजियों और निकम्मेपन के कहानी, किस्से, रोज ही न केवल इंदौर वरन प्रदेश की ओर देश की राजधानियों में सुर्खियों में रहते हैं के भ्रष्टाचार और लूट का नायाब नमूना है। बस रोड टेरिफिक सिस्टम में बनाया यह रु. 868 करोड़ का, दुर्घटना, मौत का भय देने वाला यह बत्तमीज और बकवास बी.आर.टी.एस.।

यदि इसका सच जानना चाहे हो, तो पुलिस के टी.आई. और उससे ऊपर के इंदौर और भोपाल में पदस्थ पुलिस महानिदेशक तक के सारे पुलिस अधिकारी प्रशासन में बैठे तहसीलदार से लेकर एसडीएम, डीएम, सचिव राष्ट्रीय, प्रधान सचिव, मुख्य सचिव, सारे मंत्रीगण, महाधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश दोपहिया वाहन शाम 5 बजे से 7 बजे के बीच इस बीआरटीएस पर चलाकर देखें और जिस आम आदमी की बात की जाती है उसकी पीड़ा का अनुमान करें कि किस प्रकार देवास नाके से लेकर चोइथराम मंडी तक बीआरटीएस का सफर हमारे द्वारा प्रगट किये गये सच का एहसास करवाता है कि नहीं।

दूसरा तथ्य यह भी है कि रु. 868 करोड़ के खर्च का औचित्य सिद्ध करने के लिये जिसमें से रु. 300 करोड़ की बंदरबांट और भ्रष्टाचार किया गया है। पूरा प्रशासनिक, निगम और प्राधिकरण के इंजीनियर्स नेता मिलकर एक गलती को ढांकने दूसरी, दूसरी को ढांकने तीसरी और इस प्रकार प्रकार हजारों गलतियां करने के बाद भी श्रेष्ठता सिद्ध करने पर तुले हैं। 1.5 कि.मी. लंबे मार्ग में अधिकतम रु. 10 करोड़ प्रति कि.मी. भी खर्च करते तो रु. 110 करोड़ ही खर्च होते, जिसमें 80 मी. चौड़ा या 200 फुट चौड़ी सड़क सीमेंट कांक्रीट की वर्तमान सीएसआर पर बन जाती हैं, इस सड़क पर रु. 600 करोड़ की बर्बादी की गई है, रु. 600 करोड़ का भ्रष्टाचार में निर्माण कंपनियों, अधिकारियों और इंजीनियरों ने डकारा। तीसरा तथ्य यह है कि जब कांग्रेस और भाजपा सरकार ने पुरजोर कोशिश कर म.प्र. राज्य परिवहन निगम की हजारों बस बर्बाद कर अपने नेताओं, मंत्रियों, इंडियन एव्यूसिंग सर्विस, इंडियन क्राइम प्रोटेक्शन सर्विस अधिकारियों और गुंडे पहलवानों की बसें चलवाने और जनता के यात्रियों को मानसिक, शारीरिक और आर्थिक लूट खसोट के लिये बंद करवा दिया तो क्यों ये सरकारी क्षेत्रीय ऑल इंटर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लि. खोला, मात्र धन डकारने, सूचना के अधिकार में जानकारी मांगी गई कि इसका पंजीयन प्रमाण पत्र, व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र कंपनी अधि. 1956 के अंतर्गत देवें, विधानसभा में इस कं. या निगम को बनाने के प्रस्ताव स्वीकृति की प्रतियां, 31 मार्च को समाप्त होने वाले प्रारंभ से वर्तमान तक के लाभहानि और चिट्ठे की प्रतियां देवें, कितनी अधिकृत पूंजी, कितनी प्रदत्त पूंजी है बतावें, आज तक नहीं दी गई। आयुक्त क्षे. परि.अधि., जिलाधीश, उप जिलाधीश, पुलिस अधीक्षक व अन्य अनेकों शास. अधिकारी-कर्मचारी जब राज्य सरकार के अधिकारी-कर्मचारी हैं, तो कैसे किसी व्यावसायिक गतिविधियों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संचालक व अन्य लाभ का पद ग्रहण कर सकते हैं जो कि पूर्णतः गैर कानूनी है। इसके विपरीत यदि शासन ने इस कं. या निगम में नियुक्त किया है, तो नियुक्ति के आदेश के प्रतियां क्या म.प्र. निक इनकी साइट पर उपलब्ध हैं। या सब नौटंकी, अपने पद की गरिमा के विपरीत अपने मन से ही चलाई जा रही हैं।

चौथा जितनी भी बसें इसमें चल रही हैं। सब ठेकेदारों ने बैंक लोन से लेकर चलाई जा रही हैं। जैसा कि क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी के पंजीयन और परमिट पंजी के अवलोकन से ज्ञात हुआ हैं, इनकी गारंटी किसने दी, क्या सारे ठेकेदारों ने बसों की ऋण की किस्तें समय पर चुकाई हैं। यदि हां, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ए.बी. रोड शाखा ने, जो कि होटल श्रीमाया के पास है बसें जब्त क्यों कर ली? फिर क्या ये बसें किराये पर लेने के लिये खुली निविदा समाचार पत्रों में प्रकाशित की थी, यह सब भाई-भतीजों, मित्रों को चुपचाप लाभ पहुंचाने और जेएनआरयूएम का और बैंक का पैसा हड़पने की जालसाजियां ही थी, क्योंकि सभी पदाधिकारी, सरकारी अधिकारी हैं, इसलिये कुछ भी करो, कैसे भी करो, खाओ-पीओ पिछाड़ू हाथ पोंछों, स्थानांतरण आदेश लो और जो आयेगा वो भुगतेगा,क्या राज्य का लोकायुक्त और केन्द्र से प्राप्त इस धन जो रु. 600-700 करोड़ के इस घोटाले की जांच करेगा, या माननीय उच्च न्यायालय इस पर संज्ञान लेगा। 5वां जितने भी ड्राइवर, कंडक्टर इन बसों को जोत और पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। जिन्हें तीन माह से ज्यादा हो चुका है, क्या उन्हें नियमित किया गया, उन्हें दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, छुट्टियां एक आम सरकारी कर्मचारी की भांति दी जा रही हैं। उन्हें नियमित वेतन दिया जाकर उनका जीपीएफ/पीपीएफ काटकर भविष्य निधि कार्यालय में जमा किया जा रहा है। या वो सब भी ठेका श्रमिक हैं। 6वां - जिस एबी रोड पर आपने अपना बीआरटीएस बनाकर अनेकों तिराहे और चौराहे समाप्त कर इंदौर नगर के प्रदेश के और देश के इस मार्ग से लाखों वाहन चालकों को पीड़ित किया जाकर मुख्य मार्ग को अपनी बसों के लिये सुरक्षित कर, यदि इस राष्ट्रीय राजमार्ग 3 के जिस पर 15वीं शताब्दी से अकबर के दक्षिण आने जाने का मार्ग जनता उपयोग कर रही थी, उन्हें कानूनों का उल्लंघन करते हुए सुखाधिकार से वंचित नहीं किया, जिस सड़क का निर्माण जन-धन से हुआ किया गया, उसी पर वही जन भय, पीड़ा, आर्थिक व मानसिक प्रताड़ित होता हुआ उपयोग करने के लिये स्वयं शासन के धूर्तों, मक्कारों द्वारा मजबूर किया जा रहा है तो मात्र रु. 600 करोड़ से ज्यादा के भ्रष्टाचार को दबाने और सही सिद्ध करने के लिये। सड़क बनाने वाले इंजीनियरों को कितनी अक्ल है, उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पानी निकासी के लिये न तो बीच में, न ही दोनों तरफ बरसाती पानी निकालने की व्यवस्था की गई, दूसरा शहरीय क्षेत्र में 1 फुट से ज्यादा मोटी सीमेंट कांक्रीट की सड़क बनाई गई तो गैस पाइप लाइन, जल आपूर्ति लाइन, फोन केबलों व अन्य प्रकार की दोनों तरफ या बीच में खतिया जो 4 ×4 या सुविधानुसार खंतिया बनाई जानी थी और 200 मी. या 500 मी. पर सड़क के नीचे इन पाइप लाइनों और केबलों के हिसाब से छोटी-छोटी पुलियां बनाई जानी चाहिए थी, अब जब गैस पाइप लाइन या जल आपूर्ति लाइन फूटती है तो पूरी सड़कें रोककर काम करना पड़ता है। ये हैं इनके नियोजन के तरीके इन भ्रष्ट हरामखोर निर्माणकर्ता कं. निगम और डकैत प्राधिकरण के इंजीनियर इन्हें आने वाले कल से नहीं आज बिल पास कर धन हजम करने से मतलब था, फिर सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ये भी है कि जब पूरे भारत में बायें चलने का नियम है सभी बसों में उतरने चढ़ने के लिये बायें तरफ दरवाजे होते हैं, तो इन्होंने बीच में जो स्थानक बनाये हैं, तो क्या यात्री बस पर उल्टा चढ़कर दायीं तरफ उतरेगा, यह बात जब जिम्मेदारों से की गई तो हरामखोरों का जवाब था कि बस स्थानक बायें दायें करके यात्रियों को चढ़ायेगी-उतारेगी। जहां तक इंदौरी मीडिया का सवाल है तो चाहे फिर भास्कर, पत्रिका, राज एक्सप्रेस, नईदुनिया, अग्निबाण, प्रभातकिरण व अन्य सभी दैनिकों का मुंह बंद करने के लिए विज्ञापन के टुकड़े और संबंधितों को महीने के लिफाफे पहुंचा दिये जाते हैं। इसके बाद फिर सारे सरकारी गागरौनी तोते एक सुर में अलापने लगते हैं। कैसा, कौन सा जनहित वर्तमान और भविष्य का धर्म निभाना।

वैसे भी इंडियन इव्यूसिंग सर्विस वाले जो इस देश के असली खुदा हैं। जिनका मूल उद्देश्य, येन-केन-प्रकरेण खाओ पियो और हाथ पोंछों चलो नया ठिकाना देखेंगे, इनकी बला से कानून इनकी रखैल है। जनहित के नाम स्वहित देखना इनका परम उद्देश्य, जनसंपत्ति इनके बाप की जागीर जैसे चाहे उपयोग करें। जनता कल की मरती आज मरे, तब ही अपनी कमाई एआईसीटीएल खड़ा किया उसके लिये आमजन को कीड़े-मकोड़े बनाकर संकरी सड़क पर चलने के लिए छोड़ दिया और बसों को चलाने के लिए बीच में से मार्ग निकालकर आरक्षित कर लिया अर्थात 1% यात्रियों के लिये 99% वाहन चालकों को घोर मानसिक और शारीरिक यंत्रणा भोगने के लिए छोड़ दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राजमार्गों पर गतिअवरोधक बनाने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसके विपरित 50 से ज्यादा गति अवरोधक राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 3 पर अपनी गलतियां छुपाने के लिए बना दिए गए। ट्रायल रन बसों का क्यों? जिलाधीश, पुलिस अधीक्षक, सारे एसडीएम, सारे टीआई व अन्य जिम्मेदार अधिकारी मोटर सायकलों पर भंवरकुंआ से लेकर देवास नाके शाम 5 से 8 बजे तक गाड़ी चलाकर ट्रायल करके आमजन की पीड़ा का अहसास कर बतायें कि कैसा है ये बकवास रोड टेरिफिक सिस्टम..!

साप्ताहिक समय माया

भोपाल की भ्रष्ट यातायात व्यवस्था में शामिल है कानून के रखवाले, कानून के पालन के नाम पर करते है अवैध बसूली

मप्र की राजधानी भोपाल में यातायात की व्यावस्था बहुत अधिक महत्व की बात है भीड़ एवं भीड़ को क्लीयर करने के लिए पुलिस,जहॉ वाहन बहुत ज्यादा आते जाते है वहॉ जनता का आवागमन भी होता है वहीं व्यापारिक वाहनो का आना जाना भी होताहै, और उतनी अधिक माञा मे वहा यातायात कर्मचारी भी लगाना होते हैं।यातायात नियमो को तोडा अथवा भंग करने वाले व्यक्तियो के विरूद्ध समय पर कार्यवाही भी नियंत्रण करने के लिए करना होती है। कुछ ऐसे स्थान होते हे जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टेंण्ड,बाजार, कालेज, स्कूल या व्यापारिक थोक प्रतिष्ठान जहॉं 24 घण्टे ही यातायात कर्मचारी एवं अधिकारी लगाना जरूरी होता है । यातायात को मुख्य रूप से सिटीलिक बसें,नगर सेवा बसें ,फीडर बसें सीहोर, रायसेन, मण्डीदीप, औबेदुल्लागंज को जाने आने वाली बसें,टेम्पो ,ऑटोरिक्शा सवारी एवँ लोडिंग, लोकल ट्रक जो ईंटा ,गिट्टी ,मिट्टी, रेत ,सरिया ,सीमेंट को ढोने का काम करते है। वे व्यवधान यातायात में पहुचाते है। जिसमें मंञियो, भूतपूर्व मंञियो, विधायक ,भूतपूर्व विधायक ,व्यवसायी तथाकथित पञकार विपक्षी राजनीतिक दल एवं रूलिंग पार्टी के पदाधिकारी,कार्यकर्ता ज्यादा बाधक होते है। जिला कलेक्टर ,एसडीएम ,जो नो इन्ट्री समय में व्यवसायिक वाहन चलाने की परमीशन देते है उन्हे हमेशा याद रखना चाहिए कि अधिक वाहनों को परमीशन न दें। रेल्वे मालगोदाम से सुवह से रात्रि तक ट्रको से सीमेंट सारे शहर मे वगैर एडीएम परमीशन के ट्रक चलाये जा रहे है उन ट्रको को जिला भोपाल यातायात के यातायात निरीक्षकों ने अपनी बीट में 1500/ रू पये प्रतिमाह ,डीएसपी ने 3000/रूपये प्रति माह अवैध वसूली कर अवैध वाहन संचालन सीमेंट भरकर ले जाने की परमीशन यातायात अधिकारियो से ले ली है। सुपरवाइजरी अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक को इतनी वारीकी से देखने की फुर्सत नही है। नगर सेवा बसो मे ओवर लोडिंग ,ड्राईवर एवं कन्डेक्टर के ड्रेस न पहनने ,बैज न लगाने के टीआई 300/रूपये एस आई 200/ रूपये ए एस आई 100/रूपये प्रति माह लेकर नजर अंदाज करने का समझोता कर रखा है। जिससे मंथली यातायात अधिकारियो को पैसा देने वाले वाहन चालक नो पार्किंग में जगह जगह पर यातायात मे बाधा पहुॅचाते है। निर्धारित स्टॉप स्थल पर यदि वाहन खडे कर सवारी उतारी एवं

चढाये तो यातायात में बाधा नही होगी परन्तु यातायात पुलिस की मिली भगत से भोपाल का यातायात ज्यादा बाधित हो रहा है। तीसरे यातायात पुलिस के डीएसपी भी दिन भर शासकीय जिप्सी में बैठकर कर अपने वाहन के चालक एवं जिप्सी में दो-चार यातायात कर्मचारियों को बैठाकर अवैध वसूली करने में लगे रहते है तथा पीएचक्यू के अधिकारियो का स्थानान्तरण होने , उनकी सन्तानो की शादी होने ,के अवसर पर ट्रक, टैक्सी की व्यवस्था करने के लिए यातायात टीआई को कहा जाता है और उन्हें व्यवस्था करना पड़ती है ,जिससे उनके गलत कार्यों पर डीएसपी ,एस पी, अति .एसपी एवं सक्षम अधिकारी नजर अंदाज कर देते हैं, यह है शुद्रव्यवस्था का भ्रष्टाचारी रूप, जिसमें सभी लिप्त है , इस भोपाल के यातायात बिगाडने में इन्ही ब्यूरोक्रेट्स का हाथ है ।वीडियो कोच , कार टैक्सी वगैर परमिट, रोड टैक्स चुकाये,निजी वाहन की प्लेट लगाकर कर चोरी कर रहे है, टूरिस्ट परमिट का मतलब है कि एक टूरिस्ट प्लेस से दूसरे टूरिस्ट प्लेस की सबारी बैठी हों परन्तु बीच के कस्बों, जिलों,के यात्री बैठा कर टूरिस्ट परमिट,कॉन्टेक्ट परमिट के खिलाफ मन मर्जी से कर चोरी कर भ्रष्टाचार कर रहे है। जिसमें आरटीओ, आरटीई एवं यातायात पुलिस भ्रष्टाचार में बराबर के सहभागी है। सूबेदार, रक्षित निरीक्षक को मोटर व्हीकल एक्ट के अन्तर्गत वाहन चैक करने का प्रतिबंध है, परन्तु पुलिस महानिरीक्षक,उपपुलिस महानिरीक्षक एवं पुलिस मुख्यालय के बडे आईपीएस अधिकारियो के पावर के तहत उन्हे उक्त अवैध कृ त्य करने का अधिकारी लिखित में पोस्टिंग कर रहे है, जिससे भ्रष्टाचार और बढ़ा है तथा आईपीएस अधिकारी सुविधा बैठे-बैठे ले रहे है यह भी यातायात में बाधक है। यातायात पुलिस, भोपाल पुलिस द्वारा जो जप्ती वाहनो की बनाईजाती है,उस जप्त वाहन को मजिस्ट्रेट की मर्जी एवं आदेश के वापस नही किया जा सकता है,परंतु यातायात एएसपी ,डीएसपी,टीआई ,के आदेश से ही भ्रष्टाचार कर मालिकों को सौंप दी जाती है तथा अन्य परमिट की धारा न लगाकर छोटी मोटी धारा लगाकर चालानकर भ्रष्टाचार सहित वरिष्ठ अधिकारियों को सन्तुष्ट कर रहे हैं बुदनी नर्मदा घाट से रेत लाने वाले ट्रक, अधिकांशतः भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पाटी के लोगों के वगैर परमीशन के 24 घण्टे शहर मे रेत ,ईंट ,बोल्डर डाल रहे है। जिसमे डीएम, एडीएम , एएसपी , डीएसपी ट्राफिक एवं टीआई ट्राफिक सभी मौन स्वीकृति देकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे है गिट्टी ,मुरम ,मिट्टी भी ट्रकों द्वारा 24 घण्टे शहर में डाली जा रही है जिनके पास ट्रक नो ईन्ट्री में चलाने परमीशन नही है उन्हें भी यातायात पुलिस अधिकारी मंथली लेकर भ्रष्टाचार कर भोपाल यातायात विगाड़े हुए है । एसपी भोपाल को मीड्क्षटग और चापलूसी से ही फुर्सत नहीं है अतिमहत्वपूर्ण विजिट्र्स ,मंञियों के आवागमन एवं चमचागिरी मे ही सारा समय निकल जाता है जिससे यातायात पुलिस अधिकारी,डीएसपी ,टीआई ,एसआई ,एएसआई पर नियंत्रण खो चुके है प्राईवेट बस मालिक ,एवं भोपाल इन्दौर ट्रेवल्स वाले भी अपनी बसों का अवैध संचालक कर ट्राफिक टीआई की सेवा कर रेल्वे स्टेशन बस स्टेंण्ड से संचालन कर रहे हैं /और भ्रष्टाचार बढ़ा है। ट्रैफिक पुलिस के एएसआई सूबेदार ,रक्षितनिरीक्षक को मोटर व्हीकल एक्ट में चालान बनाने का अधिकार नहीं हैं सिर्फ यातायात व्यवस्था में स्टॉपर डालने यातायात उपकरण लगाने तथा पहुचाने का काम है,जो वह काम न कर चालान की धमकी देकर भ्रष्टाचार करने में लगे है। कुछ अंश प्रशासनिक अधिकारियों को देकर एवं बेगार कर उन्हें खुश कर अवैध कार्य कर रहे हैं। तथा भ्रष्टाचार कर यातायात व्यवस्था में बाधक हैं। जब तक 75 प्रतिशत लोग स्वेच्छा से हेल्मेट लगाने सीट बेल्ट लगाने में सहमत नही हों वह मोटरव्हीकलएक्ट की धाराओं एवं चालानों से सार्वजनिक तौर से लागू नहीं हो सकता। अलवत्ता ट्रैफिक कर्मचारियों अधिकारियो के भ्रष्टाचार बढ़ाने में सहायक हो जाता है। तीन सवारी ,दो पहिया वाहन चालकों के खिलाफ चालान बनाने का कार्य यातायात पुलिस का है । यदि उन्हें 50/रू से कम पैसा मिला तो वगैर रसीद के पैसे लेकर उन्हें छोड़ दिया जाता है। जिससे वगैर नम्बर प्लेट,रजिस्टेशन,बीमा,लायसेंस लिए,चलने वाले चालक भी थोड़ा पैसा देकर वगैर रसीद लिए छूट जाते हैं इस प्रकार जहॉ भ्रष्टाचार भी यातायात पुलिस बढ़ा रही है वही आपराधिक चैन स्कैचिग लूट जैसी घटनायें भी बढ़ी हैं।

भ्रूण हत्या की वजह से मप्र में दुल्हन पाने के लिए लड़कियों की तस्करी

यह खबर पढ़कर भले ही आप चौंक जाएं, लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा हो रहा है। राज्य में एक भैंस और कुछ कैश देकर लोग दुल्हन खरीद रहे हैं। अशोक नगर और गुना जिलों में स्त्री भ्रूण हत्या की वजह से पुरुषों की संख्या महिलाओं से काफी अधिक है। इन जिलों में दुल्हन पाने के लिए बेताब लड़के मानव तस्करों की शरण में जा रहे हैं। अगर उनके पास ज्यादा बैंक बैलेंस नहीं है, तो भी चिंता करने की कोई बात नहीं है क्योंकि तस्कर दुल्हन दिलाने के बदले में कैश के साथ भैंस लेने के लिए भी तैयार हैं।महाराष्ट्र पुलिस ने दावा किया है कि तस्करों का यह गिरोह कई राज्यों में सक्रिय है। यह गिरोह 14 से 16 साल की लड़कियों की तस्करी करता है और उन्हें दुल्हन की तलाश में बैठे लोगों तक पहुंचाता है।

फरवरी महीने में महाराष्ट्र पुलिस ने तीन लड़कियों को इन तस्करों से छुड़ाया था। पुलिस ने बताया कि एक लड़की को एक भैंस और 50 हजार रुपये में बेचा गया था। दूसरी को 35 हजार रुपये में बेचा गया था। तीसरी लड़की 30 हजार रुपये में बेची गई थी लेकिन वह एजेंट के पास लौट आई थी और उसने शिकायत की थी कि खरीदार उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा था।तीसरी लड़की को फिर से 35 हजार रुपये में बेचा गया। तीनों लड़कियां महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले की थीं। चंद्रपुर जिले के राम नगर पुलिस स्टेशन के एसएचओ योगेश पारदी का कहना है कि पुलिस को 2 और नाबालिग लड़कियों की तलाश है। उनका कहना है कि इन लड़कियों की खरीदारी में गाय का इस्तेमाल किए जाने की बात सामने आ रही है। पारदी ने कहा, 'तस्करों ने एक पुरुष से दुल्हन के बदले में 75 हजार रुपये मांगे थे, लेकिन उसके पास 50 हजार रुपये ही थे। तस्करों ने उससे और पैसों के बदले में भैंस ही मांग लिया।' उन्होंने कहा कि तीनों लड़कियों के खरीदार जल्द ही गिरफ्तार कर लिए जाएंगे।

इस बाबत पारदी कहते हैं, 'ऐसे मामलों की पहचान करना मुश्किल है क्योंकि ये लड़कियां बहुत ही गरीब परिवारों से ताल्लुक रखती हैं और खरीदार लड़कियों को अपनी बीवी की तरह रखते हैं इसलिए उनके खिलाफ कोई शिकायत भी पुलिस में दर्ज नहीं कराई जाती है।'उनका कहना है कि ऐसे एजेंटों का नेटवर्क काफी तगड़ा है और हर तहसील में 2 से 3 मामले मिल सकते हैं। हालांकि अशोक नगर जिले के एसपी ने ऐसी किसी भी घटना से इनकार किया है। लेकिन इसी जिले के नई सराय पुलिस स्टेशन के इनचार्ज आर.के.पचोली यह स्वीकार करते हैं कि उनके इलाके में ऐसी लड़कियां मौजूद हैं लेकिन वह इस मामले को दूसरी तरह से देखते हैं और इसे तस्करी नहीं मानते हैं।वह कहते हैं, 'एक स्थानीय नागरिक बलवीर ने उड़ीसा की लड़की से शादी की थी लेकिन उन दोनों के बीच भाषा की समस्या थी। लड़की अपने घर वापस जाना चाहती थी, तो पुलिस ने उसे पहुंचा दिया। एक और उड़िया लड़की की शादी यहां के स्थानीय नागरिक के साथ हुई है। मुझे यह भी जानकारी है कि ईसागढ़ गांव में भी दो ऐसे कपल रहते हैं और वे दोनों परिवार खुशी के साथ रह रहे हैं। इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यह तस्करी का मामला नहीं है।'

संपत्ति निगम की आवंटन और किराया वसूली मु.अ. सोनगरिया की

पेज 7 का शेष

उससे सारे खंडों को जारी किये गये इंडेन्ट की कॉपी मांगी तो अधीनस्थों को भेज दी, जो कि इन्डेंट जारी करते समय ही हर आपूर्ति आदेश पर 5 से 8 प्रतिशत कमीशन बटोर लेता है। फिर उसके म.प्र. स्थित 8 खंड कार्यालय इंदौर, सागर, ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल, रीवा आदि आधा माल खरीदते हैं और आधे का पैसा आपूर्तिकर्ता से सीधे नगद में डकार जाते हैं। तो कैसे मुख्य अभियंता किसी के विरुद्ध आदेश दे मुफ्त में जानकारी देने का, फिर जानकारी भी किसकी, उनकी जो हर महीने लाखों रु. चरणों में समर्पित करते हैं। कैसे और क्यों देगा? इन हरामखोरों को फोन पर बात करने की कोशिश करो तो न केवल रघुवंशी वरन् मुख्यालय पर लोक सूचना अधिकारी खान, मु.अ. सक्सेना बात भी नहीं करते, फिर मुख्यालय चपरासी से बाबुओं, अधिकारियों, कार्यालय प्रमुख तक जिलों के अधिकारी अपनी जालसाजियों भ्रष्टाचारों को दबाने छुपाने के लिये सारे श्वानों को उनके पद और मुंह के नाप का टुकड़ा बांटते हैं। कैसे कोई भोंकेगा, इंदौर परिक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले धार, झाबुआ को भी सूचना के अधिकार में पत्र दिया उन हरामखोरों का.यं. आर.के. खुराना ने समय बाद जवाब दिया और झाबुआ के एस.के. पटवा ने आवेदन पी जाने के बाद अपीलें की गई, अ.यं. सोलंकी से जिसने दो घंटे तो बकवास करता रहा, बाद में अपीलें निरस्त कर दी, जैसा कि उस निकम्मे से इतिहास दोहराने की अपेक्षा थी, बाहर निकलने पर एक भृत्य ने पूछ ही लिया, अजमेरा जी आप जैसा व्यक्ति उस गधे के पास दो घंटे कैसे बैठा और कोई अच्छा काम करते, इतने समय में...। सरदापुर फ्लोरसिंस प्रोजेक्ट में बैठे का.यं. ओपी वर्मा से प्राप्त जानकारी में कम से कम 150 से ज्यादा कार्य को टुकड़ों में बांटकर रु. 2 लाख से कम के कार्यों में अपने चहेते को 15 से 19.5 % अधिक पर ठेके देकर रु. 3 से 5 करोड़ इस बंदे ने हजम किये, इसकी भी लोकायुक्त जांच होनी चाहिए। जहां तक झाबुआ के का.यं. एस.के. पटवा का प्रश्न है, तो यह श्याना तो पहले ही लोकायुक्त जांच में उस अपने हत्यारे आका जी.एस. डामोर को बचाने के चक्कर में उलझा ही है। अब चूंकि इंदौर परिक्षेत्र के सारे का.यं., मु.अ. सोनगरिया को महीना पहुंचाते ही हैं। तो उनको बचाना और सामग्री क्रय करने में 5% से 15% कमीशन डकारने से भी मु.अ. सोनगरिया रु. 25 से 50 करोड़ रु. हजम कर लेता है। इसलिये उन सबको बचाना उनकी फाइलें दबाना का कार्य भी संपन्न करना ही पड़ेगा। मु.अ. सोनगरिया के कार्यालय में संलग्न अ.यं. दायमा के फर्जी जाति प्रमाण पत्रों की छायालिपियां शिकायत के साथ दी गई थीं, जिसमें इस फर्जी अ.यं. के पिता बड़ी लाल दायमा ने अपने इस पुत्र के स्कूल प्रवेश पत्र में स्पष्ट लिखा है, हिन्दू ब्राह्मण, 70 मालवीय नगर इंदौर बचपन से वर्तमान तक जबसे इंदौर म.प्र. में बांसवाड़ा से आकर बसे, वही पता रहा, परन्तु ऊंचाखेड़ा, तह. बुदनी, जिला सीहोर से प्रमाण पत्र बनवाकर आदिमजाति का लाभ उठाकर नौकरी और पदोन्नतियां प्राप्त करता रहा, जब उसकी जांच हुई, दो बार सत्र न्यायालयों से फर्जी सिद्ध होने के बाद इसके पिता ने जबलपुर उच्च न्यायालय में अपील की और दलील दी कि मैं 1965 से ऊंचाखेड़ा में निवासरत हूं, मेरा स्थाई निवास है मेरे बच्चे सारे होशंगाबाद में पढ़े हैं। इस तरह न्यायालय को भ्रमित कर प्रकरण जीता गया। इसकी शिकायत में सारे प्रमाणपत्रों के साथ मुख्य न्यायाधीश जबलपुर को कर दी हैं, एक प्रमाण पत्र की फोटोकापी संलग्न हैं।

चारों तरफ बिक रहा धीमी मौत का पैक्ड खाद्य

पेज 1 का शेष

केडबरीज, पारले, नेस्ले, मेक्डावेल, आईविसी आदि ने प्रदेश के खाद्य सुरक्षा आयुक्त डीडी अग्रवाल को महीना बांटकर करना शुरू कर दिया है, स्वाभाविक है ये धूर्त डकैत इंडियन एव्यूसिंग सर्विस अधिकारी जो खाद्य सुरक्षा आयुक्त अग्रवाल उनकी कठपुतली बन उसके महीना वसूली के लिये 100 से 1000 गुना लाभ उनकी बदनामी न हो उनका माल ही जनता खरीदे के लिये ये शूकर किसी भी हद तक जाकर. कानूनों की धज्जियां उड़ाकर अपने मातहतों को चमकाकर 24 घंटे उनके झांझ-मंजीरे बजायेगा और उसने बजाये, अपने ही विभाग के खाद्य निरीक्षकों बनाम खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को पूरे प्रदेश भर में 95 नोटिस जारी कर दिये, स्पष्ट ढंग से चेतावनी दी हरामखोर ने की ब्रांडेड कं. के नमूने न लें, अर्थात ब्रांडेड पूरा नकली, मिलावटी, सडैला, बुशैला, जहरीला, जिसमें फफूंदनाशक, संरक्षण, कीटनाशक रसायनों की तो सीमा से कई गुना ज्यादा भरमार होती हैं, जब पौष्टिकता के नाम पर न केवल शून्यता के साथ ही ये ही फफूंदनाशक, संरक्षणकारी और कीटनाशक विषैले रसायन उन्हें ही न केवल वयस्कों का वरन शिशुओं से युवाओं तक अनेकों बीमारियां जिसमें पेट में अपच, कब्जियत, मरोड़ दस्त लगने से लेकर गंभीर रोगों अर्थात 5 वर्ष के बच्चों में ही पथरी, गुर्दे खराब होना, अंधत्व, उच्च निम्न रक्तदाब, 10 से 16 वर्ष की कच्ची उम्र में ही ये ब्रांडेड कं. का पेकेज्ड खाद्य हृदयाघात, मस्तिष्काघात, बालों में सफेदी, स्त्रियों में 6-7 उम्र में परिपक्वता यथा स्तनों के उभार, 12-15 वर्ष की उम्र में स्त्रीजन्य रोगों की भरमार से बंध्यता, योनि आर्बुद, स्नताबुर्द आदि रोगों के शिकार हो रही है।

बहुराष्ट्रीय कं. के ब्रांडेड पेकेज्ड खाद्य पदार्थों को बढ़ावा देने देशी छोटे उत्पादकों, विक्रेताओं, व्यवसायियों को नष्ट करने आर्थिक और कानूनों से उलझाने का जो षड्यंत्र इस कानून में रचा गया था जिसकी आभासी छवि और दुष्परिणामों के बारे में जैसा कि समय माया ने लगातार 2007, 08, 09, 10,11 में प्रकाशित किया, वैसे ही दुष्परिणाम और उसमें रचे गये षड्यंत्र यथार्थ में बदल चुके हैं। इस खाद्य सुरक्षा और मानक अधि. 06 के परिणाम स्वरुप केवल महंगा, स्तरहीन, रसायनयुक्त, विषैला, पेक्ड खाद्य पदार्थ विज्ञापनों के माध्यम से बच्चों और ग्रामीणों को ही बेच रहे हैं। जैसे कि रु. 2 प्र.कि. के आलू का चिप्स रु. 15 से 25 के पैकेट में मात्र 20 से 30 ग्राम बेच रहे हैं। इनका मूल उद्देश्य छोटे उत्पादकों, दुकानदारों को नष्ट कर हर खाद्य पदार्थ 10 गुने से 1000 गुना ज्यादा कीमत पर बेचकर मोटा लाभ कमायें और हर राज्य स्तर पर बैठे खाद्य सुरक्षा आयुक्तों को महीना पहुंचाकर अपने नमूने भी न लेने दें और छोटे उत्पादकों, विक्रेताओं के नमूने लेकर उन्हें सारे दिन न्यायालय के चक्कर लगवाये या उन पर रु. 25000/- से लाखों रु. का किसी भी गलती के आधार पर जुर्माना करवाकर उनकी आर्थिक रुप से कमर तोड़ कर उनके रोजगार छीन करोड़ों को बेरोजगार करते रहें। म.प्र. शासन की सांची का दूध, घी, छाछ, आइसक्रीम व अन्य उत्पाद उसी प्रकार गुजरात का अमूल दूध व उसके अन्य उत्पाद जैसे मक्खन, घी, आइसक्रीम, चाकलेट आदि न केवल स्तरहीन पाउडर से बने दूध के साथ ही उसमें फफूंदनाशक, कीटाणुनाशक जैसे डीडीटी तक की बदबू मारते हैं। संरक्षक रसायनों युक्त होने के साथ ही फेट आदि भी बिल्कुल नहीं होता, जबकि इन हरामखोर जालसाज संस्थाओं में बैठे कर्मचारी-अधिकारी हर कदम पर न केवल घोर भ्रष्टाचार से धन कमाते हैं। वरन किसानों को भी उनके द्वारा आपूर्ति किये गये दूध की कीमतों का भुगतान भी काट-पीट कर महीनों बाद करते हैं। इनकी जालसाजियों का इससे बेहतर नमूना क्या हो सकता है कि मुश्किल से ये लाख सवा लाख लीटर दूध इकट्ठा करते हैं और उससे तीन गुना ज्यादा दूध अर्थात 4 लाख से 5 लाख लीटर दूध की आपूर्ति करते हैं। आखिर कहां से आ रहा है ये दूध, सूचना के अधिकार में जानकारी मांगने पर इनकी दलीलों के साथ ही ये डकैतों की फौज आवेदकों को चमकाने से बाज नहीं आती, फिर अगर ये शूकरों की फौज इतनी ईमानदार है तो खाद्य निरीक्षकों व खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को अपने खाद्य पदार्थों यथा सांची, अमूल दूध के आइसक्रीम में घी, मक्खन, दही, छाछ व अन्य उत्पादों के नमूने देकर जांच करवाने से क्यों डरती हैं, क्यों उन्हें जिलाधीशों से डंडवाती, धमकवाती हैं, क्यों अमूल की पैकिंग करने वाला देवास का प्रीमियर नट्रीशियेप्स एंड मिल्क प्रडक्ट्स वाला रु. 50000/- का भुगतान देवास की खाद्य निरीक्षक को पिछले 6-7 वर्षों से कर रही हैं, इसीलिये न ताकि उसके स्तरहीन दूध पर कोई अंगुली न उठाये।

हाल ही में श्री अजमेरा ने अमूल दूध की स्तरहीनता और डीडीटी की बदबू को लेकर शिकायत की थी, उस पर कार्यवाही करते हुए रिलायंस फ्रेश से अमूल दूध का नमूना लेकर राज्य की प्रयोगशाला में भोपाल भेजा गया जो पूर्णतः अमानक, वसाहीन पाया गया, उसकी शिकायत आगे हुई, विक्रेता ने उसी दूध की जांच के लिये राष्ट्रीय प्रयोगशाला गाजियाबाद भिजवाया जिसके प्रभारी को रिलायंस के यहां से रु. 10 लाख प्रति. माह की रिश्वत मात्र इसलिये पहुंचाई जाती है कि पूरे देश में से कहीं से कोई सा खाद्य का नमूना आये उसे जांच की आवश्यकतायें और औपचारिकता निभाते हुए आंख मींच पास कर दिया जाये वहीं हुआ वह पास होकर आ गया। ऐसा नहीं है कि खाद्य निरीक्षकों की टीम बहुत ईमानदार हैं, देवास बें बैठी खाद्य निरीक्षक सुषमा पथरोल को ही लें जो हर वर्ष स्थानांतरण रुकवाने के लिये तन,मन, धन से अपने वरिष्ठों की सेवा करती हैं, रु. 10 लाख इसी बात के लिये खर्च किये जाते हैं कि 6 वर्ष से ज्यादा होने पर भी उसकी रु. 5 लाख प्र.माह. की वसूली न बिगड़ जायें, आखिर पति अरविन्द पथरोल और श्रीमती पथरोल के भ्रष्टाचार का ही नमूना है रु. 16 लाख की इनोवा कार और करोड़ रु. से ज्यादा का यहां-वहां जमीनों और प्लांटों व नगदी विनियोजन इंदौर में भी खाद्य निरीक्षक अमित वर्मा की भी कार, यही नहीं औषधि निरीक्षकों में इंदौर के गोयल और ठाकुर को विभाग में 5 वर्ष हुए आये दोनों के पास कारें हैं। अकेले दवा बाजार से रु. 21 लाख प्रतिमाह वसूल रहा है। रु. 3000 × 700 दुकानदारों से जिसकी दलाली सेवानिवृत्त साहनी कर रहा है। वरिष्ठ निरीक्षक शोमित कोष्टा की भी 3 दिन इंदौर 3 दिन भोपाल रहती है। हर नई दवा की स्वीकृति, प्लांट, फैक्ट्री में लाखों रु. कमाई करके ले जाते हैं। भोपाल से आने वाली सुश्री खान की भी एक इंदौर ट्रिप में रु. 2 से 5 लाख लेकर जाती है। तो कैसे दें आखिर ये हरामखोर सूचना के अधिकार में जानकारियां दें भोपाल मुख्यालय से लेकर पूरे प्रदेश का पूरा खाद्य एवं निरीक्षक औषधि प्रशासन जालसाजों और डकैतों का जमावड़ा है। भाड़ में जाये जनता, कल की मरती अभी मरे।

लूट सके तो लूट, अंत काल पछतायेगा, जब गद्दी जायेगी छूट

पेज 1 का शेष

रु. 2 प्रतिकिलो के आलू को रु. 200 प्रति किलो में बेचा जा रहा है। बेशक इस कानून को बनवाने और लागू करवाने में वालमार्ट, रिलायंस, टाटा, बिरला व अन्य अनेकों भी शामिल हैं। विपक्ष में बैठे भाजपाई बनाम मुखेरे जानवरों की पार्टी ने भी न केवल इस लाबिंग का सैकड़ों करोड़ हजम कर आंख मींचकर कानून बनवाने और लागू करने में मदद की थीं, ये हमारा मु.मं. बहरुपिया शिवराजसिंग जो शक्ल से बड़ा भोला और मासूम दिखता है उस संसदीय समिति का सदस्य था। 23 जुलाई 1991 को राजीव गांधी की मृत्यु की सहानुभूति लहर से जब नरसिंहराव प्रधानमंत्री बना तो उसने मोटा कमीशन डकारने और इन यूरोपीय कंपनियों को भारत में पैर पसारने के नाम पर जिस उदारीकरण और वैश्वीकरण के समझौते पर हस्ताक्षर किये, उसके बाद तो इन भारत में काम करने वाली बहुराष्ट्रीय कं. की उचट कर लगी और इन जालसाजों ने फिर जो शासकीय कं., उद्योग सेवा प्रदाता चल रही थीं, उनमें हड़तालें करवाने के लिये श्रमिक संगठनों को धन बांटकर खरीदा हड़तालें करवाईं। घाटे में लाये और शासन में बैठे धूर्त इंडियन एव्यूसिंग सर्विस के खुदाओं को सुरा-सुंदरियां और धन देकर खरीदकर, शासकीय कं. का अधिग्रहण करना शुरू कर दिया, जिसमें हिन्दुस्तान लीवर ने देश में चल रही 32 माडर्न ब्रेड फैक्ट्रीयों को घाटे में चलता बताकर अधिग्रहण कर लिया, जनता को कानोंकान खबर ही नहीं हुई, उसकी सारी मशीनें, फैक्ट्री शेड और अरबों रु. की कर्मचारियों की कालोनियां और उसकी जमीनें चंद करोड़ों रु. डकार कर उन्हें सौंप दी गई, कर्मचारियों के हितों पर कुठाराघात किया गया, 1998 में जब राजग सत्ता में आई तो उज्जैन के इस धूर्त मुखेरे श्वान श्रममंत्री ने 1993-94 की तारीख में हस्ताक्षर कर हिन्दुस्तान लीवर को श्रमिकों के हितों पर कुठाराघात कर उनकी जिम्मेदारियों और देनदारियों से मुक्त कर दिया, इसी हिन्दुस्तान लीवर ने खादी ग्रामोद्योग म.प्र. के मसाला बनाने और पैकिंग पर नाम नहीं रहने दिया उसे भी अधिग्रीहत कर हल्दी में 6% चावल की भूसी मिलाने, धनिये, मिर्ची, कालीमिर्च, गरम मसाले में कचरा मिलाकर पीसने, पैककर बेचने के लिये पूर्व के खाद्य अपमिश्रण अधि. 1954 में ही संशोधन करवा लिये।

भारत की कोरबा स्थित एल्यूमिनियम एक्सट्रेक्शन और स्मेल्डर प्लांट को जो भारत एल्युमिनियम कं. लि. या बाल्को के नाम से जाना जाता था उस अरबों रु. के प्लांट को हिन्डालको को सौंप दिया गया, आईटीसी म.प्र. के अधिकांश आइल फेड के सोया प्लांटों पर दिग्गी सरकार को मोटा धन देकर हथियाया। रिलायंस के धूर्त अंबानी बंधुओं ने ओएनजीसी खोदे हुए गंगा कावेरी वेसिन के प्राकृतिक गैस के कुंओं को हथियाने के लिये पेट्रोलियम मंत्रालय में हजारों करोड़ खर्च करके अपने नाम करवा लिया, भारत सरकार की तीनों कंपनियों हिन्दुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम और इंडियन आईल कं. तीनों की अपनी शोधक कं. का उत्पादन गिरवाकर और नये तेल शोधन कारखाने लगाने के नीति को फाइलों में दफनाकर अपने जाम नगर रिफायनरी के दिखावटी उत्पादन जिसमें 1.20 लाख से 1.40 लाख बैरल प्रति दिन, वास्तविकता में 2.50 से 3 लाख बैरल प्रतिदिन के उत्पादन को इन कंपनियों को सामने रखकर इनके पंपों से बेचा जा रहा जिसमें 58 आवंटन के स्तर को आधा 25 से 30 आवंटन का पेट्रोल बेंचा जाकर प्रतिदिन अरबों रु. का कस्टम और एक्साइज की चोरी की जाकर रु. 30/- प्रति लीटर की कीमत का पेट्रोल जनता को रु. 67/- प्रति लीटर बेंचा जा रहा है। रिलायंस ने ही पूरे म.प्र. की और देश की 100 से ज्यादा कपड़ा मिलों को बंद करवाकर अपने कपड़े धागे की मिलों को आगे बढ़वाया, एनटीसी को इस तरह बर्बाद किया।

टाटा ने इससे कई कदम आगे जाकर भारतीय स्टील प्राधिकरण, भारत संचार निगम लि. बीएसएनएल के प्रबंधन पर कब्जा कर लिया, उसकी लाइनों का उपभोक्ताओं का अपने लाभ बढ़ाने में उपयोग किया गया और किया जा रहा है। टाटा की घूसखोरी और जालसाजियों के किस्से पिछले 40 से ज्यादा वर्षों से लगातार भारतीय अखबारों में छप रहे हैं।

इन्हीं हरामखोरों, जालसाजों, अंबानी, टाटा, बिरला व अन्य कई के साथ एडीबी पूंजी और उद्योगपतियों की जालसाजियों का ही परिणाम था कि इन्होंने राष्ट्र के 27 से ज्यादा राज्यों के विद्युत मंडलों को पहले कंपनियों में परिवर्तित करवाया, वहां पर महाधूर्त जालसाज इंडियन एव्यूसिंग सर्विसेज की नियुक्तियां करवाईं, विद्युत मंडलों के जल व ताप विद्युत उत्पादन केन्द्रों को बंद करवा कर अब प्रतिदिन अरबों रु. की बिजली ये सारे धूर्त बेच रहे हैं। ये आई.ए.एस. न केवल मप्र में वरन् पूरे राष्ट्र के विद्युत मंडलों की बनाई गई कं. से हर वर्ष हजारों करोड़ रु. डकार कर एक तरफ एशियन विकास बैंक और विश्व बैंक से कर्ज ले रहे हैं। वो दूसरी तरफ हजारों करोड़ का घाटा दिखाकर राष्ट्र के 25 करोड़ से ज्यादा उपभोक्ताओं से हर वर्ष बिजली की कीमतें बढ़ाकर वसूल रहे हैं।

टाटा कंसलेंटसी सर्विसेज- टाटा समूह की सबसे बड़ी जालसाज कं. है, जिसने अधिकांश राज्यों के इन शूकरीय प्रवृत्ति के गिद्ध आईएएस को खरीदा हुआ है, जिसने प्रदेश के अधिकांश विभागों के कार्य संचालन के लिये साफ्टवेयर बनाने का ठेका मोटा धन देकर म.प्र. के अनुराग जैन ने टाटा को दिये जिससे न केवल विभाग परेशान हैं वरन् कर आदि जमा करने के मामले में जनता भी परेशान हो रही है। दूसरी तरफ इसी टीसीएस की कम्प्यूटर हार्डवेयर बेच रही है या बेंच चुकी है, समय माया के श्री अजमेरा ने वाणिज्यकर विभाग में हुई इस जालसाजी को प्रकाशित भी किया था, इसी टीसीएस ने भारत शासन की कम्प्यूटर साफ्टवेयर और प्रशिक्षण देने वाली आत्यधिक विश्वसनीय कं. सी डेक को बर्बाद कर हथिया लिया ताकि इस जालसाज कं. के कुकर्मों की बोल भी न खुले और सफेद पोश डकैती में भी बाधा उत्पन्न न हों, टाटा के इस शूकर रतन की निगाहें शासन की हर कं. उत्पादन ईकाई पर शुरू से रही जिसमें व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर, ग्रे आयरन फाउंट्री जबलपुर, गन कैरिज फैक्ट्री या तोप निर्माणी जबलपुर से लेकर राष्ट्र में फैली 39 से ज्यादा ईकाईयों जिसमें श्रेष्ठ मशीनें, उच्च शिक्षित और प्रशिक्षित तकनीशियन और अरबों रु. भूमि भवन आदि थे को औने-पौने में हथियाने का षड्यंत्रकारी टाटा का रतन था, रतन की जेब में थे सारे प्रधानमंत्री, मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री, सारे आई.ए.एस., यहां तक की रु. 2 करोड़ देकर उसने इंदिरा गांधी तक से आयोडीन साल्ट एक्ट बनवा कर पूरे देश में आयोडीन नमक पर अपना एकाधिकार जमा रखा है पिछले 42 वर्षों से, जबकि आयोडीन नमक की उपयोगिता गलघोंघा रोग में जिसमें गला घोंघे की तरह फूल जाता है। जो पूरे देश की आबादी के मात्र 0.2% लोगों को होती है। जो कि स्व. इंदिरा गांधी द्वारा बनाये और लागू किये गये एकाधिकार प्रतिबंधित व्यवसाय अधि. 1970 के एकदम विपरीत था, अभी भी लागू है, जिससे उस वक्त करोड़ों रु. के घाटे में चल रही टाटा केमिकल्स कं. को न केवल जीवन दान मिला वरन् 1973 में ही फायदे में आ गईं।

टाटा के खानदान में जमशेद आर टाटा तक ही थोड़ी बहुत ईमानदारी से काम हुआ बाद में रतन टाटा तो भारी न केवल जालसाज, षड्यंत्रकारी तरीके से ले-देकर ही व्यवसाय को बढ़ाया और फैलाया, इसकी अगली गुजराती अंबानी बंधुओं की पीढ़ी तो न केवल जालसाज, षड्यंत्रकारी होने के साथ ही आपराधिक प्रवृत्ति की रही जिसका खुलासा अमेरिकन वेबसाइटों से हुआ। जिसमें अमेरिकी सांसदों ने अंबानी बंधुओं से गंगा कावेरी बेसिन 6 के गैस कुंओं पर रायल्टी और कराधान को ऊपर आंध्र को मुख्यमंत्री वाई.एस.आर. रेड्डी के हेलिकाप्टर के इंजिन में खराबी उत्पन्न कर उसे दुर्घटनाग्रस्त करवाकर हत्या का दोषी माना। इन उद्योगपतियों की नजरें भारत की राष्ट्रीयकृत बैंकों और उसमें पड़े लाखों करोड़ की जमाओं जिसमें हजारों करोड़ के उदासीन खातों में पड़ी लावारिस राशि और काले सफेद धन पर भी हैं, बीमा व्यवसाय से लेकर सरकारी कृषि विभाग और उद्यानिकी विभाग की रोपणियों, बागों पर भी हैं, आई.टी.सी. ने न केवल कृषकों और वन विभाग के हिस्से की जमीनें, नजूल की जमीनों को येन-केन प्रकरेण हथिया कर 10 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन हथिया ली है। भारत के प्रदेशों की मंडियों पर उनकी संपत्तियों पर भी इनकी गिद्ध निगाहें लगी है। जिनमें आईटीसी, रिलायंस के साथ ही बड़ी वालमार्ट जैसी विदेशी कं. भी है। आईटीसी ने हरियाली के नाम से अधिकांश जिलों के नाकों पर अपने बड़े मालस और मंडियां खोलकर कृषि उपजों को मंडियों के बाहर खरीदने का खेल न केवल म.प्र. में वरन अधिकांश राज्यों में खोल दिया हैं, स्वाभाविक है चुने हुए नेताओं जिनको 5 वर्ष के लिये गद्दी मिलती हैं, वो तो एकमुश्त रकम कमाकर निकलने की तैयारी में ही आते हैं। जिनका परम ध्येय लूटो, खाओ और जाओ ही रहता है। पूरे देश में क्या, कहां और कब चाहिये कीमत चुकाइये और ले इये या बैठ जाइये।

साप्ताहिक समय माया

म.प्र. कृषक कल्याण व कृषि विकास

विभागीय अधिकारियों के भ्रष्टाचार से स्वकल्याण और स्व विकास

संचालक रु. 350 से 500 करोड़, उपसंचालक रु. 5 से 10 करोड़, सहा.सं. रु. 50 लाख से 1 करोड़ तक भ्रष्टाचार से डकार जाते हैं हर वर्ष

म.प्र. कृषक कल्याण और कृषि विकास विभाग में मंत्री, प्रधान सचिव, सचिव, संचालक डी.एन. शर्मा, संभागीय स्तरों पर बैठे संयुक्त संचालक, जिलों के उपसंचालक, तहसीलों में बैठे सहा. संचालकों, गांवों की ग्राम पंचायतों में बैठे कृषि विस्तार अधिकारियों तक कैसे केन्द्र और राज्य शासन के लगभग रु. 15000 करोड़ से ज्यादा के धन की बंदरबांट कर रहे इन श्वानों की फौज से सूचना के अधिकारी में जानकारी मांगने पर कैसे जालसाजी पूर्ण कृत्य करते हैं, इसका अंदाजा एक आम किसान या नागरिक नहीं लगा सकता, एक ही दस्तावेज की 3 से 6 कापियां देकर पैसे वसूलना इनकी बत्तमीजियों, जालसाजियों का हिस्सा है, इंदौर के कृषि विभाग से मांगे रु. 25000/- से ज्यादा 12-13 योजनाओं के खर्च व्हाउचर पकड़ दिये रु. 600/- के बिल में 100 से ज्यादा डाक पंजीयन और कोरियर के बिल, मांगे यात्रा भत्ता देयक, दिये गये यात्रा भत्ते के बिलों के कवरिंग लेटर की दो-दो कापियां और 50 पै. की फोटो कापी के रु. 2 तो शासन ने ही निर्धारित किये हैं। दो एम जो एक रु. में होती है 4 रु. प्रति कापी, ये हैं इनकी नीच और ओछी मानसिकता के नमूने फिर अपने आप को बचाने उपसंचालक आलोक मीणा जो कि फर्जी जाति प्रमाण पत्रों पर नौकरी कर रहा है का जनजाति और मूल निवासी प्रमाण संयुक्त संचालक से मांगा और उस धूर्त म.प्र. का महाजालसाज डकैत तो वर्ष भर में रु. 400 से 500 करोड़ हजम करता है, के मक्कार लोक सूचना अधि. जैन ने दलील दी न देने की अपील लगाई तो उस शूकर जो जिलाधिकारियों से मोटी वसूली करता है अनुपस्थिति की आड़ में निरस्त कर दी, पिछले पत्र में इस तथ्य के कुछ अंश लगा देने पर इस उ.सं. मीना ने मुख्य संपादक अजमेरा को फोन पर हाथ-पैर तोड़ देने की धमकी दी, जिसका आवेदन एमआईजी थाने को दिया जिसे अपनी शूकरीय प्रवृत्ति के चलते की गये, वही हाल मु.मं., मु.सं. संचालक को भी ईमेल से भेजी गई पर सारे हरामखोर है, तो एक ही थाली के चट्टे-बट्टे, जबकि ऐसे फर्जी प्रमाणपत्रों पर नौकरी करने वाले कर्मचारियों-अधिकारियों को अ.जा., जनजाति आयोग को तत्काल नौकरियों से बाहर करने की मांग करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे फर्जी सबसे ज्यादा असली अजा, जजा का ही नुकसान कर रहे हैं। छह वर्ष से इसका प्रकरण जांच में लंबित है। हर जांचकर्ता को मोटा धन खिलाकर यह बचता आ रहा है, आखिर बांटने के लिये करोड़ों रु. का धन कहां से आ रहा हैं, स्वाभाविक है कि कृषक कल्याण और कृषि विकास का ये धन केन्द्र व राज्य शासन द्वारा विभिन्न योजनाओं के लिये दिये जा रहे धन में से ही बंदरबांट और लूटपाट की जा रही है। सूचना के अधिकार में प्राप्त जानकारी के विश्लेषण के कुछ तथ्य निम्नानुसार हैं, जब उपसंचालक चौरे थे इंदौर में, वर्ष 11-12 के राज्य पोषित योजना में नलकूप खनन रु. 5.18 लाख में से खर्च रु. 3.776 लाख हजम रु. 2 लाख, सूरजधारा में रु. 7 लाख, खर्च 6.99 लाख हजम किये गये रु. 4 लाख, अन्नपूर्ण 6 लाख खर्च रु. 4.88 लाख मापता 11-12 में रु. 1.48 खर्च 1.47, 12-13 में रु. 1.43 पूरा खर्च, 5 कृषकों को प्रदर्शन व प्रशिक्षण में 11-12 में रु. 3.99 में पूरा झूठे व्हाउचरों पर खर्च, 6. बलराम ताल 11-12 में रु. 170 लाख मिला रु. 150 लाख खर्च, 12-13 में रु. 144.796 मिला खर्च 80.008 खर्च, 7. गोबर गैस संयंत्र में अनुदान में रु. 6.3 लाख खर्च रु. 4.150 लाख, 12-13 में रु. 4.325 मिला, खर्च 4.125 लाख, बैलगाड़ी में 11-12 में रु. 15000 हजार खर्च पूरा हजम फर्जीवाड़ा, 12-13 में रु. 5 हजार हजम, 8. सूचना प्रसारण में रु. 1.05 लाख में से 12-13 में रु. 71900/- में रु. 21000 का काम रु. 50 हजार हजम, 9. टापअप अनुदान में 11-12 में रु. 11.555 मिले, खर्च रु. 6.525 लाख, 12-13 में रु. 68.715 लाख मिले खर्च रु. 46.125 लाख में से रु. 50 लाख हजम, 10. टापअप कृषि में 11-12 में मिले रु. 19.009 लाख में खर्च दिखाया रु. 18.807 लाख व इस प्रकार कुल 10 योजनाओं में प्राप्त 11-12 में रु. 288.194 में खर्छ दिखाया रु. 2.56.874 लाख में से रु. 1 करोड़ हजम। वहीं 12-13 में राज्य पोषित योजनाओं में रु. 2.72371 करोड़ में खर्च लगभग रु. 2 करोड़ में रु. 1 करोड़ की बंदरबांट हो गई। केन्द्र पोषित योजनाओं में 11-12 में बीज ग्राम योजना में रु. 83.864 लाख खर्च का रु. 60 लाख हजम, 12-13 में रु. 1,01.430 लाख में से रु. 80 लाख हजम, 10 तिलहन विकास योजना में 11-12 में रु. 5 करोड़ 72 लाख 53 हजार में से रु. 4 करोड़ हजम, 12-13 में मिला रु. 372.327 लाख में से रु. 2 करोड़ हजम, 11. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में रु. 148.38 हजार में से रु. 1 करोड़ हजम, 12-13 में ए.कृ.यो. में रु. 120.90 लाख में से रु. 80 लाख हजम, 13. रा.कृ.वि.यो. के रिज एंड फेरों में रु. 5 लाख हजम, 14. ए.कृ.वि.यो. के हलधर में 12-13 में मिले रु. 22 लाख में से 17 लाख रु. हजम, 15. रा.कृ.वि.यो. में कृषि उपकरण में मिले रु. 9 लाख में से रु. 5 लाख हजम, 16 मक्का उत्पादन में मिले 11-12 में खर्च 6.30 लाख में से रु. 5 लाख हजम, 12-13 में खर्च 2.41 लाख में से रु. 1.50 लाख हजम, 17. मोटा अनाज में मिले रु. 81 हजार में से रु. 60 हजार हजम 12-13 में खर्च रु. 3.230 में से रु. 3.2 लाख हजम, इंदौर में मोटा अनाज कोई पैदा ही नहीं करता यहां सोयाबीन और गेहूं ही बोया जाता है, 14 में कृषि अभियांत्रिकीय और पोस्ट हार्वेस्टिंग 11-12 में रु. 63.072 में से रु. 50 लाख हजम, 12-13 में रु. 25.658 में से रु. 20 लाख हजम 15. राष्ट्रीय जल ग्रहण मिशन में प्राप्त 11-12 में रु. 33.150 लाख में से रु. 30 लाख हजम, 16. उर्वरक संतुलित प्रयोग व आईएनएन में खर्च में रु. 2774 लाख में से रु. 1 लाख हजम, 12-13 में रु. 1.910 लाख खर्च में रु. 1 लाख हजम, सूचना प्रौद्योगिकी में 11-12 में रु. 1.284 में से रु. 1 लाख हजम, 12-13 में खर्च में रु. 3.52 में से रु. 3 लाख हजम, 22 सूक्ष्म एकीकरण में 12-13 में रु. 12400 खर्च में पूरा हजम, कौशल विकास में 12-13 में रु. 5.295 लाख में से रु. 5 लाख हजम 24. एग्रो क्लाइमेंट में रु. 8400 में से पूरा हजम 12-13 में, 11-12 में ए 3 पी में रु. 51.018 लाख में से पूरा हजम, ई-गवर्नसेंस में 11-12 में रु. 1.543 में रु. 1.543 लाख में पूरा हजम।

इस प्रकार 11-12 में केन्द्र योजना में रु. 869.346 लाख में से कुल 5 करोड़ सीधे हजम किया गया और राज्य से प्राप्त में रु. 256.874 में रु. 150 लाख सीधे हजम किया गया जो कुल आवंटन में रु. 650 लाख हजम किया गया उस समय उपसंचालक चौरे थे, उ.सं. मीना के कार्यकाल में 12-13 में केन्द्र से प्राप्त रु. 803.534 में खर्च रु. 565.53 लाख में रु. 4 करोड़ डकारा गया और राज्य से प्राप्त आवंटन रु. 272.371 लाख में से खर्च 181.856 लाख में से रु. 1.20 करोड़ डकारा गया। इस प्रकार रु. 5.20 करोड़ हजम किया गया, ये तो थी केन्द्र व राज्य शासन से प्राप्त धन की लूट और बंदरबांट कीएक छोटी सी झलक, कृषि कार्यों में लगने वाले बीज, उर्वरक, कीटनाशक, कृषि उपकरणों आदि के उत्पादकों विक्रेताओं के पंजीयन, पुर्ननवीनीकरण के मान से प्रति वर्ष 50 पंजीयन के मान से रु. 2.50 करोड़ पंजीयन की आय में पुर्ननवीनीकरण में औसतन हर जिले में 200 पुर्ननवीनीकरण के मान से रु. 5 करोड़ फिर उत्पादकों के पंजीयन और नवीनीकरण में रु. 50 हजार से लेकर लाखों तक की वसूली होती है, यही हाल बीज उत्पादक समितियों का भी हैं, इसके साथ ही खाद बीज कीटनाशक आदि के नमूने भरने लेने में निरीक्षण में संबंधित अधिकारी और कर्मचारी तक जो वसूली करते हैं वो अलग से अभी हाल में सोयाबीन और बीटी कॉटन के बीजों में जमकर रु. 25000 तक लेकर बिक्री की इजाजत तक खेल न केवल इंदौर वरन धार, झाबुआ, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर, आलीराजपुर आदि इंदौर संभाग के उज्जैन संभाग में देवास, रतलाम, शाजापुर, मंदसौर, नीमच व उज्जैन में भी खुलकर चल रहा है।

हर जिले का उपसंचालक व सहा. संचालकों के साथ कृषि विकास अधिकारियों तक गांवों में मिलाकर रु. 10 से 12 करोड़ की रिश्वत हजम कर जाते हैं। जिसकी आधी बांटने में जो संयुक्त संचालक व संचालक से होती हुई मंत्री और मुख्यमंत्री तक पाइप लाइन से पहुंचती रहती है। इस प्रकार से कृषक कल्याण के बहाने स्व कल्याण करते हुए चपरासी से लेकर मंत्री तक कृषि विकास किया जाता है, जहां तक विभाग के बाबु चपरासी का सवाल है, वो छोटी-मोटी खरीदी में दोहरे चार गुना बिलों के भुगतान प्राप्त करने से लेकर यात्रा भत्ता में ही हजारों रु. डकारते हैं। जिन्हें उपसंचालक आंख मींचकर सबको धन बंटता रहता है, जबकि अधिकांश बाबु-चपरासी संचार क्रांति के द्वारा युग में घर बैठकर ही यात्रा भत्ता वसूलते रहते हैं। जिसकी बानगी जानने के लिए जब विभाग से उनके यात्रा भत्ता पत्रकों की प्रतियां मांगी गई तो बदले में उनके कवरिंग की एक की ही तीन कापियां देकर चार-चार रु. वसूले गये। हर विभाग में बैठे भ्रष्टों और जालसाजों की फौज चपरासी, बाबुओं से लेकर प्रभारी अधिकारी तक हर किसी की कोशिश रहती है कि सूचना के अधिकार में किसी भी आवेदक को येन-केन प्रकरेण किसी भी प्रकार की जानकारी ही न दी जाये और देना अगर मजबूरी बन ही जाये, तो आधी-अधूरी न पढ़ने योग्य, छोटी करके या एकदम हल्की करके, ताकि जानकारी देने की औपचारिकता भी पूरी हो जायें और आवेदक न केवल शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से क्षति उठाकर भी जानकारी का जनहित में प्रयोग कदापि न कर सके, इसके लिये सारे हरामखोरों की फौज इकट्ठा होकर सारे षड्यंत्र रचती है, वही इस विभाग ने श्री अजमेरा आवेदक का साथ भी किया, इसके विपरीत यात्रा भत्तों में किये गये भुगतान की बंदरबांट प्रस्तुत है। बाबुओं में सहा. ग्रेड 3 एम.एल. गंगराड़े ने जन 11 से फरवरी 13 तक रु. 14453/-, तृतीय श्रे. लिपिक अरशद खान ने रु. 16639/-, तृ.लि. विवेक कदम ने रु. 14630/- वाहन चालक बालाराम ने रु. 11730/- भृत्यों में भृत्य बलराम मरवतिया रु. 11417/- के साथ उदयलाल मेंगरिया, बालू रतन, वसंत सिंघार डोले, उदयलाल आदि ने यात्रा भत्ते वसूले, सहा.सं. आर.एन. करोरिया ने रु. 15930/- व कृ.वि. अधि. उदय भटनागर ने रु. 20032/- कृ.वि. अधिकारी आर.एस. तोमर रु. 3935/-, ग्रा.कृषि वि.अ. एस.एस. सेंगर ने रु. 10235/- आदि ने यात्रा भत्तों से वसूली की, वसूली तो सभी ने की पर अधिकांश कर्मचारियों और अधिकारियों की जानकारी जानबूझकर ही नहीं दी गई, आधी-अधूरी मूल बिलों की फोटोकापी के लिये अपील भी की गई है, परन्तु संयुक्त संचालक रघुवंशी को टुकड़ा तो उपसंचालक कृषि से मिलता है, तो भाषा गागरौनी तो उपसंचालक की ही गाई जायेगी। आवेदक और कानून की क्या औकात है, जो जानकारी ले लेगा, फिर सारे हैं तो भ्रष्टाचार की थैली के चट्टे-बट्टे, जो हाल हर अपील में इस धूर्त सं.संचालक ने किया है वही इसमें भी करेगा।

विभाग का संचालक डी.एन. शर्मा ही जब सबसे बड़ा जालसाज हरामखोर, उज्जैन में बैठे उपसंचालक जिसने सीहोर में भूमि संरक्षण अधिकारी के पद पर कार्य करते हुए नीमा ने करोड़ों रु. के अनुदान को हजम कर लिया और जब तालाबों का सत्यापन किया गया तो 620 तालाब चोरी हो गये पर न तो धूर्त नीमा को निलंबित किया गया, उल्टे ही उसे उपसंचालक कृषि बनाकर उज्जैन में बैठा दिया, इस धूर्त से जानकारी मांगने पर ये हरामखोर जानकारी देने की अपेक्षा तीन-तीन पेज की दलीलें देता हैं, जबकि यह भी उपरोक्तानुसार रु. 8 से 10 करोड़ प्रति वर्ष शासन के बजट में और खाद, बीज, कीटनाशक विक्रेताओं, बीज समितियों को दिये जाने वाले अनुदान से हजम कर लेता हैं, बेशक यह कहानी, देवास, शाजापुर, रतलाम, मंदसौर, नीमच, धार, झाबुआ, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर, अलीराजपुर के साथ ही पूरे प्रदेश के 50 जिलों और राष्ट्र के 5 सौ से ज्यादा जिलों की हैं। जिसमें कृषक कल्याण और कृषि विकास हो न हो विभाग के चपरासी से लेकर मंत्रालय तक सबका स्व कल्याण और विकास अवश्य हो रहा है।

भ्रष्ट और जालसाज अधिकारी नहीं देते महत्व

पेज 3 का शेष

बेशक यह भ्रष्टाचार आने वाली पीढ़ियों के लिये भी न केवल घातक होगा वरन आने वली पीढ़ियां वर्तमान सत्ताधीशों की पीढ़ियों से भी न केवल नफरत करेंगी वरन् इन हरामखोरों का नाम लेना और सुनना भी पसंद नहीं करेगी। बेहतर होगा कि वे इस अधिनियम को जिस रूप में बनाया गया हैं, उस रूप में ही हर विभाग चाहे वह न्यायालयीन व्यवस्था हो जहां प्रति फोटोकॉपी के रु. 10/- तक वसूले जाते हैं। अधि. की मंशा के प्रतिकूल उससे कारण और जनहित पूछा जाता है, को पूर्णतः समाप्त कर ईमानदारी से उसका पालन करें। इस अधि. 05 के अंतर्गत प्रथम और द्वितीय अपील के लिये सीधे न्यायालय की व्यवस्थायें की जायें जो सूचना अधिकार प्रथम व द्वितीय अपील के नाम से ही जाने जायें जहां सिविल न्यायाधीश हों, आवेदक सीधे ही बिना वकील के अपने पक्ष का प्रस्तुतीकरण कर सकें, प्रथम अपील दायर करने के बाद उसे सीधे ही अनावेदक को भेजा जाकर जवाब मांगा जाये, जवाब प्राप्त होने पर उसकी फोटोकापी आवेदक को भेजकर सीधे ही अपील की जिला न्यायालयों में सुनवाई हो ताकि आवेदक को तत्काल राहत दिलवाई जाकर जानकारी उपलब्ध करवाई जा सकें, आवेदक और अनावेदक 3जी की विडियो कालिंग के जरिये भी जवाब दे सकें, अपील के निराकरण में विडियो कॉलिंग भी मान्य हों। प्रथम अपील की सुनवाई शासकीय कार्यालय में ही करवाने की बाध्यता हो तो संबंधित लोक सूचना अधिकारी से वरिष्ठ स्तर के समकक्ष का दूसरे विभाग का अधिकारी सुनवाई करे ताकि वरिष्ठ अधिकारी को प्रथम अपील में कनिष्ठ को बचाने की बाध्यता ही न हो, किसी भी हाल में प्रथम अपील की सुनवाई उसी कार्यालय में, जिसकी जानकारी मांगी जा रही है, वही अधिकारी कभी भी न सुनें। दूसरी ओर सूचना के अधिकार में खोले गये न्यायालयों के न्यायाधीशों की बाध्यता हो कि वो न केवल सभी केंद्रीय और राज्यों के विभागों में सूचना के अधिकार के अंतर्गत बनाये गये नियमों का न केवल पालन सुनिश्चित करें वरन धारा 4 के पालन में भी बड़ा रुख अपनाये। जिससे अधिकांश जानकारी ऑनलाइन हो जाये और 80% आवेदकों को आवेदन ही न करना पड़े। दूसरी ओर यह भय भी कम नहीं होगा कि सारी जानकारियां विभागों को ऑनलाइन उपलब्ध होने पर कोई भी सूचना प्राप्त करने वाला कभी भी जानकारी कहीं से प्राप्त कर सकेगा, जब ऑनलाइन निविदायें स्वीकारी और स्वीकृत की जाती है। कराधान जमा करवाना भी ऑनलाइन होने लगा है, तो बाकी सारी जानकारियां ऑनलाइन क्यों नहीं दी जा सकती, सूचना न्यायालयों के खुलवाने से सभी अधिकारी न केवल दहशत में आ जायेंगे वरन पहले आवेदन में ही अनावेदक पूरी जानकारी शीघ्र उपलब्ध करवा देगा।

नर्मदा घाटी भ्रष्टाचार विकास प्राधिकरण

अरबों की वसूली के लिये टर्न की अधिकतम असफल

अधिकांश भ्रष्ट जालसाज दक्षिणी ठेकेदार, सदस्य इंजि. से लेकर नीचे तक संविदा और प्रभार, 30-35 वर्षों से ज्यादा होने पर भी सामान्य को पदोन्नतियां नहीं, विकास प्राधिकरण नहीं, सन् 70 से भ्रष्टाचार की खान, चारों तरफ उद्वहन परियोजनायें, विद्युत का अभाव, 90% नाप पुस्तिकाओं में गलत नाप, डिजाइन और स्तर कुछ, काम कुछ फिर भी जालसाज, हरामखोर ठेकेदारों को अनेकों ठेके

म.प्र. नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण यथार्थ में भ्रष्टाचार की खान बन चुका है। 1970 से प्रारंभ इस प्राधिकरण की सभी योजनाओं को सन् 2000 तक पूरा हो जाना चाहिये था, परन्तु 1970 में सैकड़ों करोड़ की प्राधिकरण के सभी बांधों और नहरों की कीमत लाखों करोड़ में परिवर्तित हो गई, लाखों हेक्टेयर वन भूमि और कृषि भूमि बांध और नहरों में, बर्बाद करने, लाखों कृषकों की कृषि और निवासों को डुबोने के पीछे यथार्थ में 1980 से 2013 में सत्ता में रहे हर मुख्य नर्मदा घाटी मंत्री, उपाध्यक्ष, सदस्य अभियांत्रिकीय और पुर्नवास से लेकर बांधों, नहरों के पुर्नवास स्थलों के विकास के उपयंत्रियों तक सबकों भ्रष्टाचार से धन बटोरने और वसूलने की स्वर्ण खान बना हुई है। इसके विपरीत एक कड़वा सच यह भी है कि पुर्नवास में नर्मदा घाटी- लोक निर्माण संभाग धरमपुरी में 12 उपयंत्री ऐसे भी हैं जो पिछले 25 वर्षों से उपयंत्री होने और उपयंत्रियों की तरह कार्यरत रहने के बाद अभी भी मस्टर पर दैनिक वेतन भोगियों की तरह इन हरामखोर मंत्रियों, पुर्नवास सदस्यों और उपाध्यक्षों की नीचता के चलते रु. 3500 से 4000/- वेतन पर ही उच्च न्यायालयों के आदेश के बाद भी दैनिक वेतन भोगियों के रूप में इस आशा से कार्य कर रहे हैं कि कल शायद नियमित कर दिये जाये, अर्थात इस प्राधिकरण में सबसे ज्यादा लूट और नीचता की पराकाष्ठा है।

यदि न.घा.वि.प्रा. के सभी निर्माण कार्यों, टेंडर प्रक्रिया, डिजाइन और वास्तविक निर्माण की जांच की जाये तो कदम-कदम हजारों घोटालों का परत दर परत खोलकर लोकायुक्त के हवाले करने पर न केवल सदस्य इंजीनियरिंग, पुर्नवास विद्युत उत्पादन, वन, पर्यावरण से लेकर अभी तक कार्यरत रहे सभी अध्यक्ष और उपाध्यक्षों से लेकर सारे इंजीनियर और बाबुओं तक सब लपेटे में आयेंगे। कम दरों पर टेंडर लेना, जानबूझकर उलझाना और फिर मूल्यवृद्धि वसूलना, केंद्रीय जल आयोग से स्वीकृत डिजाइन बदलना, निर्माण बदलना, निर्माण घटिया स्तर का माल लगाना, छोटा, कम बनाना यहां तक कि आधारभूत डिजाइन जैसे इंदिरा सागर का फाउंडेशन 20 मी. था 10 मी. बनाया गया, ओंकारेश्वर का फाउंडेशन 12 मीं था, 6 मी. बनाया गया, नहरों में लाइनिंग 10 से.मी. मोटी होनी चाहिए थी 5 से.मी. से अधिकतम 8 से.मी. की बनाई गई, सारी नाप पुस्तिकाओं में 90% गलत नाप लिखे गये, जिससे करोड़ों रु. घोटाला इंजीनियर और ठेकेदारों ने हजम किया। 50% धन हजम किया गया। टर्म की परियोजनाओं में पत्र क्र. 44/29 06/27/ ननिमं/06 दि. 25/6/06 में ओंकारेश्वर परियोजना के अंतर्गत बायीं तट नहर बहाव नहर एवं 9.775 कि.मी. दायी तट बहाव नहर का निर्माण कार्य रु. 177.998 अर्थात रु. 178 करोड़ में 5.80% अधिक पर दिया गया। कार्य नवं. 08 में पूरा होना था, 5 वर्ष बाद अभी भी अधूरा है। शर्तें आत्यधिक ढीली थी। इस कार्य को संपन्न करवाने बड़वाह संभाग 32 के इंजीनियर थे, ईई इंगले जिन्होंने सारे मापदंडों का बलाये ताक रखकर सोमदत्त बिल्डर्स नई दिल्ली के क्षेत्रीय प्रति. करण सिंग के इशारे पर नाच कर करीब रु. 20 से 25 करोड़ हजम किये। कार्य समय सीमा की समाप्ति के 5 वर्ष बाद अभी भी अधूरा है, यही भ्रष्ट जेएम इंगले ने इसी भ्रष्टाचार के धन से ईई रहकर भी एसई का कार्य किया और भ्रष्टाचार का धन बांटकर एसई के पद पर रहकर सीई, इंदिरा सागर नहरों का काम संभालता रहा। वहां से सेवानिवृत्ति होकर वर्तमान में संविदा नियुक्ति पर सदस्य अभियांत्रिकीय है जिस पर रु. 40 लाख का एक मांग प्रकरण दर्ज लोकायुक्त में लंबित होने के बाद भी सदस्य अभियांत्रिकीय बना दिया गया जबकि कार्यसंपन्न करने वाले इस हरामखोर जालसाज ठेकेदार कर्णसिंग के पहले भी इंदिरा सागर नहरों में कई कार्य स्तरहीन होने के साथ ही समय सीमा समाप्त होने पर भी अधूरे थे, पर सबको मोटा धन बांटने के कारण इतना बड़ा टर्न की ठेका उसे ही दिया गया, जिसकी निर्माण कार्यों की चर्चा समय माया ने अपने प्रकाशनों में तब भी की थी।

टर्न की परियोजना में पत्र क्र. 39/31.08/27/ननिमं/2008 भोपाल दि. 23/2/08 इंदिरा सागर मुख्य नहर की आर.डी. 155 किमी से आरडी 206 कि.मी. का ठेका दक्षिण भारत रेड्डी बंधुओं की कं. आई.व्ही.आर.सी.एल. ईंफ्रा स्ट्रक्चर हैदराबाद को रु. 478 करोड़ 47 लाख अडसठ हजार में, यूएसआर से 7.20% कम पर दिया गया, इन रेड्डी बंधुओं के भ्रष्टाचार, लूट की सैकड़ों कहानियां पूरे देश के समाचार पत्रों में छप चुकी हैं। यहां पर भाजपा सरकार ने अक्टूबर 08 के चुनावों से पहले जो ठेके बांटकर सीधा 10 से 15% धन हजम किया था कि अगर सरकार आये न आये पर जाने से पहले शिवराज को नर्मदा घाटी भ्रष्टाचार विकास मंडल से उनका हिस्सा अवश्य मिल जाये की तर्ज पर आनन-फानन जो फर.08 में ठेके स्वीकृत किये थे, जिसके बारे में समय माया ने प्रकाशित किया था, फिर चुनावी वर्ष है, इस नहर का भी कार्य अधूरा है।

टर्न की परियोजना पत्र क्र. 65/32.03/27/ननिमं/ 2008 भोपाल दि. 18/3/08 में बरगी व्ययवर्तन परियोजना की स्लीमनाबाद वाहक दायी तरफ नहर की आर.डी.क्र. 104 कि.मी. से 129 कि.मी., 25 किमी से 12 कि.मी. की सुरंग का ठेका रु. 799 करोड़ में 24.84% अधिक पर पटेल इंजीनियरिंग लि. एसईडब्ल्यू.जे.व्ही. हैदराबाद को दिया गया, इसमें हरामखोरों ने प्रशासनिक स्वीकृति में समय सीमा को नहीं दर्शाया गया, इसमें भी 15 से 20 % का धन संबंधित इंजीनियरों से लेकर उपाध्यक्ष, मंत्री और मुख्यमंत्री तक ने हजम किया। इसमें पत्र में समय नहीं लिखा गया, जानबूझकर ताकि रु. 799 करोड़ के इस प्रोजेक्ट को अनावश्यक उलझाकर बाद में कारण बताकर 2 वर्ष का समय सीमा का 5 वर्ष बाद यह कार्य भी अभी तक अधूरा है। मूल्यवृद्धि से डेढ़ से दोगुना भुगतान प्राप्त किया जा सके, इसकी भी लोकायुक्त में शिकायत पर कार्यवाही चल रही है।

टर्न की परियोजना स्वीकृति इसके दूसरे दिन ही पत्र क्र. 79/ 31.07/27 ननिमं 2008/ भोपाल दिनांक 19.3.2008 से इंदिरा सागर मुख्य नहर की आरडी 130.935 कि.मी से 155 कि.मी. तक का ठेका मे. गायत्री बीसीबी पीपीएल (संयुक्त उपक्रम) हैदराबाद की क्र. 17.5% कम में रु. 242.55 करोड़ में दिया गया।

टर्न की परियोजना में ओंकारेश्वर परियोजना की नहर प्रणाली के चरण द्वितीय के अंतर्गत नहर की आरडी क्र. 9.775 कि.मी. से आरडी. 68.92 कि. अर्थात 59 कि.मी. का ठेका में. सोमदत्त बिल्डर्स एवं करण डेव्हलपमेंट के संयुक्त उपक्रम को रु. 193 करोड़ में, 32 नं. संभाग में दिया गया, यह कार्य अभी भी अधूरा है। इसमें भी समय सीमा नहीं दी गई और हर टर्न की प्रोजेक्ट में गारंटी और रखरखाव की तीन वर्ष की सीमा को घटाकर 1 वर्ष कर ठेकेदार कं. को उनकी जिम्मेदारियों से बचा लिया गया जबकि कोई भी टर्न की प्रोजेक्ट समय सीमा 2 वर्ष में पूरा नहीं किया गया। बाद में जानबूझकर कार्यों का धीमी गति के समाचारों की तरह संपन्न कर रेल्वे, वन विभाग, विद्युत कं. की उच्च दाब और निम्न दाब लाइनों के स्थानांतरण, भूउपार्जन आदि में उलझाकर 10% से 50% तक ज्यादा कीमतें वसूली गईं।

यही टर्न की प्रोजेक्ट में लोकर गोई का पूरा कार्य रु. 332.55 करोड़ में, में. आई.व्ही.आर.सी.एल. एमबीएल संयुक्त उपक्रम हैदराबाद को पत्र क्र. 18/34/06/127/ ननिमं/ 09 भोपाल दिनांक 21/1/09 को दिया गया।

टर्न की प्रोजेक्ट में बरगी व्ययवर्तन परि. के अंर्तत नागौद (सतना) शाखा नहर की 0.00 कि.मी. से 33.175 कि.मी. तक का ठेका रु. 183.95 करोड़ में मांटों कार्लो कं.लि.अहमदाबाद को दिया गया। पत्र क्र. 77/36.04/ 27/ननिमं/09 भोपाल दि. 21/ 2/09 से दिया गया।

टर्न की प्रोजेक्ट में इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आरडी 206 कि.मी. से आरडी. 243.895 कि.मी. गोई नदी तक बहाव नहर का ठेका रु. 243 करोड़ में पुनः उन्हीं भ्रष्ट जालसाज ठेकेदार में. सोमदत्त-केडीएस (सं.उ.) नई दिल्ली को दे दिया गया। पत्र क्र. 75/36.03/27/ ननिमं/09 भोपाल दि. 21/2/ 09 से दिया गया। उदवहन परियोजनाओं में ओंकारेश्वर उद्वहन नहर रु. 520 करोड़ में मैं. एसईएल-जीवेकेसी (सं.उ.) अहमदाबाद को पत्र क्र. 79/ 39.04/27/ननिमं/11 भोपाल दि. 17/3/11 दूसरी 51.281 कि.मी. से आरडी 125 कि.मी. का ठेका भी एसईएल-जीकेसी (सं.उ.) अहमदाबाद को रु. 349 करोड़ 30 लाख में दिया गया। खरगोन उद्वहन नहर का ठेका रु. 551 करोड़ में मैं. एमईआईएल-केबीएल (सं.उ.) हैदराबाद को पत्र क्र. 77/38.03/27/ननिमं/09 भोपाल दि. 21/2/09 से दिया गया। उद्वहन परियोजनाओं में ओंकारेश्वर उद्वहन नहर रु. 5201 करोड़ में मैं.एस.ईएलजी केसी (संउ.) अहमदाबाद को पत्र क्र. 79/39.04/27/ननिमं/11 भोपाल दि. 17/3/11 इसकी 51.281 कि.मी. से आरडी 125 कि.मी. का ठेका भी एसईएल जीकेसी (सं.उ.) अहमदाबाद को रु. 349 करोड़ 30 लाख में दिया गया।

खरगोन उद्वहन नहर का ठेका रु. 551 करोड़ में मैं. एम.ई.आई.एल. केबीएल (संउ.) हैदराबाद को पत्र क्र. 77/ 38.03/27/ननिमं/09 भोपाल दि. 17/3/11 से दिया गया। बारगी व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत नागौद सतना शाखा नहर कि.मी. 55.60 से कि.मी. 83.00 का कार्य रु. 126 करोड़ में डीएससी लि. को दिया गया पत्र क्र. 247/40.04/27/ ननिमं/11 भोपाल दि. 14/12/ 11। बारगी व्ययवर्तन परियोजना की रीवा शाखा नहर कि.मी. 24 से 33 कि.मी. एवं सनौरा उपशाखा नहर कि.मी. 00 से 33.025 कि.मी. तक समस्त वितरण प्रणाली का ठेका रु. 123 करोड़ में पीथमपुर वाली रामकी इंफ्रास्ट्रक्चर हैदराबाद वाली जालसाज भ्रष्ट कं को दिया गया। समय 30 माह, पत्र क्र. 249/40.05/27/ ननिमं/11 भोपाल दि. 14/12/ 11 बारगी व्ययवर्तन परि. की नागौद शाखा नहर 83.00 कि.मी. 11 कि.मी. तक का ठेका रु. 103 करोड़ एचईएस इंफ्रा प्रा.लि. हैदराबाद को दिया गया। पत्र क्र. 107/42.05/27/ननिमं/12 भोपाल दि. 15/06/12।

बरगी व्ययवर्तन परि. की विजय राघवगढ़ शाखा नहर 0.000 कि.मी. से 57.170 कि.मी. तक निर्माण कार्य का ठेका रु. 176.10 करोड़ में एचईएस इंफ्रा प्रा.लि. हैदराबाद को पत्र क्र. 103/ 42.03/27/ननिमं/12 भोपाल दि. 15/06/12 से दिया गया।

नर्मदा क्षिप्रा सिंहस्थ लिंक उद्वहन योजना का ठेका रु. 396.39 लाख में मेघा इंजीनियरिंग एवं इंफ्रास्ट्रक्चर्स लि. हैदराबाद को पत्र क्र. 165/43.04/27/ननिमं/ 12 भोपाल दि. 18/10/2012 से दिया गया। यह कार्य भी संभाग क्र. 32 बड़वाह के अंतर्गत ही है। इस योजना का 10% से ज्यादा रु. 40 करोड़ का भुगतान मेघा इंजि. को किया भी जा चुका है, इसकी कार्य अवधि 364 दिवस है, अभी सर्वे और लाइनिंग का कार्य भी ढंग से पूरा नहीं हुआ है, 10% कार्य पूर्ण होने की बात तो दूर की है। दूसरी ओर 32 नं. संभाग में चुन चुन कर भ्रष्ट और जालसाजों को मोटी करोड़ों की रायल्टी लेकर बैठाया जाता है। चाहे वो इंगले, निहोरे और वर्तमान में बैठा महाधूर्त सबनानी हो, फिर इसके अधीक्षण यंत्री और मुख्य अभियंता अजमारे जिसका सभी का भ्रष्टाचार और ठेकेदारों की पूंछ पकड़कर इशारों पर नाचने का ही कार्य रहा है। ठेकेदारों में ओंकारेश्वर की दायी-बायी नहरों का काम उसी महाजालसाज कर्णसिंग के पास है जिसको ब्लेक लिस्टेड होना चाहिए था उसके पास 5 अरब से ज्यादा के ठेकों पर काम कर रहा है, मुख्य तकनीकी परीक्षक इसकी गुणवत्ता, स्तर, डिजाइन को देखे तो निर्धारित समयावधि से दुगुनी पूरी हो जाने के बाद भी न केवल कार्य अधूरा है, वरन आंख मींचकर अधिकारी और इंजिनियर्स मूल्यवृद्धि का भुगतान भी कर रहे हैं। लोकायुक्त इन हरामखोर शूकरों की फौज पर छापे मारे तो अरबों रु. की हेरा-फेरी और शासन के धन की बर्बादी सामने आयेगी। वैसे अभी तक मात्र 5 प्रकरण लोकायुक्त में पंजीबद्ध हुए हैं। चूंकि इसमें पैसा केन्द्र सरकार का भी लगा है इसलिये सीबीआई भी जांच के लिए अधिकृत की जा सकती है। यदि बारीकी से जांच की जाये तो सारे ठेकेदारों के साथ ही साथ सारे उपयंत्रियों से लेकर सहा. यंत्रियों, का.यं.अधी. यंत्रियों, मुख्य अभियंताओं से लेकर पिछले 10 वर्षों में रहे सदस्य अभियांत्रिकीय, पुर्नवास, वन एवं पर्यावरण उपाध्यक्षों, अध्यक्षों से लेकर मुख्यमंत्री भी भ्रष्टाचार के हिस्सेदारी में लपेटे में आ सकते हैं।

नर्मदा नगर लिफ्ट परियोजना में बैठे जीपी सोनी का खुले में कहना पड़ता है कि रु. 50 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुका हूं। लोकायुक्त को रु. 50000 प्रति माह देता हूं इसलिए मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ओंकारेश्वर बाई तट नहर के निर्माण कार्यों की जेआर इंगले और ठेकेदार कर्णसिंग ने कैसे काली चिकनी मिट्टी खेतों से ही पलटाकर खड़ी कर दी थी, जबकि वहां पीली मिट्टी से भराई होनी चाहिए थी, काली मिट्टी को न तो रोलर से दबाया गया, सन् 2007 की बरसात में उसमें 2-2 इंच चोड़ी और 1.5 से 2.5 इंच गहरी दरारें पड़ जाने के बाद भी उसमें भराव करके लाइनिंग करवा दी गई थी, वर्तमान में सं. क्र. 32 में दायीं बायी ओंकारेश्वर नहरों के रु. 400 करोड़ के और नर्मदा क्षिप्रा लिंक उद्वहन के 400 करोड़ के ठेके हैं। दायीं बाई नहरों का 70% भुगतान हो जाने के बाद समय विस्तार और मूल्यवृद्धि आंख मींच कर दी जा रही है।

सन् 2009 तक न.घा.वि.प्रा. रु. 2934 करोड़ 54 लाख के टर्न की ठेके दे रखे थे और सन् 2010-11,12 में रु. 2343 करोड़ 85 लाख के ठेके और दिये गये। रु. 5300 करोड़ के इन ठेको में मु.मं.ना.घा.मं. उपाध्यक्ष और सदस्य इंजीनियरिंग में ही रु. 500 से 800 करोड़ रुपए ही डकारा गया। अधिकांश बजट 25 से 40% अधिकय पर बनाये जाते हैं। तभी ठेकेदार रिश्वत बांटने के बाद भी 33% तक कम पर कार्य ले लेते हैं। फिर अटकाकर समय वृद्धि से मूल्यवृद्धि जो 25 से 40% तक हो जाती है का धीरे-धीरे भुगतान प्राप्त करते रहते हैं। इसलिए दुगुने तिगुने समय में भी कार्य पूर्ण नहीं हो पाते और नीचे से ऊपर तक सब नर्मदा घाटी के भ्रष्टाचार विकास प्राधिकरण की खान से धन उलीचते रहते हैं।

साप्ताहिक समय माया

चुनावीकर्षण घोषणा रु. 1 प्र.कि. में गेहूं रु. 2/- प्र.कि. चावल

गरीबों के वोट व खाद्य अधि. व राशन दुकानों से चंदा कबाड़ना

रु. 2 का गेहूं रु. 3 से 5 तक, रु. 3/- का चावल रु. 5 से 8/- तक बेचते हैं गिद्ध दुकानदार, आधा-अधूरा बांटकर माल बाजार में बेचा जाता है

चुनावी वर्ष में भाजपाई घोषणावीर मुख्यमंत्री शिवराजसिंह ने चुनावीकर्षण एक और नई घोषणा की, कि अंत्योदय गरेनी अर्थात गरीबी रेखा से नीचे और गुलाबी राशन कार्डधारियों को रु. 1 प्रति किलो गेहूं और रु. 2 प्रति किलो चावल उचित मूल्य दुकानों से बेचा जायेगा, स्वाभाविक है, मुखेरे जानवरों की पार्टी के इस मुखिया को यह गरीबों को राहत देने की वास्तविकता पहले क्यों समझ नहीं आई, स्पष्ट है कि उद्देश्य यह नहीं कि यथार्थ में गरीबों को लाभ मिले, इसका यथार्थ है कि जब पूर्व में रु. 2/- प्रतिकिलो का गेहूं ही सभी राशन दुकानों से रु. 3/- से 5 कि. में इसी इंदौर जैसे महानगर की दुकानें ही बेंच रही हैं जिन पर बड़े-बड़े नेताओं, उनके चंदे बांटने वाले माफियाओं का ही एकाधिकारी पिछले 20-20 वर्षों से कब्जा है। जबकि कागजों में सारी राशन दुकानें सहकारिता में चल रही हैं। जहां

हर तीन वर्ष में चुनाव होने चाहिये और सारे पदाधिकारी बदले जाने चाहिए। स्वाभाविक है कि सहकारिता के नाम पर एकल माफियाओं के कब्जाधारी दुकानों पर गरेनी, अंत्योदय वालों को गेहूं, चावल और शक्कर मनमानी कीमतों पर बेचा जा रहा है। जब वार्ड नं. 17 की विंजवा की दुकानों की शिकायत खाद्य नियंत्रक से की गई और कहा गया कि आखिर दुकानदार बेचे गये माल की कीमत और मात्रा क्यों नहीं लिखता, तो खा.नि. हरेन्द्रसिंग ने बिंजवा से बोलकर 40 से ज्यादा गरेनी और अंत्योदय के कार्डधारियों से हस्ताक्षर करवाकर कि उन्हें पूरा और सही कीमत पर माल मिल रहा है अपने कार्य की इतिश्री कर दी।

जबकि अपुष्ट सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार हर सहायक खाद्य आपूर्ति अधिकारी और खाद्य नियंत्रक को रु. 10,000/- की भेंट चढ़ाता हैं, आखिर फिर ये बेचारे अधिकारी भी मनुष्य ही है टुकड़ा मुंह में दबाकर कैसे भौंक सकते हैं। अब इसी हरामखोर बिंजवा जिसके पास इन्हीं दुकानों की बदौलत करोड़ों की संपत्ति जिसमें अनेकों मकान छोटा डिपार्टमेंटल स्टोर इसी दम पर खड़ा किया है। तीन महीने से बीपीएल कार्डधारियों, अंत्योदय वालों को गेहूं-चावल ही नहीं दिया फिर बिंजवा तो एक दाना है ऐसे 450 दुकानें अकेली इंदौर में और पूरे प्रदेश में 25000 से ज्यादा राशन दुकानें पूरे प्रदेश भर में हैं। जन.फर. मार्च का इन राशन दुकान से बंटने वाला औसतन 500 क्विं. गेहूं, 100 क्विं. चावल, 50 क्विं. शक्कर, जो रु. 3 कि. का गेहूं, 4 रु. कि. का चावल, रु. 14.50 प्र.कि. की शक्कर, खुले बाजार में मात्र 10% बाजार कीमत से कम पर बेच दी गई, दूसरी ओर वर्षों से जो शिकायतें आ रही हैं कि राशन का गेहूं अप्रैल, मई में शासकीय गेहूं की खरीदी में बेचा जा रहा है, जिसमें हर जिले खाद्य निरीक्षकों, सहा. खाद्य आपूर्ति अधि. से लेकर जिला खाद्य अधिकारियों की भूमिका हर बार संदिग्ध पाई जाती है। जबकि इस खेल में खरीदारी म.प्र. वेयर हाउसिंग व लाजिस्टीक कार्पो. से खरीदी करवा दी जाती है। राशन दुकानदारों को दूसरी ओर वही गेहूं किसानों, दलालों और एजेन्टों के माध्यम से, खरीदी केन्द्रों पर ये खरीदी भी करवा लेते हैं। इस प्रकार ये जिला खाद्य व नागरिक आपूर्ति अधिकारी दोनों ही लक्ष्य खरीद-बिक्री के साथ राशन दुकानों के साथ स्वयं की जेब के लक्ष्य भी पूरा कर लेते हैं। पिछले 3-4 वर्षों से ऐसी सैकड़ों शिकायतें मिलने के बाद जांच जारी है कि गागरौनी इन अधिकारियों से लेकर मुख्यमंत्री शिवराज तक हर बार अलापते रहे हैं।

वर्षों पुरानी घोषणा 2रु. किलो गेहूं, रु. कि. का चावल में, जो गरीबों को मिलने की योजना की ऐसी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं तो इस चुनावीकर्षण घोषणा का क्यवा हश्र होगा, ये समझा जा सकता हैं, फिर हर योजना का लाभ हितग्राहियों को मिले न मिले बिचौलिये और सरकारी अधिकारी व कर्मचारियों के तो वारे-न्यारे नहीं होंगे तो चुनावी चंदा कहां से और कैसे मिलेगा, दूसरी ओर अधिकारियों और राशन शॉप वालों को जो सत्ता में है उनको तो महीना पहुंचाना ही है, साथ ही उन्हें विपक्ष के नेताओं को भी बांटना है, न जाने सत्ता का ऊंट चुनाव होते ही किस करवट बैठे और न्या आते ही पुराना हिसाब-किताब चुकता करने में कहां निपटायें, जनता का क्या है, श्वानों की फौज है, भौंक-भौंक कर चुप हो ही जायेगी, फिर वो भी डरती हैं कि अभी तीन माह नहीं दिया फिर अगले तीन माह और नहीं मिलेगा तो कहां से इतना महंगा लायेंगे और क्या खायेंगे? किसी दुकान की शिकायत जाती हैं तो वो जालसाज 30 से हस्ताक्षर करवाकर सब ठीक है, लिखवाकर दे देता हैं। तो शिकायतकर्ता को मुंह की खानी पड़ती है। फिर राशन भी नहीं मिलता ये है इन हरामखोरों के मकड़जाल का एक छोटा सा नमूना। चुनावी वोटाकर्षण घोषणायें की जाती हैं। चुनाव जीतने के लिये, फिर जो सत्ता में हैं, वह चुनाव जीतने के लिये हर प्रकार के वोटकर्षण षड्यंत्रों की रचना, घोषणा करता ही हैं, जीते तो घोषणायें पूरा करने के प्रयास चल रहे हैं और हार गये तो आने वाला जाने।

राष्ट्र जनहितों से किसी को कोई मतलब नहीं?

रा.स्व.से.सं. व भाजपा दोनों ही घोर स्वार्थी, मतलब परस्त

अपने ही कार्यकर्ताओं की पिटाई, झूठे केसों में फंसाना, स्वदेशी, राष्ट्रहित सब छूटे

म.प्र. की भाजपा सरकार जो स्वयंसेवक संघ का राजनैतिक मुखौटा कहती है। सत्ता में आते ही इन हरामखोरों जालसाजों को बस येन-केन-प्रकरेण धन लूटने, कमीशन बटोरने में लग जाती है। फिर उसे न राष्ट्र और प्रदेश से और न राष्ट्र और प्रदेश की जनता से मतलब होता है। इसके लिये कुछ त्यागकर पूंजीपतियों टाटा, अंबानी, जेपी, बिड़ला, भारती, विप्रा व सैकड़ों अन्य चरणपाद प्रक्षालन से अपने आप को धन्य समझती है।

धार भोजशाला में कैसे हिन्दुओं को न केवल पीटा गया वरन नवल किशोर शर्मा के पास पुलिस से ही देशी कट्टा रखवाकर 25 आर्म्स एक्ट प्रकरण बनाकर गायब कर दिया। कभी एम.वाय.एच. में कभी बड़वानी जेल में रखा गया। सन् 2006 में तो कैलाश विजयवर्गीय जैसे धूर्त ने यज्ञकुंड में पानी डलवाकर यज्ञाग्नि की ही हत्या कर दी थी, शंकराचार्य को भी अपहरित कर कभी ओंकारेश्वर में, कभी कहीं घुमाया जाता रहा, ये है हिन्दुओं की रक्षा करने वाले राष्ट्रीय सेवक संघ और उसके राजनैतिक मुखौटे का भयावह सच।

इसी आर.एस.एस. और भाजपा का एक सच के. सुदर्शन ने जब यह सच बोल दिया कि सोनिया गांधी जासूस है, और उसने ही अपने पति राजीव गांधी और सास इंदिरा गांधी की हत्या करवाई हैं, बोलने के बाद उस 75 वर्ष के बुजुर्ग सुदर्शन को जिसने इनके लिये अपनी जिंदगी राष्ट्र सेवा के नाम पर झोंक दी थी, आर.एस.एस. में इन्होंने उस सच को सच मानने से ही न केवल इंकार कर दिया वरन उन्हें भी दूध की मक्खी की तरह निकाल बाहर फेंका, ये है इनका घिनौना सच, इससे स्पष्ट होता है कि ये कितने बड़े राष्ट्र भक्त हैं।

दूसरी ओर इन हरामखोरों मुखेरे जानवरों की पार्टी को सत्ता मिलते ही इन सब भूखों को धन बटोरने की पड़ी और ये भी कांग्रेसी धूर्तों की तरह हर कार्य में कमीशन बटोर राष्ट्र और राष्ट्र की जनता को नीलाम करने पर उतारु हो गये। ये ही वो शिवराज मुख्यमंत्री हैं, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधि. 06 की संसदीय समिति का सदस्य था, जो देश की जनता को बंद खाद्य पदार्थों में रसायनिक जहर परोसकर बीमारियां और नपुंसकता परोस रही है। बंद खाद्य पदार्थों, बंद पानी, कोकाकोला, थम्सअप जैसे पेयों का ही परिणाम है कि 24 वर्ष के युवाओं को दिल, गुर्दे की बीमारियां, युवतियों को स्तन कैंसर, स्त्री रोगों जैसे 40-42 की उम्र में होने वाले रोगों से 18-22 वर्ष की उम्र में भोगना पड़ रहा है। इन हरामखोरों की कांग्रेस के साथ धन बटोरने की नीच मानसिकता ने खाद्य अपमिश्रण और निवारण अधि.

1954 को समाप्त करवा दिया, अब कोई कैसा भी रासायनिक विष किसी भी खाद्य पदार्थ में मिलाकर 2-5-10 तो क्या 10000 को भी मार डाले तो भी कोई सजा नहीं मिलेगी, बदले में इन्हें जरूर कमीशन मिलेगा। देश में छोटे उद्योगों और व्यवसायों में लगे 5 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार होना ये इन शूकरों की बला से, इन मुखेरे जानवरों को तो मोटा कमीशन मिलेगा न।

कर्नल पुरोहित, साध्वी प्रज्ञा, स्वामी असीमानंद जैसे सैकड़ों पूरे देश में कभी सीबीआई गिरफ्तार करती है, कभी राष्ट्रीय जांच एजेंसी एन.आई.ए., कभी एसटीएफ (स विशेष टास्क फोर्स) कभी राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधी केन्द्र। जबकि बंबई, पुणे समझौता, वाराणसी, अक्षरधाम, दिल्ली, अहमदाबाद आदि सभी स्थानों पर हुए विस्फोटों में सिमी, इंडियन मुजाहिदीन, लश्के तयब्बा जैसे आतंकी संगठनों का प्राथमिक और द्वितीयक जांचों में स्पष्ट हाथ होने के बाद भी सभी विस्फोटों साल-दो साल बाद इसी आर.एस.एस., शिवसेना, बजरंग दल, विश्व हिन्दू परिषद, हिन्दू महासभा से संबंध रखने के आरोपों में कभी इंदौर जिले के सांवेर से, कभी बेटमा से, कभी देपालपुर से ऐसे मासूम हिन्दुओं की गिरफ्तारी कर इन शूकर कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार की सुरक्षा के नाम पर पूरे गांवों में भारी तांडव मचाया जबकि जिन आरोपों में गिरफ्तारी की गई, उन कांडों के समय अधिकांश लोग गांवों में ही खेती-बाड़ी में व्यस्त थे, ये उन लोगों का पूरा परिवार व गांवों के लोग चिल्ला रहे थे परन्तु उन शूकरों को तो हिन्दुओं को आतंकित करना, बदनाम करना और भाजपा को वोट देने का परिणाम बताना था, ऐसे सभी समय पर न केवल भाजपा के क्षेत्रीय स्तर के पंच, सरपंचों, पार्षदोंल, विधायकों, सांसद सब चुप रहे। वरन आरएसएस के भी सभी पदाधिकारियों ने भी हमारा कार्यकर्ता नहीं है, कहकर पल्ला झाड़ लिया। ये है हिन्दु हितों की रक्षा करने वाली भाजपा और रा.स्व.सं. का असली चेहरा।

इन हरामखोरों और जालसाज मुखेरे जानवरों की पार्टी को सत्ता क्या मिली। जिन अगड़ों के नोट और वोट लेकर सत्ता में आये ये शूकरों की फौज ने म.प्र. के बर्बाद होते भविष्य को बलाये ताक रखकर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को भी जूते की नोक पर मारकर 30-35 वर्षों से सरकारी सेवाओं में एक ही पद पर सड़ते हुए उच्च शिक्षित और प्रतिभाशाली अधिकारियों को हर विभाग में चाहे तो जल संसाधन, राजस्व, लोक स्वा.यांत्रिकी, लोक निर्माण, महिला बाल विकास, लोक अभियोजन संचानालय, कृषि, उद्यानिकी, वाणिज्यकर, म.प्र. विद्युत मंडल, शिक्षा, पुलिस, खाद्य एवं औषधि, स्वास्थ्य विभाग, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, नगर-निगमों, निकायों, प्राधिकरणों कोषालय, ग्रामीण यांत्रिकीय, जिला पंचायतों, न्यायालयों, उच्च शिक्षा, चिकित्सा, अभियांत्रिकीय महाविद्यालयों, गृह निर्माण मंडल, औद्योगिक केंद्रीय विकास निगम, जिला उद्योग केन्द्रों, श्रम विभाग आदि सभी विभागों में पदोन्नतियां नहीं दी गई, जबकि यह मुद्दा लोकसभा में चल रहा था, तब श्री अजमेरा ने स्पष्ट लिखा कि हरामखोरों जिन अगड़ों के नोट और वोट से तुम्हें सत्ता मिली अब उनके समानता और पदोन्नतियों के हक पर भी डाका डाल रहे हों, याद रखना एससी, एसटी व मुसलमान न कल तुम्हारा था और न कल तुम्हारा वोट बैंक होगा, ये एसएमएस क्षेत्रीय सांसदों से लेकर सुषमा स्वराज, अरूण जेटली आदि 80 से ज्यादा सांसदों को भेजा परन्तु सत्ता के मद में चूर किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी, म.प्र. के मुख्यमंत्री शिवराज और उसके अगड़े मंत्रियों से तो कानून सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के पालन की उम्मीद ही बेकार है, क्योंकि उन्हें तो सारी सत्ता में ऐसे अधिकारी और कर्मचारी ही चाहिये, जो नियमों और कानूनों का बलाये ताक रखकर केवल लूटने और लुटाने में ही विश्वास करते हों। पूरा प्रशासन कल का ध्वस्त होता आज हो, नेताओं और मंत्रियों का तो काम ही है सत्ता में आते ही लूटो और बर्बाद करो, काहे का स्वदेशी विदेशी, जिससे मोटा माल मिले, उसका सिक्का चले, चाहे फिर चीन जैसे दुश्मन का माल हो या पाकिस्तान के आईएसआई का, इनकी बला से काहे की जनता, उन मूर्खों ने आखिर वोट इन्हें दिया क्यों? ऐसे ही शूकरों ने इस देश को गुलाम बनवाया और फिर गुलाम बनवाने के लिए बेताब हैं।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक- अजमेरा एस.पी. कुमार द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13 प्रेस कॉम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 299, अम्बेडकर नगर, इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित।
भोपाल प्रतिनिधि- एस.के. भारद्वाज मो. 9074551045, इंदौर कार्यालय- 0731-2530859, मोबा. 9300755803